

336.54
C739
1980-81

Sl. No. 16

राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय
NATIONAL ARCHIVES LIBRARY

भारत सरकार
Government of India

नई दिल्ली
New Delhi

आह्वानांक Call No. 336.542739

अवाप्ति सं० Acc. No. 184196

MGIPF—412 NAL/79



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

वर्ष 1980-81 के लिए

संघ सरकार (सिविल)

राजस्व प्राप्तियां

खण्ड I

अप्रत्यक्ष कर

017

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
10	13	सल्फर को	सल्फर
14	10 (नीचे से)	15 जमा	जमा 15
16	11	1962	1962 की धारा 8
18	2 (नीचे से)	के	के निर्वचन के
21	7 (नीचे से)	स्वीविज	स्वीविज
26	12	निर्वायि	निर्वायि
32	5	का	को
37	6 (नीचे से)	टन का शुल्क	का शुल्क
41	9	दिसम्बर 1981	सितम्बर 1981
61	11	का	की
61	11-12	करना होता	करनी होती
89	7	राजर्स	राइजर्स
89	15	पिछले	पिघले
89	1 (नीचे से)	था	थी
91	16	संघों	पंखों
93	13	अर्थ	अर्ध
96	11	थ	थी
97	15	नई	मई
97	4 (नीचे से)	वाला	वाले
97	4 (नीचे से)	कि]	की
97	13	शुल्क परिकलित	परिकलित शुल्क
98	17	जो	उपरोक्त
98	19	उपर्युक्त छूट के लिए	—
98	19-20	मिल सकता	ले सकती
100	1	35	45
101	17	पर	पर (जुलाई, 1979 और जनवरी, 1981)
101	18	(जुलाई, 1979 और जनवरी, 1981)	(जुलाई, 1980 और अगस्त, 1981)

पृष्ठ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
103	1	इआई	इकाई
103	5	1,10,733	1,10,713
103	11	(अगस्त 1979)	(अगस्त 1974)
104	6	ले	—
104	13 (नीचे से)	अप्रैल	अप्रैल
105	6	पर	—
108	अंतिम	कैप्सूलो	कैप्सूल
110	1	4,74,714	4,74,714 रु०
111	14	1 जनवरी	जनवरी
114	9	कि कि	कि
116	9	अधिनियम	अधिनियम, 1944
145	4 (नीचे से)	के बदलने लिए	बदलने के लिए
153	4 तथा 5 (नीचे से)	का कुल कुल मूल्य	का कुल मूल्य
167	1 (नीचे से)	3101	3101*
172	9 (नीचे से)	18	1,8
172	3 (नीचे से)	1345	12,45
182	9	को	का

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

वर्ष 1980-81 के लिये

संघ सरकार (सिविल)

राजस्व प्राप्तियां

खण्ड I

अप्रत्यक्ष कर

886.54
C739.

प्रतिलेखागार पुस्तकालय नई दिल्ली
प्राप्ति संख्या.....
Accession No. 134196
25.7.84
Library

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय 1 सीमा शुल्क प्राप्तियाँ		
राजस्व आंकड़े	1. 01	1
संग्रहण की लागत	1. 02	2
लेखापरीक्षा के परिणाम	1. 03	3
अनियमितताओं की श्रेणियाँ	1. 04	3
अतिरिक्त शुल्क का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	1. 05	3
सामान के गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क का लगाया जाना	1. 06	13
छूट अधिसूचनाओं को गलत रूप से लागू करना	1. 07	18
गलत निर्धार्य मूल्य अपनाए जाने के कारण कम शुल्क का लगाया जाना	1. 08	24
प्रतिअदायगी का अनियमित/अधिक भुगतान	1. 09	27
अनियमित प्रतिदाय	1. 10	29
नियत शुल्क/उपकर का न लगाया जाना	1. 11	34
अधुनिर्धारण	1. 12	35
निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए भाण्डागार में रखे गए माल पर संगृहीत न किया गया राजस्व	1. 13	36
पूर्व व्यापी प्रभाव से जारी किए गए तदर्थ छूट आदेश द्वारा अनुज्ञात अनियमित छूट	1. 14	38
मोचन दण्ड की अदायगी करने पर छोड़ी गई जम्ब कार पर सीमा शुल्क का न लगाया जाना	1. 15	38

	पैराग्राफ	पृष्ठ
आवद्ध भाण्डागारों से बाहर विनिर्मित उत्पादों में प्रयुक्त आयातित माल पर शुल्क का न लगाया जाना अन्तिम उपयोग की शर्त की अनदेखी करके अनुमत की गई शुल्क की छूट	1. 16	39
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जारी किए गए छूट आदेश	1. 17	41
सीमा शुल्क राजस्व की माफी और परित्याग	1. 18	43
सीमा शुल्क की बकाया राशि	1. 19	44
कालातीत मांगें	1. 20	44
अध्याय 2—संघ उत्पाद शुल्क	1. 21	44
संघ उत्पाद शुल्क प्राप्तियां	2. 01, 2. 02	45
1980-81 के बजट की मुख्य बातें	2. 03	46
50 करोड़ ६० से अधिक राजस्व प्राप्त करने वाली वस्तुएं	2. 04	47
बजट अनुमानों और वास्तविक आकड़ों में विभिन्नताएं	2. 05	49
वसूली की लागत	2. 06	49
नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम	2. 07	49
लघु इकाइयाँ		
टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर छूट	2. 08	50
छूट योजना-निर्दिष्ट माल	2. 09	52
नई छूट योजना-निर्दिष्ट माल	2. 10	56
शुल्क का अप्रबन्धन/परिहार		
रिसार्सिनौल फार्मलडिहाइड रेजिन	2. 11	57
रंगीन टिशु कागज	2. 12	58
आकारित धागा	2. 13	59
लच्छे, पट्टियां और प्लेटें	2. 14	60
कृत्रिम तन्तु धागा	2. 15	61
घषित कपड़ा	2. 16	62
पहिया सेट्स	2. 17	62
चीन्दी	2. 18	63
इस्पात शिल्लियां	2. 19	64
फ्लैट्स	2. 20	65

	पैराग्राफ	पृष्ठ
पूर्ण मशीनरी	2. 21	65
मशीनी पुर्जे	2. 22	67
एस ई ई पी जेड की निकासी	2. 23	68
वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क न लगाना/कम लगाना		
कच्चा नैफथा और अमोनियम क्लोराइड	2. 24	69
काबला, डिबरी और पेच	2. 25	70
पेटेन्ट या स्वामित्व वाली दवाइयां	2. 26	72
संश्लिष्ट धागा	2. 27	74
कार्बनिक खाद	2. 28	75
प्लास्टिक टाचे	2. 29	76
एक्सपेन्शन बोर्ड	2. 30	77
स्टार्च	2. 31	78
निक्षारित ऐल्युमिनियम पर्णिका	2. 32	79
स्टील फर्नीचर	2. 33	79
चीनी	2. 34	80
प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स	2. 35	81
साईकिल रिमें	2. 36	82
बटा हुआ धागा	2. 37	83
छूट अधिसूचनाओं का गलत लागू किया जाना		
टायर और ट्यूब	2. 38	84
तांबा	2. 39	87
स्टील स्कल स्क्रैप्स और रॉनर्स एवं राइजर्स	2. 40	88
ट्रैक्टर	2. 41	89
कागज	2. 42	90
बिजली के पंखे	2. 43	91

	पैराग्राफ	पृष्ठ
सिन्थेटिक रेजिन	2. 44	92
इस्पात की चादरों की कतरन/रद्दी	2. 45	92
रद्दी तांबा	2. 46	93
अनुचित ढंग से दी गई छूट		
एकस्व या स्वाम्य औषधियां	2. 47	94
पशु आहार	2. 48	95
विद्युत	2. 49	96
मकखन	2. 50	97
अनियमित वापसी		
चीनी	2. 51	98
प्रोत्साहन छूट		
अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क में राहत की योजना	2. 52	99
प्रोफार्मा क्रेडिट		
प्रोफार्मा क्रेडिट का अनियमित उपयोग	2. 53	103
उपकर		
हथकरघा उपकर	2. 54	110
पटसन उपकर	2. 55	111
अन्य ध्यान देने योग्य बातें		
चीनी पर अधिक रिबेट	2. 56	111
धागा	2. 57	114
कपड़ा और कपड़े की वस्तुएं	2. 58	115
रबड़ युक्त सूती वस्त्र	2. 59	116
टैरिफ मद 68	2. 60	117
धारा 4 का गलत लागू किया जाना	2. 61	119
निजी खपत	2. 62	126
सम्बन्धित व्यक्ति	2. 63	132

	पैराग्राफ	पृष्ठ
पैकिंग प्रभार	2. 64	133
समीकृत भाड़ा	2. 65	135
बीजक मूल्य	2. 66	136
वृद्धि प्रभार	2. 67	139
न्याय निर्णयन आदेश का अनियमित संशोधन	2. 68	140
शुल्क की वसूली न करना	2. 69	141
वसूली में विलम्ब	2. 70	142
गुप्त निकासी	2. 71	143
जाँच कार्य	2. 72	145
सामान का अनियमित निपटान	2. 73	147
अनन्तिम निर्धारणों को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब	2. 74	148
निर्यातित वस्तुओं पर शुल्क का न लगाया जाना	2. 75	150
मासिक विवरणियों को भेजने और राजस्व प्राप्तियों के समा- धान में विलम्ब	2. 76	151
कालबाधित हो जाने से राजस्व की हानि	2. 77	153
संघ उत्पाद शुल्क की वकाया राशियां	2. 78	155
राजस्व के दावों की माफी और परित्याग	2. 79	156
धोखाधड़ी और अपवंचन	2. 80	157

अध्याय - 3

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की प्राप्तियां -अनुभाग-क-		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	3. 01	158
राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	3. 02	158
दिल्ली प्रशासन द्वारा वसूल किया गया कर राजस्व	3. 03	159
बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में विभिन्नता	3. 04	159
संग्रहण की लागत	3. 05	162

	परिग्राफ	पृष्ठ
अनुभाग—ख विक्रय कर		
विक्रय कर विभाग का ढांचा	3. 06	163
विक्रय कर राजस्व	3. 07	163
विक्रय कर निर्धारण	3. 08	164
बकाया निर्धारणों का विश्लेषण	3. 09	165
कालातीत निर्धारण	3. 10, 3. 11	166
31 मार्च 1981 को विक्रय कर विभाग के पास बकाया पड़ी अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं और पुनर्विलोकन आवेदन	3. 12, 3. 13	166
राजस्व का बट्टे खाते में डाला जाना और उसकी माफी	3. 14	168
दिल्ली प्रशासन के विक्रय कर विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा	3. 15	169
एक व्यापारी द्वारा जाली कागजात तैयार करना	3. 16	173
कर की निम्न दरों के लगाए जाने के कारण कर का अवनियमित	3. 17	175
अनियमित छूट के कारण अवनियमित	3. 18	176
अनुभाग—ग राज्य उत्पाद शुल्क		
वियर के आयात पर कम शुल्क प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि	3. 19	177
अनुभाग—घ स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस		
स्टाम्प शुल्क की उच्च दरों का अपवंचन/परिहार	3. 20	178

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

वर्ष 1980-81 के लिए संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों (सिविल) का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है—एक खण्ड अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित है और दूसरा प्रत्यक्ष करों से ।

इस खण्ड में अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा के परिणाम दिए गए हैं । यह प्रतिवेदन निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया गया है :—

अध्याय 1 में सीमा शुल्क राजस्व के वास्तविक आंकड़े और इन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा विभाग द्वारा देखी गई ध्यान देने योग्य बातों का उल्लेख किया गया है;

अध्याय 2 में इसी प्रकार लेखापरीक्षा विभाग द्वारा देखे गए संघ उत्पाद शुल्क के अवनिर्धारण के कुछ महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा की गई है,

अध्याय 3 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के विक्रय कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क से संबंधित प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम दिए गए हैं ।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित बातें वे हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आई हैं । उनका अभिप्राय संबंधित विभागों के कार्य-चालन पर किसी प्रकार का सामान्य आक्षेप व्यक्त करना नहीं है और न ही उनका यह अर्थ समझा जाए ।

1980-81 के बजट में निर्यात शुल्क से निवल राजस्व 145.19 करोड़ रु० अनुमानित किया गया था। संशोधित अनुमानों में यह राशि 118 करोड़ रु० थी। वास्तविक वसूली 107.27 करोड़ रु० थी। वित्त मंत्रालय ने अनुमानित प्राप्तियों में कमी का कारण शुल्क में कमी करने की वजह से खालों और चमड़े से तथा निर्यात शुल्क की समाप्ति के कारण काफी और पटसन उत्पादों से कम वसूली होना बताया था।

लघु शीर्ष "आयात" के अंतर्गत प्रतिअदायगी का बजट अनुमान 55 करोड़ रु० था। इसे बाद में बढ़ा कर संशोधित अनुमानों में 95 करोड़ रु० कर दिया गया। वित्त मंत्रालय ने अनुमान में इस वृद्धि के निम्नलिखित कारण बताए थे। :—

- (i) 1980-81 के पहले आठ महीनों में पाई गयी प्रतिअदायगी के वास्तविक भुगतान में वृद्धि और
- (ii) 19 सितम्बर 1980 से सभी उद्योगों की दरों की एक नई प्रति अदायगी अनुसूची का लागू किया जाना, जिसमें अनेक नई क्रम संख्याएं जोड़ी गई थीं और कई मदों के लिए प्रतिअदायगी की दरों में वृद्धि की गई थी। तथापि, लेखाओं में दर्ज की गयी प्रतिअदायगी की वास्तविक राशि 87.16 करोड़ रु० थी।

1.02 संग्रहण की लागत

1979-80 और 1980-81 के वर्षों के लिए राजस्व का संग्रहण करने में किया गया व्यय जो मुख्य शीर्ष 037-सीमा शुल्क के अंतर्गत दर्ज किया गया था, नीचे दिया गया है :—

	(करोड़ रुपये में)	
	1979-80	1980-81
का—1 राजस्व एवं आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य	5.69	6.64
का—2 निवारक और अन्य कार्य	22.68	27.64
जोड़	28.37	34.28

1.03 विभिन्न सीमा शुल्क गृहों/कलक्टरियों के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा से अवनिर्धारणों, अधिक अदायगियों और राजस्व की हानि का पता चला जिनकी कुल राशि 10.08 करोड़ रु० थी। 3.34 लाख रुपए के अधिनिर्धारण और कम अदायगियां भी नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आईं।

1.04 नमूना लेखापरीक्षा में पाई गयी मुख्य अनियमितताओं के बारे में उत्तरवर्ती पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है। ये अनियमितताएं निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं :—

- (क) अतिरिक्त शुल्क का न लगाया जाना/कम लगाया जाना।
- (ख) माल के गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क लगाया जाना।
- (ग) छूट अधिसूचनाओं को गलत ढंग से लागू करना।
- (घ) गलत निर्धार्य मूल्य अपनाए जाने के कारण कम शुल्क लगाया जाना।
- (ङ) प्रतिअदायगी का अनियमित/अधिक भुगतान।
- (च) अनियमित वापसियां।
- (छ) निर्यात उपकर का न लगाया जाना।
- (ज) अधिनिर्धारण।

1.05 अतिरिक्त शुल्क का न लगाया जाना/कम लगाया जाना

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत, आयातित वस्तुओं पर भारत में उत्पादित या विनिर्मित समान वस्तुओं पर उद्ग्राह्य शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क लगाना होता है।

नमूना लेखापरीक्षा में 4.87 करोड़ रु० का अतिरिक्त शुल्क न लगाये जाने/कम लगाये जाने के मामले देखने में आये थे। यह राशि 25 मामलों से संबंधित थी जिनमें से प्रत्येक में कम लगाये गये/न लगाये गये शुल्क की राशि 10,000 रु० से अधिक थी। इनमें से कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है :—

- (क) मार्च 1979 में जारी की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ सूचना के अनुसार 'नामेक्स पेपर' को वस्तुओं के संघटन के आधार पर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ मद 22 या मद 22(3) या मद 15 का (2) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मई 1979 में आयातित 'उच्च दाब मिश्रण पौलीमाइड और मैलिनेक्स की हाइपर थर्म 'डी' सामग्री' का निर्धारण सीमा शुल्क टैरिफ, अधिनियम 1975 के शीर्षक 59.01/15 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 18 के अंतर्गत किया गया था। विभाग से उपरोक्त टैरिफ सूचना के संदर्भ में अपनाये गये वर्गीकरण के सही होने के बारे में जांच करने का अनुरोध किया गया था (अक्टूबर 1979)। विभाग ने गलत वर्गीकरण स्वीकार कर लिया (फरवरी 1980) और सही वर्गीकरण तथा अतिरिक्त शुल्क की मात्रा निश्चित करने के लिए कुछ और सूचना मांगी। चूंकि आयातकर्ताओं ने विवरण प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए विभाग ने इन वस्तुओं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 18 के साथ पठित मद 22 के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया और 2.97 लाख रु० का विभेदक शुल्क वसूल कर लिया (अगस्त 1980)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अक्टूबर 1981)।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने सितम्बर 1975 में यह स्पष्ट किया था कि यदि किसी वस्तु को (चाहे वह कच्ची गढ़ी हुई हो या कच्चे रूप में ढली हुई) मशीन से संसाधित किया जाता है/पालिश आदि किया जाता है, ताकि इसे अभिज्ञेय मशीनी पुर्जे के रूप में परिवर्तित किया जा सके, तो ऐसे मशीनी हिस्से को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य समझा जाना चाहिए न कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 25 या 26 का का के अन्तर्गत।

एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा आयातित (मई 1979, जुलाई 1979 और अप्रैल 1980) बी०जी० गढ़ी मशीन छेड़ें (क्रेन्क शेफ्ट, गढ़ाई पुर्जे) एक्सल, मशीन द्वारा संसाधित पहियों पर जो कि, यद्यपि मशीनों के अभिज्ञेय पुर्जे थे, मद 68 के बजाय मद 26 का का के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 3.11 लाख रु० का शुल्क कम लगा। यह बात लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाई गई थी (जनवरी 1980, जून 1980 और दिसम्बर 1980)।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए, वित्त मंत्रालय ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 1981) कि 2.62 लाख रु० की मांगें जारी कर दी गई हैं और शेष राशि के लिए मांग इसलिए जारी नहीं की गयी है क्योंकि सीमाशुल्क-गृह में लेखापरीक्षा आपत्ति समय-सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त हुई थी।

(ग) कोलतार पिच/बाइन्डर के दो परेषणों पर, जो नवम्बर और दिसम्बर 1979 में आयातित किये गये थे, मूल उत्पाद शुल्क पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क सहित 100 रु० प्रति मीटरी टन के हिसाब से केन्द्रीय शुल्क टैरिफ की मद 11 (2) के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था। एक आगम पत्र के संबंध में आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग ने यह मत व्यक्त किया था कि जून 1962 में जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार ये वस्तुएं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं और 21,000 रु० का अतिरिक्त शुल्क अधिक संगृहीत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने बताया (मई 1980, जून 1980) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की टिप्पणियां ठीक नहीं थीं और ये वस्तुएं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकरणीय थीं तथा इन दोनों आगम पत्रों में वास्तव में अतिरिक्त शुल्क का कम संग्रहण हुआ था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत लगाये जाने वाले शुल्क और उक्त टैरिफ की मद 11(2) के अंतर्गत लगाये गये शुल्क का अंतर था। विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली तथा न केवल एक मामले में तथाकथित अधिक वसूली की संभावित वापसी बचायी बल्कि दोनों परेषणों के संबंध में 94,466 रु० का विभेदक अतिरिक्त शुल्क भी वसूल किया (दिसम्बर 1980)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1981)।

(घ) मार्च 1977 में जारी किये कार्यकारी अनुदेशों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि एल्यूमिनियम की कतरनों को कच्चे एल्यूमिनियम के समान समझा जाना चाहिए। विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके मामले की फिर से जांच करने के बाद पुनः मार्च 1981 में एक टैरिफ सूचना जारी की गयी थी कि एल्यूमिनियम की कतरनों किसी भी कच्चे

रूप में एल्यूमिनियम हैं जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 27 (क) (i) के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार मार्च 1977 के बाद आयातित एल्यूमिनियम की कतरनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 27 के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क लगना था।

फरवरी 1980 में आयातित 15 मीटरी टन वजन के एल्यूमिनियम कतरनों के एक परेषण का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 76.01 (1) के अन्तर्गत सीमा शुल्क के लिए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत सहायक शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क के लिए निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा ने बताया (जुलाई 1980) कि कार्यकारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए एल्यूमिनियम की कतरनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 की बजाये मद 27 (क) (i) के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना चाहिए था।

इससे 89,975 रु० का कम अतिरिक्त शुल्क लगा जिसके लिये अगस्त 1980 में मांग जारी कर दी गई थी।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1981)।

(ड) ऐस्बेस्टास सीमेंट उत्पादों के अतिरिक्त, अन्य खनिज फाइबर और धागे वाली विनिर्मित वस्तुओं पर उनके आयात किये जाने पर, मार्च 1979 से पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 22-ब के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क प्रभावी था।

एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जुलाई 1977 में आयातित 2.80 लाख रु० मूल्य के तांबे से आवृत एपाक्सी लेमिनेट्स के एक परेषण का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 74.04/05 के अन्तर्गत निर्धारण किया गया था किन्तु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया था। लेखापरीक्षा ने अतिरिक्त शुल्क न लगाये जावे का औचित्य सिद्ध करने के लिए विभाग से अनुरोध किया था (जनवरी 1978)। अगस्त 1980 में एक टैरिफ सूचना जारी की गई थी जिसमें यह आदेश दिया गया था कि 1 मार्च 1979 से पहले आयात की गई ऐसी वस्तुओं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 22-ब के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इस कारण कम लगाये शुल्क की राशि

73,534 रु० बनी। जारी की गई मांगों और उनकी वसूली के बारे में विवरण अपेक्षित है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(च) फोटो कापी बनाने वाले उपकरणों पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के शीर्षक 90.10 के अंतर्गत मूल सीमा शुल्क निर्धार्य है तथा इसके अतिरिक्त कार्यालय मशीन और उपकरणों के मामले में प्रभावी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 33-घ के अन्तर्गत सहायक शुल्क और अतिरिक्त शुल्क लगता है।

एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जून 1979 में आयातित "अमोनिया प्रिंटिंग मशीन" के रूप में वर्णित डियाजो प्रिंटिंग मशीन और सहायक पुर्जों पर मूल सीमाकर शुल्क ठीक रूप से निर्धारित किया गया था किन्तु अतिरिक्त शुल्क के लिये इसे "वे सभी सामान जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों" के रूप में मद 68 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था तथा मद 33-घ के अंतर्गत 20 प्रतिशत के बजाय 8 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था।

यह अप्रैल 1980 में लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था। तथ्यों की पुष्टि करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि 69,499 रु० का विभेदक शुल्क आयातकर्ता द्वारा अदा कर दिया गया था।

(छ) आयात किए जाने पर एच एस डी आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 8 के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क लगता है। यह शुल्क बढ़ाकर 1 मार्च, 1979 से 500 रु० प्रति किलोलीटर कर दिया गया था। 1 मार्च, 1979 को और उसके बाद कुछ मौकों पर भांडागार से निकासी किये गये एच एस डी आयल पर पुरानी दर से शुल्क लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 60,656 रु० का कम शुल्क लगा।

जून 1980 और सितम्बर 1980 में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था। तथ्यों की पुष्टि करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि 60,656 रु० का विभेदक शुल्क आयातकर्ता द्वारा अदा कर दिया गया था।

(ज) शीतल और वातानुकूलन उपकरणों के पुर्जों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 29-का के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क निर्धार्य है। मई 1977 में आयातित एक हस्तचालित विद्युत रेगुलेटर जिसे विवरण में मोटर को जाने वाले विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये (तथा अधिक भार रक्षक यंत्र के रूप में) विद्युत रेगुलेटर बताया गया था, पर आयात शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 85.18/27(1) के अंतर्गत 60 प्रतिशत यथामूल्य की दर से शुल्क तथा 15 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से सहायक शुल्क लगाया गया था किन्तु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया। चूंकि यह उपकरण अधिक भार रक्षक यंत्र था इसलिए इस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 29-का (3) के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (नवम्बर 1977) विभाग ने कम लगाये गये 60,178 रु० के शुल्क के लिये मांग जारी कर दी। वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(झ) एक प्रमुख सीमा शुल्क गृह में, उच्च घनत्व पोलिथिलीन गढ़ाई चूर्ण, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 15-का (1) के अंतर्गत निर्धार्य था, की अप्रैल 1980 में निकासी की गई थी। आगम पत्र में शुल्क की सही दर उल्लिखित की गई थी किन्तु शुल्क की गणना वास्तव में इसमें पहले दर्ज 27 प्रतिशत की दर से की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 57,103 रु० का कम शुल्क लगा।

यह मामला लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर (अक्तूबर 1980) विभाग ने विभेदक अतिरिक्त शुल्क वसूल कर लिया (अक्तूबर 1980)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (सितम्बर 1981)।

(ञ) सितम्बर 1976 में आयातित 'इन्सुलेटिंग मेटिरियल-पालियेस्टर फिल्म कोटेड प्रेस्पान' के रूप में वर्णित माल पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के शीर्षक 39.01/06 के अंतर्गत सीमा शुल्क लगाया गया था किन्तु अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया था।

लेखापरीक्षा ने बताया (नवम्बर 1976) कि चूंकि आयातित सामग्री प्लास्टिक लेपित कागज था इसलिए इस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 17(2) के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना चाहिए था। विभाग ने अतिरिक्त शुल्क न लगाये जाने को यह कहते हुए उचित ठहराया कि आयातित सामग्री ट्रिफ्लेक्स पुकारो कागज से मिलती जुलती थी जिस पर बोर्ड द्वारा दिसम्बर 1976 में जारी की गई टैरिफ सूचना को देखते हुए अतिरिक्त शुल्क उद्ग्राह्य नहीं था।

अक्तूबर 1977 में, बोर्ड ने एक टैरिफ सूचना जारी की कि पोलिथिलीन टेरेफ्थलेट लेपित कागज और ट्रिफ्लेक्स पुकारो प्रेसपान कागज को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 17(2) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। सूचना विधि मंत्रालय के इस मत पर आधारित थी कि सभी कागज और पेपर बोर्ड जिन्हें विभिन्न प्रकार से संसाधित किया गया है, इस मद के अंतर्गत आयेंगे।

चूंकि बोर्ड की संशोधित सूचना में लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण की पुष्टि कर दी गई थी, इसलिए विभाग से निर्धारणों की फिर से जांच करने और अतिरिक्त शुल्क वसूल करने का अनुरोध किया गया था किन्तु विभाग ने उत्तर दिया कि माल, टैरिफ सूचना जारी होने से पहले आयातित किया गया था इसलिए इस मामले में नई टैरिफ सूचना लागू नहीं होगी।

चूंकि लेखापरीक्षा की टिप्पणी की टैरिफ सूचना द्वारा पुष्टि कर दी गई थी इसलिए विभाग द्वारा फिर से निर्धारण किया जाना चाहिए था और अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाना चाहिए था। इस मामले में कम लगाये गये शुल्क की राशि 17,600 रु० थी।

अक्तूबर 1976 से सितम्बर 1977 तक की अवधि से संबंधित इसी प्रकार की सामग्री के आयात के बारे में टैरिफ जारी होने के बाद उठाई गयी लेखापरीक्षा आपत्तियों के अंतर्गत कम लगाये शुल्क की राशि 1.67 लाख रु० थी।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(ट) अधिसूचना सं० 148 सीमाशुल्क दिनांक 2 अगस्त 1976 के द्वारा सल्फर को, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक

25.01/32 के अंतर्गत उद्ग्राह्य सीमा शुल्क के भुगतान से छूट दे दी गई है किन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अंतर्गत सहायक शुल्क या अतिरिक्त शुल्क से कोई छूट नहीं है।

1979 से 1981 तक की अवधि के दौरान ईराक से आयातित 1,03,860 मीटरी टन सल्फर की निकासी सहायक शुल्क का भुगतान करने के बाद कर दी गई थी। माल को शीर्षक 25.01/32(ii) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था किन्तु अतिरिक्त शुल्क इस धारणा के आधार पर नहीं लगाया गया था कि अतिरिक्त शुल्क के लिये सल्फर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अंतर्गत अतिरिक्त कर से पूरी छूट है। मद 68 एक अवशिष्ट मद है जिसे केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जबकि कोई अन्य मद लागू न की जा सके। सल्फर हालांकि खनन से प्राप्त होता है किन्तु यह अम्लीय कच्चे तेल को परिशोधित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। कच्चे तेल से प्राप्त सल्फर को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 11-का के अंतर्गत वर्गीकरणीय है जो कि कच्चे पेट्रोल को परिशोधित करके प्राप्त किए गए सभी उत्पादों के लिये विशिष्ट मद है। चूँकि आयात ईराक से किया गया था इसलिए उक्त सल्फर स्पष्टतः कच्चे तेल को परिशोधित करके निकाला गया था और इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 11-का के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था और उस पर 20 प्रतिशत यथामूल्य तथा 190 रु० प्रति मीटरी टन की दर से अतिरिक्त शुल्क और मूल शुल्क के रूप में 5 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने बताया कि इस संबंध में कम लगाये गये शुल्क की राशि 462 लाख रु० थी (मार्च 1981)।

वित्त मंत्रालय ने उत्तर में बताया है (दिसम्बर 1981) कि आयात को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की टैरिफ की मद 11-का के अंतर्गत वर्गीकृत करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस उत्पाद को उद्योग में कच्चे पेट्रोल से प्राप्त वस्तु माना जाता है या पत्थरों से प्राप्त वस्तु। यह भी बताया गया था कि उद्योग में इसे कभी भी पेट्रोलियम पर आधारित उत्पाद नहीं माना जाता है चाहे इसका स्रोत कोई भी हो। इस आधार पर वित्त मंत्रालय ने बताया कि रिफाइनरी गैसों से प्राप्त सल्फर अब भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ

की मद 68 के अंतर्गत आयेगा न कि मद 11-का (5) के अंतर्गत। यह मत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 11-का के अंतर्गत स्पष्ट रूप से, कच्चे पेट्रोल और पत्थरों के परिशोधन से प्राप्त सभी उत्पाद (गैसीय, तरल, अर्ध ठोस या ठोस रूप में) आते हैं। एक बार यह स्वीकार कर लेने पर कि इस मामले में, आयातित सल्फर कच्चे पेट्रोल को परिशोधित करके प्राप्त किया गया है, माल का मद 11-का के अंतर्गत वर्गीकरण अनियमित नहीं ठहराया जा सकता और इस प्रकार मद 68 लागू नहीं होगी।

वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया है (दिसम्बर 1981) कि इस मामले पर टैरिफ सम्मेलन में विचार किया जा सकता है।

(ठ) तांबे/तांबा मिश्र के कुछ उत्पादों के आयात पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 26-का के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क इस आधार पर नहीं लगता कि न तो वे कच्चे रूप (अर्थात् बिना गढ़े हुए) में थे जो उक्त मद की उपमद (i) के अंतर्गत आते हैं और न ही उक्त मद की उपमद 1 (क), (2) या (3) में निर्दिष्ट रूप में थे। लेखापरीक्षा द्वारा यह बताया गया (मई 1971) कि चूंकि उपरोक्त माल पर किसी न किसी समय उनके 'कच्चे रूप' पर शुल्क लगाया गया होगा इसलिए अतिरिक्त शुल्क उद्ग्राह्य था।

विभाग द्वारा मामले की जांच की गई थी (मई 1980) और निर्णय किया गया था कि उपरोक्त उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 26-का (1) के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क प्रभाष्य था। आयात के 11 मामलों में 94,150 रु० के कम संग्रहण को वसूल करने के लिये विभाग द्वारा कार्यवाही शुरु कर दी गई है। दो अन्य मामलों में विभाग द्वारा आपत्ति को स्वीकार करने और 6,859 रु० की वसूली के संबंध में विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है (दिसम्बर 1981) कि विभाग द्वारा मई 1980 में किये गये निर्णय की बोर्ड के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विंग द्वारा पुष्टि की जानी है तथा मामले पर कार्यवाही की जा रही है।

(ड) कम्प्यूटर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 84.51/55 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं।

(i) एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सितम्बर 1979 में आयातित 8.85 लाख रु० मूल्य के लाजिक कम्प्यूटर को वायुयान के फालतू पुर्जे मान कर शीर्षक 88.01/03(2), के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था। लेखापरीक्षा ने बताया (मार्च 1980) कि माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 33-घघ के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क लगेगा क्योंकि सभी प्रकार के कम्प्यूटर इस मद के अंतर्गत आते हैं। सीमा शुल्क के प्रयोजन से कम्प्यूटरों को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के शीर्षक 88.01 के अंतर्गत वर्गीकृत करने पर भी आपत्ति की गई है।

विभाग ने दो कम प्रभार मांगें—एक सामान को कम्प्यूटर मान कर 3.30 लाख रु० की और दूसरी सामान को नौपरिवहन के लिये सहायक उपकरण मानकर 6.40 लाख रु० की—जारी कीं।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के एक दूसरे उपक्रम द्वारा जनवरी 1981 में आयातित 'कम्प्यूटर उप प्रणाली, के दो परेषणों का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 33-घघ के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क सहित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 84.51/55(2) के अंतर्गत निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा ने अधिसूचना 69/80 दिनांक 19 जून 1980 के अंतर्गत विशेष उत्पाद शुल्क न लगाने का मामला ध्यान में लाया था (जून 1981), जिसके परिणामस्वरूप 65,257 रु० का कम शुल्क लगाया गया था। इस रकम की अक्तूबर 1981 में वसूली कर ली गई थी।

वित्त मंत्रालय ने उपर्युक्त उप-पैरा (ii) के संबंध में तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1981)। उपरोक्त उप-पैरा (i) में निर्दिष्ट मामले के संबंध में वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि चूंकि वर्गीकरण का मामला संदेहपूर्ण है इसलिए इसे टैरिफ सम्मेलन के पास भेजा जा रहा है।

1.06 सामान के गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क का लगाया जाना।

18 मामलों की नमूना लेखापरीक्षा के समय निर्धारण के दौरान, सामान के गलत वर्गीकरण के कारण 13.59 लाख रु० का कम शुल्क लगाये जाने का पता चला। इनमें से प्रत्येक मामले में कम लगाये गये शुल्क की राशि 10,000 रु० से अधिक थी। इनमें से कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है :—

(क) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत उसमें निर्दिष्ट अनुपात में एक या इससे अधिक तत्वों वाला इस्पात 'मिश्र इस्पात' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। निर्दिष्ट तत्वों में एक तत्व सल्फर है।

जुलाई 1980 में आयातित 36.75 लाख रु० मूल्य के आटो मोबाइल रिम-बार सेक्शनों के दो परेपणों पर उपयुक्त अतिरिक्त शुल्क लगाते हुए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 73.11 के अन्तर्गत शुल्क निर्धारित किया गया था।

आगम पत्र में निर्दिष्ट इस्पात के रासायनिक संघटन के अनुसार, इस्पात में सल्फर तत्व 0.37 प्रतिशत से 0.52 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने बताया (जनवरी 1981) कि सामान अधिवृचना सं० 77-सीमाशुल्क दिनांक 18 जून 1977 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 73.15 (1) के अन्तर्गत मिश्र इस्पात के रूप में वर्गीकृत करना अधिक उपयुक्त होगा और साथ ही समुचित अतिरिक्त शुल्क लगाना चाहिए। विभाग ने 1.83 लाख रु० की मांग जारी कर दी (जनवरी 1981); वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1981)।

(ख) अक्टूबर 1974 में आयातित "फायर होज पी 5 क्रेश रेस्क्यू वाहन" पर मूल रूप से प्रमुख वाहन के रूप में भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की मद 75 के अन्तर्गत 60 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ मद 34 (4) के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से अतिरिक्त

शुल्क निर्धारित किया गया था। सामान का मशीनरी के रूप में फिर से निर्धारण किया गया था - चैसिस भाग पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 72 (क) के अन्तर्गत (40 प्रतिशत यथा मूल्य) और मद 34 (4) के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क (12.5 प्रतिशत यथामूल्य) तथा चैसिस को छोड़कर अग्निशमन उपस्कर पर बिना अतिरिक्त शुल्क लगाए, मद 72 (क) के अंतर्गत शुल्क लगाया गया था। पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप विभेदक शुल्क अप्रैल 1976 में वापस कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने बताया (जुलाई 1976) कि विवरण सामग्री तथा फाइल में उपलब्ध अन्य सूचना के आधार पर आयातित वाहन मुख्य रूप से ध्वंस बचाव वाहन जान पड़ता था, इसकी अग्निशमन की उपयोगिता गौण थी। इसलिए यूनिट का, अतिरिक्त शुल्क सहित मद 75 के अन्तर्गत निर्धारण, जैसाकि मूल रूप से किया गया था, उचित था। चैसिस के अलग निर्धारण के सम्बन्ध में यह बताया गया था कि मद 75 ज्यादा उपयुक्त होगी क्योंकि अतिरिक्त शुल्क के उद्देश्य से इसे मोटर वाहन माना गया था।

वाहन का निरीक्षण करने के बाद विभाग ने मामले की फिर से विस्तार-पूर्वक जांच की और बताया (दिसम्बर 1977) कि अग्निशमन उपस्कर वाहन का मुख्य भाग नहीं था अपितु इसमें वाहन के ऊपर लगाई गई विभिन्न वस्तुएं शामिल थीं जिन पर मद 77 या 77 (क) के अन्तर्गत 60 प्रतिशत 15 जमा प्रतिशत यथामूल्य आयात शुल्क लगना चाहिए था। इसके चैसिस के भाग के सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली गई थी (दिसम्बर 1977) और निर्धारण मद 75 के अन्तर्गत किया गया था इन निर्धारणों के आधार पर 1.42 लाख रु० का कम संग्रहण परिकलित किया गया था और आयातकर्त्ताओं से यह राशि स्वेच्छापूर्वक अदा करने का अनुरोध किया गया था (दिसम्बर 1977), वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(ग) फरवरी 1978 में आयातित 2.11 लाख रु० मूल्य की एक 'निवोबा रेस्प' मशीन पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के

शीर्षक 84.59 (1) के अन्तर्गत 40 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क लगाया गया था। 74,033 रु० के कम उद्ग्रहण के बारे में बताते हुए आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग ने शीर्षक 84.30 (i) के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण का सुझाव दिया। तथापि मूल निर्धारण की पुष्टि इस आधार पर की गई थी कि स्टार्च का उत्पादन शीर्षक 84.30 (i) में निर्दिष्ट उद्योग नहीं है और मशीन सब्जियों को पीसने और काटने के लिए नहीं है।

उपलब्ध तकनीकी विवरण सामग्री से पता चला कि मशीन टैपियोका जड़ों या आलुओं को छीलने के लिये थी और तीव्र गति से दूसरी बार छीलने पर बहुत अच्छी लुगदी तैयार कर सकती थी। फल या सब्जियां तैयार करने वाली मशीनों की श्रेणी के अन्तर्गत दी गई व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार मैनियों (टैपियोका) को पीसने और काटने की मशीनें विशिष्ट रूप से शीर्षक 84.30 के अन्तर्गत आती है। ग्रेटिंग का अर्थ होता है 'तेजी से पीसना'। छीलने का भी अर्थ होता है 'मोटी रेती से घिसकर पीसना'। इसलिये लेखापरीक्षा द्वारा यह बताया गया था (मई 1978) कि टैपियोका को छीलने वाली रास्पिंग मशीनरी को शीर्षक 84.30 के अन्तर्गत वर्गीकृत करना ज्यादा उपयुक्त होगा।

वाद में, विभाग इस नतीजे पर पहुँचा कि आलुओं और इसी प्रकार के सामान को पीसने के लिए प्रयोग की जाने वाली निवोबा रास्पिंग मशीन को शीर्षक 84.30 (1) के अन्तर्गत वर्गीकृत करना ज्यादा उपयुक्त था। गलत वर्गीकरण के कारण 74,033 रु० का कम संग्रहण हुआ जिसकी अभी तक वसूली नहीं हुई है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(घ) फिसलने वाले कपड़े (ग्लास फेब्रिक्स) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 22 - च के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं। तथापि एपाँक्सी रेजिन संसाधित फिसलने वाले कपड़े केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 22-ख के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है।

जनवरी 1980 में आयातित "एपाक्सी रेजिन प्रि-इम्प्रिग्नेटैड बोलन शोधित ग्लास वस्त्र" के एक परेक्षण का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की

मद 22-च के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क सहित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के शीर्षक 70.20 के अन्तर्गत निर्धारण किया गया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा ने शुल्क की सही दर मद 70.20 के अन्तर्गत बताई (जून 1980)। इसके फलस्वरूप 1.18 लाख रु० का अधिक शुल्क लगाया गया। लेखापरीक्षा ने बताया (जून 1980) कि सामान पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 22-च के बजाय मद 22-ख के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क प्रभाय था। इससे 62,794 रु० का कम शुल्क लगाया गया। विभाग ने यह वसूली अधिक लगाए गये शुल्क के प्रति समायोजित कर दी।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1981)

(इ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत शुल्क के भुगतान की तिथि से 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके भीतर विभाग को, शुल्क न लगाये जाने या कम लगाये जाने के कारण, जैसा भी मामला हो, निर्धारण से छोटे शुल्क के किसी भाग को वसूल करने के लिये मांग जारी करनी चाहिये।

जुलाई 1976 में आयातित "वेट्रसेट चद्दरे" के रूप में वर्णित एक परेषण पर भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ की मद 87 के अन्तर्गत शुल्क लगाया गया था किन्तु अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया। आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग ने सांविधिक समय सीमा से पहले ध्यान दिलाया (सितम्बर 1976) कि सामान पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 22-च के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

मार्च 1977 में लिये गये नमूनों के आधार पर उपमुख्य रसायनी की सलाह लेने के बाद (अप्रैल 1977) विभाग ने सामान पर भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ की मद 82 (3) (ख) के अन्तर्गत फिर से शुल्क निर्धारित किया और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 15-का (2) के अन्तर्गत 40 प्रतिशत यथा मूल्य अतिरिक्त शुल्क लगाया। अगस्त 1977 में, 46,213 रु० के विभेदक शुल्क को स्वेच्छापूर्वक भुगतान के लिये किये गये अनुरोध को आयातकर्ता ने स्वीकार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 46,213 रु० के राजस्व की हानि हुई।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(च) कढ़ाई मशीनों के पुर्जे और सहायक उपकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के शीर्षक 84.38 (2) के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है।

तथापि कढ़ाई मशीनों के लिये नवम्बर 1979 में आयातित फालतू पुर्जों को, सामान्य उद्देश्य वाली कपड़ा मशीनरी की सहायक मशीनरी के रूप में शीर्षक 84.38 (1) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 33,830 रु० का कम शुल्क लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अप्रैल 1980) विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली; वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1981)।

(छ) कोई विशेष कार्य करने वाली मशीनें और यांत्रिक उपकरण जो किसी वस्तु के उत्पादन के लिये अभिकल्पित किये गये हैं, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 84.59 (1) के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है।

(i) फिल्म काटने वाली मशीन, कटाई ही जिसका एक मात्र कार्य है और जो किसी वस्तु के उत्पादन के लिये अभिकल्पित नहीं की जाती है, को शीर्षक 84.59 (1) के अन्तर्गत वर्गीकृत करना होता है। तथापि जनवरी 1979 में आयातित एक फिल्म काटने वाली मशीन पर शीर्षक 84.45/48 जिसके अन्तर्गत केवल मशीनी औजार आते हैं, के अन्तर्गत शुल्क लगाया गया था।

इस बात की ओर लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर (मई 1979), विभाग ने 1.61 लाख रु० का विभेदक शुल्क वसूल कर लिया (अक्तूबर 1980)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(ii) 'आन्तरिक मिश्रक के लिये लुब्रिकेटिंग एसेम्बली' के रूप में वर्णित उपस्कर पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 1

84.59 (2) के अन्तर्गत 40 प्रतिशत यथा मूल्य शुल्क लगाया गया था जबकि इस पर शीर्षक 84.59 (1) के अन्तर्गत 60 प्रतिशत यथामूल्य की ऊंची दर पर शुल्क लगाना चाहिए था। 1.38 लाख रु० के कम शुल्क के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर (जनवरी 1980) विभाग ने इस राशि के लिये मांग जारी कर दी (फरवरी 1980); वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

यह मामला वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1981 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

(ज) सूक्ष्मदर्शी के प्रिज्मों पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के शीर्षक 90 के अन्तर्गत शुल्क लगाया जाता है। फ्रेम रहित और फ्रेम युक्त प्रिज्मों के लिये शुल्क की अलग अलग दरें हैं। फ्रेम रहित प्रिज्मों के लिये शुल्क की दर फ्रेम युक्त प्रिज्मों से अधिक है।

1979 में आयातित प्रिज्म, हालांकि फ्रेम रहित थे किन्तु उन पर कम दर से शुल्क लगाया गया था और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप 30,633 रु० कम शुल्क लगा। यह बात लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाई गई थी (दिसम्बर, 1980)।

वित्त मंत्रालय ने उत्तर में बताया है (दिसम्बर 1981) कि चूकि वर्गीकरण संदिग्ध है इसलिये मामले की और जांच करने का प्रस्ताव है।

1.07 छूट अधिसूचनाओं को गलत रूप से लागू करना

नमूना लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया था कि छूट अधिसूचनाओं को गलत रूप से लागू करने के कारण 92.78 लाख रु० का कम शुल्क लगाया गया। यह 13 मामलों से सम्बन्धित था, जिनमें से प्रत्येक में कम शुल्क की राशि 10,000 रु० से अधिक थी। इनमें से कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:—

(क) सीमा शुल्क की टैरिफ के लिए बनाए गये नियमों के अनुसार, ऐसे सामान, जो विभिन्न सामग्रियों से बने होते हैं और

टैरिफ की किसी-विशिष्ट मद के अन्तर्गत नहीं आते उन्हें उस सामग्री के रूप में लिया जायेगा जिससे उनका प्रमुख स्वरूप प्रकट होता है।

एक पैकिंग कम्पनी द्वारा अक्टूबर, 1979 में आयातित कागज, पॉलिथिलीन प्लास्टिक फिल्म, एल्यूमिनियम पन्नी और पॉलिथिलीन प्लास्टिक फिल्म की अनुवर्ती परतों वाली मिश्रित पन्नी के एक परेषण का, 'अमृदित लेमिनेट एल्यूफायल' के रूप में घोषित करके सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के शीर्षक 76.03/04(2) के अन्तर्गत निर्धारण किया गया और 97 प्रतिशत एल्यूमिनियम से अधिक मात्रा वाले और निक्षारित एल्यूमिनियम पन्नी के लिये अगस्त, 1977 में अधिसूचित 27.5 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से शुल्क लगाया गया तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 27 (ग) के अन्तर्गत 24 प्रतिशत यथा मूल्य और 600 रु० प्रति मीटरी टन की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था। 5 प्रतिशत विशेष उत्पाद शुल्क सहित और 40 प्रतिशत की बढ़ी दर से अतिरिक्त शुल्क लगाकर निर्धारण को संशोधित कर दिया गया था और 47,000 रु० की मांग के लिए एक कारण बताओ नोटिस दिसम्बर, 1979 में जारी किया गया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा की सलाह के आधार पर मार्च, 1980 में सामान को शीर्षक 39.01/06 के अन्तर्गत फिर से वर्गीकृत करने के कारण 3.25 लाख रु० की मांग के बारे में दूसरा कारण बताओ नोटिस इस आधार पर जारी किया गया था कि पन्नी में मुख्य सामग्री प्लास्टिक फिल्म थी।

लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था (मई 1980) कि (i) यदि सामान का मुख्य स्वरूप एल्यूमिनियम तत्वों से प्राप्त हुआ था तो उनका वर्गीकरण शीर्षक 76.03/04(2) के अन्तर्गत किया जाना चाहिए, (ii) इस मामले में, पन्नी के संघटन में 32.4 प्रतिशत कागज, 49.4 प्रतिशत प्लास्टिक और 18.2 प्रतिशत एल्यूमिनियम था, इसलिये यह मत व्यक्त किया गया था कि उन पर 20 प्रतिशत यथा मूल्य सहायक शुल्क सहित 100 प्रतिशत यथामूल्य की मानक दरों से शुल्क लगेगा न कि 27.5 प्रतिशत यथामूल्य की रियायती दर से, क्योंकि एल्यूमिनियम तत्व 97 प्रतिशत से कम था और (iii) अतिरिक्त

शुल्क की सही दर 5 प्रतिशत विशेष उत्पाद शुल्क सहित 32 प्रतिशत यथा मूल्य थी। तथापि, मामले की फिर से जांच करने के बाद आन्तरिक लेखापरीक्षा ने सूचित किया कि रासायनिक जांच कर्ता की राय के आधार पर इस सामान को सम्मिश्रण कागज माना जाना चाहिए और इसलिए, उन पर शीर्षक 48.01/21(1) के अन्तर्गत शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मद 17(2) के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के कहने पर (नवम्बर 1980) बोर्ड द्वारा मुख्य रसायनी को पत्र लिखने पर उसने मत व्यक्त किया कि उत्पाद को प्रचलित एल्यूमिनियम पन्नी माना जाना चाहिए जो कि अगस्त 1977 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत रियायती शुल्क दर के लिए ग्राह्य नहीं है, जैसा कि लेखापरीक्षा ने तर्क दिया था। कम लगाया शुल्क 2.52 लाख रु० था, वसूली के विवरण की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(ख) एल्यूमिनियम तार छड़ों पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 76.02 के अन्तर्गत शुल्क लगता है, शुल्क की मानक दर 60 प्रतिशत यथा मूल्य है। 18 अप्रैल 1980 को जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत एल्यूमिनियम तार छड़ों को उन पर उद्ग्राह्य सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। दो अधिसूचनार्थ 29 अगस्त 1980 को जारी की गई थी—एक अधिसूचना में 18 अप्रैल 1980 को जारी की गई अधिसूचना को रद्द किया गया था और दूसरी में सामान को 12.5 प्रतिशत यथा मूल्य से अधिक दर पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से छूट दी गई थी। एक और अधिसूचना 9 सितम्बर 1980 को जारी की गई थी जिसके द्वारा एल्यूमिनियम तार छड़ों को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। इस प्रकार 29 अगस्त 1980 से 8 सितम्बर 1980 तक की अवधि के दौरान आयातित एल्यूमिनियम तार छड़ों पर 60 प्रतिशत यथामूल्य सीमाशुल्क (सहायक शुल्क 15 प्रतिशत यथा मूल्य) और 12.5 प्रतिशत यथा मूल्य अतिरिक्त शुल्क लगना था।

29 अगस्त, 1980 को आयातित 86.46 लाख रु० मूल्य के एल्यूमिनियम तार छड़ों के एक परेषण पर 18 अप्रैल 1980 की अधिसूचना के अंतर्गत कोई शुल्क नहीं लगाया गया था।

लेखापरीक्षा ने बताया (जनवरी 1981) कि सामान पर उपरोक्त दरों पर शुल्क लगेगा। इस सम्बन्ध में कम लगाये गये शुल्क की राशि 83.76 लाख रु० बनी।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि कम लगाये गये शुल्क को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके लिये आयातकर्ताओं को निश्चित मांग जारी कर दी गई है (दिसम्बर, 1981)।

(ग) नवम्बर 1978 में आयातित "पी० वी० सी० कम्पाउण्ड" के एक परेषण पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 39.01 के अन्तर्गत 60 प्रतिशत यथा मूल्य और 27 जुलाई, 1978 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 15 प्रतिशत यथा मूल्य शुल्क लगाया गया था किन्तु 29 जुलाई, 1977 की एक अधिसूचना के अनुसार, इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ मद 15-का (1) के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क से छूट दे दी गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था (मई 1979) कि 27 जुलाई 1978 की छूट अधिसूचना केवल "पी० वी० सी० रेजिन्स" पर लागू होती है न कि उक्त सामान पर, जो कि, "पी० वी० सी० कम्पाउण्ड" हैं और इसलिये 88,302 रु० का कम शुल्क लगाया गया था। विभाग ने यह राशि वसूल कर ली थी (मार्च 1981)

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अक्टूबर 1981)।

(घ) वायरलैस उपस्करों सहित सिगनल उपस्करों और उनके पुर्जों, जो अनन्यतः रक्षा सेवाओं द्वारा प्रयोग किये जाते हैं, का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति है। सीधी लम्बाई वाले प्लास्टिक स्लीविज जिन्हें "ए० पी० एस० ओ० एच० ट्रान्स-रिसीवर के पुर्जों" के रूप में वर्णित किया गया था और अनन्यतः रक्षा सेवाओं द्वारा प्रयोग किये जाने के लिये सिगनल उपस्कर/वायरलैस उपस्कर के विनिर्माण हेतु एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा फरवरी 1980 में आयात किया गया था, को शुल्क से मुक्त करके आयात करने की अनुमति दे दी गई थी। लेखापरीक्षा ने ध्यान दिलाया (जुलाई 1980) कि चूकि उक्त सामान सीधी लम्बाई वाला था और उस पर पुर्जों की संख्या नहीं लिखी हुई थी

इसलिए यह कच्ची सामग्री थी न कि सिगनल/वायरलैस उपस्करों के पुर्जे और, इसलिये ऊपर 71,810 रु० का शुल्क वसूल किया जाना चाहिए था। विभाग ने राशि वसूल कर ली (सितम्बर 1980)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अक्टूबर 1981)।

(ड). मुख्यतः आइसोप्रोपाइल ऐलकोहल संघटन से बने एक रंगहीन द्रव "थिनर" के एक परेषण पर, जो कि अक्टूबर 1974 में आयातित किया था, 5-9-1970 की छूट अधिसूचना के अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की मद 22(4)(ख) के अंतर्गत 75 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क लगाया गया था। चूंकि द्रव में प्रयुक्त वस्तुओं की मात्रा मालूम नहीं थी और आयातित सामग्री शुद्ध आइसोप्रोपाइल ऐलकोहल नहीं थी बल्कि अन्य तत्व युक्त आइसोप्रोपाइल ऐलकोहल थी, इसलिए लेखापरीक्षा ने यह ध्यान दिलाया था (जुलाई 1978) कि "थिनर" पर अधिसूचना के अंतर्गत रियायती दर से शुल्क निर्धारणीय नहीं था बल्कि उस पर 60 रु० प्रति लिटर की मानक दर से अथवा 170 प्रतिशत यथामूल्य की दर से, जो भी अधिक हो, शुल्क लगाया जाना चाहिए था और 5 प्रतिशत के सहायक शुल्क सहित मद 22 (4) (ख) के अंतर्गत 5 रु० प्रति लिटर की दर से शुल्क लगाया जाना चाहिए था। छूट स्वीकृत कर देने के कारण 42,866 रु० कम शुल्क लगा।

उसी आगम पत्र के जरिये "आलफा मिल फार्म फ्लक्स" की निकासी की गई थी। विभाग ने सामग्री पर जनवरी 1977 में फिर से शुल्क निर्धारित किया। देय शुल्क और पहले अदा किए गए शुल्क में अन्तर की गलत गणना के कारण 10,000 रु० का कम संग्रहण किया गया।

विभाग ने जुलाई 1978 की लेखापरीक्षा आपत्ति जिसमें 52,866 रु० के कम लगाये गए शुल्क की ओर ध्यान दिलाया गया था, अक्टूबर 1979 और दिसम्बर 1980 में स्वीकार कर ली थी। गणना की गलती के कारण 10,000 रु० का कम संगृहीत शुल्क अगस्त, 1979 में वसूल कर लिया गया था, शेष राशि की वसूली के विवरण की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(च) मार्च, 1970 में जारी की गई एक अधिसूचना के अंतर्गत "रुई धुनने की मशीनरी" अन्यथा लागू 40 प्रतिशत यथामूल्य की मानक दर के बजाय 27.5 प्रतिशत यथामूल्य की सीमा शुल्क की रियायती दर के लिये ग्राह्य हैं।

एक कपड़ा मिल द्वारा नवम्बर, 1974 में आयातित "लैप फार्मर्स" जिन पर प्रारम्भ में 40 प्रतिशत यथा मूल्य की मानक दर से शुल्क लगाया गया था, बाद में आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये (मई 1975) दावे के आधार पर, इसे "धुनने की मशीनरी" मान कर रियायती दर से शुल्क लगाया। 22,492 रु० का प्रतिदाय दे दिया गया था। प्रतिदाय के बारे में लेखापरीक्षा ने इस आधार पर आपत्ति की थी (मार्च 1976) कि रियायती दर धुनने की मशीनरी पर तभी लागू होती है यदि यह इसी रूप में पूर्ण हालत में आयात की गई हो, न कि अलग से आयात किये गये "लैप फार्मर्स" पर।

सामले की विभाग ने जांच की थी तथा लेखापरीक्षा के मत की पुष्टि की थी; वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(छ) दिनांक 2 अगस्त 1976 की अधिसूचना संख्या 394—सीमा शुल्क के अंतर्गत, मापने के उपकरणों पर और ऐसे उपकरणों पर जो मापने और जांच करने के काम आते हैं, 40 प्रतिशत यथा मूल्य से अधिक उद्ग्राह्य शुल्क से मुक्त हैं।

अगस्त 1979 में आयातित रोलरों और सुइयों के लिए जांच करने और छंटाई करने की स्वचालित मशीन के एक परेषण पर उपर्युक्त अधिसूचना के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 90.16 (1) के अंतर्गत 40 प्रतिशत यथा मूल्य सीमा शुल्क लगाया गया था और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अंतर्गत 5 प्रतिशत यथा मूल्य सहायक शुल्क और 8 प्रतिशत यथामूल्य अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था।

विभाग से इस बात की जांच करने का अनुरोध किया गया था (फरवरी 1980) कि क्यों न उस सामान पर शीर्षक 90.28 (1) S/38 C & AG/81.—3.

के अंतर्गत 60 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर शुल्क लगाया जाये। उत्तर में, विभाग ने बताया (नवम्बर 1980) कि चूकि सामान, जांच करने के उपकरण हैं इसलिए उस पर शीर्षक 90.16 (2) के साथ पठित शीर्षक 90.28 (4) के अंतर्गत 40 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क की दर पर शुल्क सही रूप से निर्धारणीय होगा।

सूची में उक्त सामान को "बेरिंग रोलरों, मुइयों आदि के लिये मापने और छंटाई करने की स्वचालित मशीन" के रूप में वर्णित किया गया है। आयातित सामान, बेरिंग रोलरों और मुइयों के लिए मापने और छंटाई करने की स्वचालित मशीन है तथा संघटकों की माप क्षमता 2 मि.मी. से 16 मि.मी. है। संघटकों को उनके परिमाण के अनुसार नापा जाता है तथा उपयुक्त कन्टेनरों में सरणीबद्ध किया जाता है। इस प्रकार, आयातित सामान माप और जांच उपकरण नहीं हैं बल्कि मापने और छंटाई करने की मशीन हैं और इसलिए यह शीर्षक 90.16 (2) के अंतर्गत नहीं आयेगा। आयातित सामान को शीर्षक 90.16 (1) के साथ पठित शीर्षक 90.28 (4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

आयातित सामान का 60 प्रतिशत यथा मूल्य के बजाय 40 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से गलत निर्धारण करने के कारण 1.44 लाख रु० का कम शुल्क लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने उत्तर में बताया है (दिसम्बर 1981) कि चूकि मामला संदिग्ध है इसलिए इसकी और जांच करने का प्रस्ताव है।

1.08 गलत निर्धार्य मूल्य अपनाए जाने के कारण कम शुल्क का लगाया जाना

नमूना लेखापरीक्षा के दौरान निर्धार्य मूल्य के गलत अवधारण के परिणामस्वरूप 29.08 लाख रु० के कम लगाये गए शुल्क का पता चला। यह 10 मामलों से संबंधित था जिनमें से प्रत्येक में कम लगाये गये शुल्क की राशि 10,000 रु० से अधिक थी। इनमें से कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है :—

(क) नवम्बर 1980 में आयातित "द्रव क्रिस्टलों" के एक परेषण पर 33,216.50 रु० के बीजक मूल्य के बजाय 3,786

रु० के गलत मूल्य पर शुल्क लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप 26,193 रु० का कम शुल्क लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस बात की ओर ध्यान दिलाय जाने पर (जून 1981) विभाग ने कम लगाया गया शुल्क वसूल कर लिया (जुलाई 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(ख) जनवरी 1979 में आयातित एपोफ्लेक्स फ़ैल्ट टैप के एक परेपण पर उसका मूल्य 3.55 लाख रु० मान कर शुल्क लगाया गया था जबकि उसका सही निर्धार्य मूल्य 3.84 लाख रु० था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जून 1979) विभाग ने बताया (मार्च 1981) कि 35,240 रु० के कम शुल्क के लिये मांग जारी की जा रही है; वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(ग) सरकारी विभागों की ओर से महानिदेशक, पूर्ति और निपटान द्वारा आयातित सामान पर देय विभागीय प्रभार, सामान पर देय शुल्क निश्चित करते समय, सामान के निर्धार्य मूल्य का एक अंग होता है। 1969 से एक लघुपत्तन के जरिये आयात किये गये "उर्वरकों" पर, उनके निर्धार्य मूल्य में विभागीय प्रभार जोड़े बिना शुल्क लगाया गया था।

उसी लघुपत्तन में उतराई प्रभार, जो सीमा शुल्क के उद्देश्य के लिए निर्धार्य मूल्य का अंग है, 1 मई 1972 से बढ़ा दिये गये थे। बढ़ी हुई संशोधित दर मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए नहीं अपनायी गई थीं।

विभागीय प्रभारों को न जोड़ने तथा उतराई प्रभारों की गलत दर अपनाए जाने के कारण कम संगृहीत शुल्क का मामला लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाया गया था (फरवरी 1974)। 1969 से निपटाये गये सभी आगम पत्रों की समीक्षा के बाद विभाग ने कम संगृहीत की गई

शुल्क की राशि 8.75 लाख रु० संगणित की और स्वेच्छापूर्वक भुगतान के लिए अनुरोध किया (अक्तूबर 1980)।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए वित्त मंत्रालय ने उत्तर में बताया है (दिसम्बर 1981) कि लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने से भी पहले सीमा शुल्क गृह ने गलतियों का पता लगा लिया था और प्रसंगाधीन पामलों की आवश्यक समीक्षा का काम प्रारम्भ कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया है कि कम संगृहीत शुल्क की राशि 8.26 लाख रु० बतायी गयी है और यह कि आयातकर्ता से यह राशि स्वेच्छापूर्वक भुगतान करने का अनुरोध कर दिया गया है।

(घ) जहाजों से माल उतारने की प्रक्रिया के दौरान अदा किये गये नौभरण (स्टीवीडोरिंग) प्रभार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत निर्धार्य मूल्य के अंग है।

1977 से अगस्त, 1978 के दौरान आयातित तथा भण्डारित एसिड ग्रेड फ्लुओरोस्फार के तीन परेषणों की, आन्तरिक खपत के लिए नवम्बर 1977 से मई 1979 तक की अवधि के दौरान निकासी की गई थी। सामान पर शुल्क, उनके निर्धार्य मूल्य में नौभरण प्रभार जोड़े बिना लगाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जून 1979 और मार्च 1980) विभाग ने 1.87 लाख रु० (फरवरी 1980) और 71,260 रु० (मई 1980) की मांगें जारी कर दीं। तथापि, पहली मांग में से विभाग ने 92,869 रु० की मांग की पुष्टि की (जुलाई 1981)। शेष राशि के बारे में पार्टी ने यह कहते हुए नोटिस स्वीकार नहीं किया है कि ऐसा कोई व्यापार नोटिस नहीं दिया गया था जिसमें निर्धार्य मूल्य में नौभरण प्रभार जोड़ने के लिए आयातकर्ताओं से कहा गया हो तथा इसके अलावा 1979 के अन्त तक विभाग ने इन्हें निर्धार्य मूल्य में शामिल करने का आग्रह नहीं किया था। विभाग ने बताया कि पार्टी के तर्क को ध्यान में रखते हुए, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 (1) के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि यह सिद्ध करना संभव नहीं था कि पार्टी को संदृढ़ अनुदेशों की जानकारी थी। तथापि, 1.65 लाख रु० की शेष राशि का स्वेच्छापूर्वक भुगतान करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय ने उत्तर में बताया है (दिसम्बर 1981) कि सीमा शुल्क गृह द्वारा की गई मांगें पार्टी द्वारा अदा नहीं की गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि पार्टी ने अपील की कलक्टर के पास अपील कर दी है और मामला न्यायाधीन है।

1.09 प्रतिअदायगी का अनियमित/अधिक भुगतान

भारत में विनिर्मित और भारत से बाहर निर्यातित किसी भी सामान के सम्बन्ध में प्रतिअदायगी का अर्थ होता है, भारत में इस प्रकार के सामान के विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित सामग्री या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर शुल्क की वापसी। प्रति अदायगी की दरें सरकार द्वारा, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 और उसके साथ पठित सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 1971 के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है।

सरकार द्वारा निश्चित की गई प्रति अदायगी की दरें दो प्रकार की हैं अर्थात् (i) समस्त उद्योग दरें और (ii) ब्राण्ड दरें। समस्त उद्योग दरें विशिष्ट वस्तुओं, सामान या सामान की श्रेणी पर निर्धारित की जाती हैं और ऐसे सामान का निर्यात करने वाले सभी निर्यातकों पर लागू होती है, जबकि ब्राण्ड दरें, निर्यातक द्वारा विनिर्मित विशिष्ट उत्पादों, सामान पर लागू होती है और उसके बाद निर्यातक निर्यातित उत्पाद/सामान के लिये विशेष दरों के लिये आवेदन करते हैं।

नमूना लेखापरीक्षा के दौरान 5.87 लाख रु० की अधिक प्रति-अदायगी के ग्यारह मामले पाए गए थे। इनमें से कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है :—

(क) “जस्तीकृत इस्पात क्लेम्पस् और इन्सुलेटर फिटिंग्स” के एक परेषण के निर्यात पर उक्त सामान को इस्पात की बनी वस्तु मानकर प्रतिअदायगी का भुगतान कर दिया गया था।

चूँकि निर्यातित सामान बिजली के वितरण के उपस्कर थे इसलिए जिन सामग्रियों से निर्यातित सामान बनाया गया था उसे उनसे सम्बन्धित मदों के अन्तर्गत वर्गीकृत करने की बजाय उनके लिए निर्दिष्ट मद के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जून, अगस्त और सितम्बर 1980) विभाग अधिक अंदा की गई 1.30 लाख रु० की राशि को वसूल करने के लिये सहमत हो गया। वसूली का विवरण प्रतीक्षित है। (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(ख) हवाई जहाज द्वारा निर्यात के लिये प्रतिअदायगी की दर निश्चित करने के लिये निर्णायक तारीख पोत परिवहन बिल प्रस्तुत करने की तारीख होती है। एक विशेष मामले में, पोत परिवहन बिल प्रस्तुत करने की तारीख के बजाय, सामान के वास्तविक लदान की तारीख को, हवाई जहाज द्वारा निर्यात पर प्रतिअदायगी के प्रयोजन से सम्बद्ध तारीख माना गया था। इसके परिणामस्वरूप 1.04 लाख रु० की अदायगी अधिक की गई। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जनवरी 1980) विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली (जनवरी 1981) वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(ग) नियमों के अनुसार, ऐसे निर्यात सामान पर, जो आवद्ध भांडागारों में ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य सामान से विनिर्मित किये जाते हैं जिम पर शुल्क अंदा नहीं किया गया है, प्रतिअदायगी ग्राह्य नहीं है।

इस्पात प्रतिबलित एल्यूमिनियम कन्डक्टर के एक परेषण के निर्यात पर प्रतिअदायगी का भुगतान कर दिया गया था, हालांकि उक्त सामान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191 ख के अन्तर्गत शुल्क अंदा न किये गये एल्यूमिनियम से विनिर्मित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मई 1978) विभाग ने अधिक अंदा की गई 77,046 रु० की राशि की वसूली की सूचना दी (जून 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(घ) एक प्रमुख सीमाशुल्क-गृह के प्रतिअदायगी विभाग ने, विभिन्न प्रकार के नायलोन के फीतों के एक निर्यातक को 1975 में

अन्तिम प्रतिअदायगी के संबंध में अधिक भुगतान की गई 17,209 रु० की राशि के लिये 22 जनवरी, 1980 को मांग नोटिस जारी किया। यह अधिक भुगतान, कम्पनी द्वारा निर्यातित उत्पादों के लिये ब्रांड दरों को संशोधित करके कम कर देने के कारण हुआ था। चूंकि समुद्र द्वारा निर्यात से सम्बन्धित प्रतिअदायगी दावों को निपटाने वाले सीमाशुल्क-गृह के मुख्य प्रतिअदायगी विभाग में कम्पनी का कोई प्रतिअदायगी दावा बकाया नहीं था इसलिये एयर कार्गो काम्प्लैक्स के प्रतिअदायगी विभाग से उक्त मांग को, हवाई जहाज द्वारा निर्यात के लिये कम्पनी के बकाया प्रतिअदायगी दावों के प्रति समायोजित करने के लिये कहा गया। एयर कार्गो काम्प्लैक्स के प्रतिअदायगी विभाग ने उक्त राशि पार्टी की कुल 17,511.41 रु० की दावा राशि के प्रति समायोजित की गई दिखा दी और दावा भुगतान के लिये मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय को भेज दिया। मुख्य लेखा अधिकारी ने वास्तव में जून 1980 में प्रति अदायगी की 17,511.41 रु० की पूरी राशि अदा कर दी। इस प्रकार पार्टी को अधिक अदा की गई 17,209 रु० की राशि वसूल नहीं की गई। इस मामले के बारे में आन्तरिक लेखापरीक्षा को पश्च लेखापरीक्षा के दौरान पता नहीं चला। एयर कार्गो काम्प्लैक्स का प्रति अदायगी विभाग भी इसका पता लगाने में विफल रहा क्योंकि प्रति अदायगी विभाग में वसूली और अन्तिम भुगतान पर निगरानी रखने की कोई पद्धति नहीं है क्योंकि भुगतान के बाद वाउचर पश्च लेखापरीक्षा के लिये सीधे आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग को भेज दिये जाते हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अक्तूबर 1980) विभाग ने यह राशि अन्य प्रतिअदायगी दावे में समायोजित कर दी (जनवरी 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर, 1981)।

1.10 अनियमित प्रतिदाय

नमूना लेखापरीक्षा के दौरान 6 मामलों के सम्बन्ध में 10.35 लाख रु० के अनियमित प्रतिदायों का पता चला था जिनमें से प्रत्येक मामले में अनियमित प्रतिदाय की राशि 10,000 रु० से अधिक थी। इनमें से कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है :-

अखिल भारतीय पुस्तकालय
आवापि संस्था
Accession No. 134196
तिथि... 25. 2.81

(क) "क्रुप मैन लाइट मेटल प्लोट "ब्रिज" के विनिर्माण के लिये अभिप्रेत विस्तारित प्रोफाइल, ट्यूबों, प्लेटों, ढली वस्तुओं, गढ़ी वस्तुओं और इस्पात चादरों आदि जैसे सामान के आयात किए जाने पर उस पर आयातित सामग्री के स्वरूप के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ के सुसंगत शीर्षों के अन्तर्गत शुल्क लगता है। हालांकि उस पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट है किन्तु सहायक शुल्क और अतिरिक्त शुल्क प्रभाय हैं।

रक्षा विभाग द्वारा जनवरी, 1978 में आयातित "एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स" के रूप में वर्णित सामान के एक परेषण पर अप्रैल, 1976 में जारी की गई अधिसूचना के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 76.02 के अन्तर्गत शुल्क लगाया गया था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 27 (ग) के अन्तर्गत 15 प्रतिशत यथा मूल्य सहायक शुल्क और 2,000 रु० प्रति मीटरी टन तथा 50 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से अतिरिक्त शुल्क भी लगाया गया था। मार्च, 1978 में आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा अतिरिक्त शुल्क की सही दर सूचित किए जाने के बाद निर्धारण की जांच की गई थी और जून, 1978 में 2.57 लाख रु० का प्रतिदाय स्वीकृत कर दिया था। जुलाई, 1979 में, संगृहीत शुल्क की 6.15 लाख रु० की शेष राशि उस समय वापस कर दी गई थी जब आयातकर्ता ने यह कहते हुए प्रतिदाय दावा प्रस्तुत किया कि मार्च, 1978 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सामान की बिना किसी शुल्क के निकासी अनुज्ञेय है।

6.15 लाख रु० का वाद वाला प्रतिदाय इस तथ्य के कारण अनियमित था कि सामान आन्तरिक खपत के लिये बहुत पहले 16 जनवरी, 1978 को आयात किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा यह ध्यान दिलाये जाने पर (नवम्बर 1979) कि 31 मार्च, 1978 की अधिसूचना सं० 76 को लागू करना गलत था और इसके परिणामस्वरूप अधिक प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था, विभाग ने वापस की गई राशि वसूल कर ली (अप्रैल 1980)।

वेत्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अक्टूबर 1981)।

(ख) इन्सुलोटिंग सामग्री में प्रयोग किये जाने वाले, कागज और प्लास्टिक फिल्म से बने ट्रिफ्लैक्स पुकारो प्रेस्फान कागज को, 1976

में जारी की गई टैरिफ अधिसूचना के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 39.01/06 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है।

“ई श्रेणी और अन्य उच्च ताप प्रतिरोध सामग्री” के दो परेषणों का शीर्षक 39.01/06 के अन्तर्गत निर्धारण किया गया था। आयातकर्ता के आवेदन पत्र के आधार पर सामान का अधिसूचना 37/78 के अनुसार फिर से निर्धारण किया गया था और 56,415 रु० का प्रतिदाय अनुमत कर दिया गया था (मई 1980)।

लेखापरीक्षा ने बताया (अक्तूबर 1980) कि प्रतिदाय नियमित नहीं था क्योंकि उक्त छूट अधिसूचना अध्याय 48 के अन्तर्गत आने वाले सामान पर ही लागू होती है न कि अध्याय 39 के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये सामान पर। विभाग ने 56,415 रु० की वसूली के लिये मांग जारी कर दी, वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

इसी प्रकार के दो अन्य मामलों में भी लेखापरीक्षा विभाग ने 33,689 रु० के अनियमित प्रतिदाय के बारे में ध्यान दिलाया था (मई और जून 1980), इन मामलों में वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत, किसी विनिर्माता को, आयातित कच्ची सामग्री पर अतिरिक्त शुल्क के लिये, ऐसे तैयार सामान पर, जिसमें इस प्रकार की कच्ची सामग्री प्रयुक्त की गई है, देय उत्पाद शुल्क के प्रतिसंतुलन के रूप में, प्रोफार्मा क्रेडिट अनुमत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में जारी किये गये कार्यकारी अनुदेशों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा नियम 56-क के अन्तर्गत प्रोफार्मा क्रेडिट को अनुदत्त करने और सीमा शुल्क विभाग द्वारा अतिरिक्त शुल्क के प्रतिदाय के समन्वय की कार्य विधि निर्धारित की गई है। इन अनुदेशों के अन्तर्गत, किसी आयातकर्ता को, जो उक्त कार्य विधि का लाभ उठाना चाहता है, आगम पत्र की सभी प्रतियों पर यह घोषणा करनी चाहिए कि वह प्रोफार्मा क्रेडिट का लाभ उठाना चाहता है। उसे फैक्टरी का नाम

और तैयार माल उत्पादित करने वाली फैक्टरी के प्रभारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक का नाम भी बताना चाहिए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकाारी, आगम पत्र पर की गई घोषणा के आधार पर प्रोफार्मा क्रेडिट स्वीकृत करते हैं। जब तक आयातकर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों का यह पुष्टिकरण प्रस्तुत न कर दे कि प्रोफार्मा क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया है या यह कि प्रोफार्मा लेखे में प्रतिदेय राशि के बराबर राशि डेबिट कर दी गई है, सीमा शुल्क गृह किसी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क का प्रतिदाय नहीं कर सकता।

एक आयातकर्ता ने, जुलाई 1979 में निकासी की गई सीमलैस तांबे की ट्यूबों (रेफ्रिजरेशन ग्रेड) के सम्बन्ध में अतिरिक्त शुल्क के रूप में 37,947 रु० के प्रोफार्मा क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया। आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रतिदाय आवेदन पर कि सामान का लागत भाड़ा मूल्य गलती से 2,948 डालर के बजाय 8,948 डालर घोषित कर दिया गया था, विभाग ने आयातकर्ताओं को 62,287 रु० की राशि वापस कर दी (अक्टूबर 1980)। इस राशि में, अतिरिक्त शुल्क के रूप में 25,343 रु० की वह राशि भी सम्मिलित है जिसके लिये आयातकर्ता ने प्रोफार्मा क्रेडिट का लाभ पहले ही प्राप्त कर लिया था। इस अनियमित प्रतिदाय के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर (फरवरी 1981) विभाग ने गलत रूप से वापस की गई राशि वसूल कर ली क्योंकि आयातकर्ता, नियम 56-क के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका (जून 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर 1981)।

(घ) निर्यात के लिये भारतीय सफेद क्रिस्टल चीनी के परेषण का लदान करते समय जहाज में आग लग जाने की सूचना दी गई जिससे 7,362 बोरे (7362 क्विंटल) क्षतिग्रस्त हो गये। इनमें से 200 बोरे पूरी तरह नष्ट हो गये थे। इसलिए बाकी बोरे उतार लिये गये और आन्तरिक खपत के लिये आगम पत्र प्रस्तुत करके 8.86 लाख रु० का अतिरिक्त शुल्क अदा करने पर सीमा शुल्क क्षेत्र से हटा लिये गये। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 1 के अन्तर्गत उस समय लागू 37.5 प्रतिशत यथामूल्य की दर से शुल्क तथा 275 रु० प्रति क्विंटल के टैरिफ

मूल्य के आधार पर 7.5 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क प्रभारित किया गया। सामान निकासी एजेंट द्वारा, खुली निविदा के आधार पर 2.80 रु० प्रति किलो की दर से एक होटल संघ को 19.49 लाख रु० में बेच दिया गया क्योंकि पोत-वणिक किसी भी क्षति वाले बोरों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।

एजेंटों ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 22 के अन्तर्गत 2.98 लाख रु० के शुल्क की वापसी का दावा इस आधार पर किया कि उपयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, चीनी का सफेद रंग समाप्त हो गया था और इसके ढेलें बन गये थे। प्रतिदाय अच्छी हालत वाली चीनी के मूल्य (4.10 प्रति कि० ग्रा०) और क्षतिग्रस्त चीनी के मूल्य (2.80 प्रति कि० ग्रा०) के अनुपात पर आधारित था। विभाग ने प्रतिदाय का दावा अस्वीकार कर दिया क्योंकि उक्त सामान की विक्री में सीमा शुल्क विभाग का कोई अधिकारी शामिल नहीं था जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 22 (3) के अन्तर्गत अपेक्षित है। एजेंटों ने अपील कर दी और तब अपीलीय प्राधिकारी ने निचले अधिकारियों का आदेश रद्द कर दिया और मामले पर नये सिरे से विचार करने के लिये उसी अधिकारी को भेज दिया। विभाग ने 2.98 लाख रु० की राशि वापस कर दी (जून 1980)।

लेखा परीक्षा ने बताया (अक्टूबर, 1980) कि उक्त अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत प्रतिदाय नियमित नहीं था क्योंकि वह धारा केवल आयातित सामान पर लागू होती है। अधिनियम की धारा 2 (23) के अनुसार "आयात" शब्द का अर्थ है भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में लाना। प्रसंगाधीन सामान जहाज से, इसके रवाना होने से पहले उतार लिया गया था और इसलिये सामान को किसी भी तरह आयातित नहीं माना जा सकता।

मामले पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 22 को लागू करने के कारण 2.98 लाख रु० का गलत प्रतिदाय हुआ।

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 के अन्तर्गत 2.98 लाख रु० की मांग विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है (नवम्बर, 1980), वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर, 1981)।

1.11 निर्यात शुल्क/उपकर का न लगाया जाना

नमूना लेखापरीक्षा के दौरान दो मामलों के सम्बन्ध में 15.32 लाख रु० के निर्यात शुल्क/उपकर न लगाये जाने का पता चला । इनमें से प्रत्येक मामले में न लगाये गए निर्यात शुल्क/उपकर की राशि 10,000 रु० से अधिक थी। इनमें से एक मामले का विवरण नीचे दिया गया है:—

कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत तिलहन तेलों, मछली, खाल आदि जैसे सामान पर, इनके भारत से बाहर निर्यात पर, 0.5 प्रतिशत यथामूल्य की दर से उपकर उद्ग्राह्य है।

एक संघ राज्य क्षेत्र में, बर्फ में जमे हुए झींगों के निर्यात पर यह उपकर नहीं लगाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा यह बात ध्यान में लाये जाने पर (अगस्त, 1975) विभाग ने उत्तर दिया (अक्तूबर, 1975) कि इस अधिनियम के उपबन्ध संघ राज्य क्षेत्र पर लागू नहीं होते क्योंकि—(i) उपर्युक्त अधिनियम संघ राज्य क्षेत्र की मुक्ति और विलय के पहले अधिनियमित हुआ था और (ii) यह अधिनियम, वर्ष 1962 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा (गोवा, दमन और दीव (कानून) विनियम, 1962) की धारा 3 की अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं था।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के अनुसार (जुलाई 1979) कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम के उपबन्ध सारे भारत पर लागू होते हैं और इसलिए 12 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 द्वारा 20 दिसम्बर 1961 से संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू होते हैं।

केवल तिलहन तेलों के निर्यात पर यह उपकर न लगाये जाने के कारण 1977-78 से 1979-80 की अवधि के दौरान 14.74 लाख रु० के राजस्व की हानि हुई।

वित्त मंत्रालय ने उत्तर में बताया है (दिसम्बर, 1981) कि चूंकि लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मामला सन्देह पूर्ण है इसलिए यह सलाह के लिये विधि मंत्रालय को भेज दिया गया है।

1.12 अधिनिर्धारण

नमूना लेखापरीक्षा के दौरान 4.46 लाख रु० के अधिनिर्धारण के सात मामले देखने में आए थे जिनमें से प्रत्येक में अधिनिर्धारण 10,000 रु० से अधिक था। कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:—

(क) संघ सरकार के विभाग द्वारा अक्टूबर, 1976 में किये गये एक आयात के सम्बन्ध में 1.71 लाख रु० का शुल्क अनन्तिम रूप से संगृहीत किया गया था। मार्च, 1979 में निर्धारण को अनन्तिम रूप देते समय वास्तव में देय शुल्क 4,144 रु० अवधारित किया गया था और अनन्तिम निर्धारण के समय अधिक संगृहीत की गई 1,66,886 रु० की राशि प्रतिदाय के रूप में देय हो गई थी। किन्तु केवल 66,886 रु० ही अक्टूबर, 1979 में वापस किये गये थे। 100,000 रु० के कम प्रतिदाय के बारे में लेखापरीक्षा ने ध्यान दिलाया था (जनवरी, 1980)। आयातकर्ता ने दिनांक 11 फरवरी, 1980 के एक पत्र द्वारा शेष 1,00,000 रु० के प्रतिदाय का दावा किया। प्रतिदाय नवम्बर, 1980 में कर दिया गया।

विभाग ने बताया (अगस्त, 1980) कि प्रसंगाधीन प्रतिदाय आदेश (दिनांक 31 जुलाई, 1979) की सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा 14 मार्च, 1980 को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 130 (2) के अन्तर्गत समीक्षा की गई थी और उसने आयातकर्ता से प्रतिदाय का दावा प्राप्त होने से पहले ही 1,00,000 रु० के और प्रतिदाय के आदेश दे दिये थे।

तथ्य यह है कि कम भुगतान की गई राशि को वापस करने के लिये विभाग द्वारा उपचारी कार्यवाही लेखापरीक्षा आपत्ति प्राप्त होने के बाद ही की गई थी।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर, 1981)।

(ख) "वैकैर सेलिकोन फ्लूड ए० के० 500—सिलिकोन तेल" अप्रैल 1980 में आयातित किया गया था और उस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 15-क (1) के अन्तर्गत 40 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त शुल्क यथामूल्य निर्धारित किया गया था। सिलिकोन तेल, जिसमें पालीमार की मात्रा न्यूनतम होती है दिनांक 16 फरवरी, 1978 की टैरिफ सूचना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 15-क (1) के अन्तर्गत गैर-उत्पाद-शुल्क योग्य ठहराया गया था और उप सिद्धान्त के रूप में उस पर उपर्युक्त टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत यथा मूल्य 8 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त शुल्क निर्धार्य था। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (सितम्बर 1980) विभाग ने गलत निर्धारण स्वीकार कर लिया और बताया कि 38,911 रु० के अधिक संग्रहण को स्वयमेव वापस करने का कोई प्रस्ताव नहीं था (मार्च 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर, 1981)।

(ग) पॉलीथीन लाइनर्स जो पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं पर प्रतिअदायगी अनुसूची की क्रम संख्या 1914 के अन्तर्गत 3.35 रु० प्रति कि० ग्रा० की दर पर प्रतिअदायगी मिलती है। लेखापरीक्षा में यह देखने में आया (सितम्बर, 1979) कि 3,70,000 पॉलीथीन लाइनर्स, जिनका वजन 7,400 कि० ग्रा० था, के लिए केवल 2,479 रु० की राशि प्रतिअदायगी के रूप में अदा की गई थी जबकि उन पर 24,790 रु० की राशि देय थी। लेखा परीक्षा द्वारा कम अदायगी की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (सितम्बर 1979) विभाग ने निर्यातकर्ता द्वारा एक अनुपूरक दावा प्रस्तुत किए जाने पर राशि अदा कर दी (फरवरी 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (नवम्बर 1981)।

ध्यान देने योग्य अन्य बातें

1.13 निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए भाण्डागार में रखे गए माल पर संग्रहीत न किया गया राजस्व।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में शुल्क निर्धारण के बिना ऐसे माल के आयात करने की अनुमति है जहां ऐसा माल जलयानों या वायुयानों के लिए भण्डार के रूप में आपूर्त किया जाता है और आयातकर्ता इस आशय का घोषणापत्र देता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। पुनर्निर्यात के लिए भाण्डागार की सुविधा आयातकर्ता द्वारा अपेक्षित बाँड के निष्पादन किए जाने के अध्वधीन है। ऐसा माल सामान्यतः भाण्डागार में तीन वर्ष की अधिकतम अवधि तक रखा जा सकता है। जिसे सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा उस निम्नतर अवधि तक जो वह उचित समझे कम किया जा सकता है यदि ऐसे किसी माल के खराब हो जाने की संभावना हो।

जहां भाण्डागार में रखा गया ऐसा कोई माल उस अवधि के समाप्त होने पर भाण्डागार से नहीं हटाया जाता जिस अवधि के लिए ऐसा माल भाण्डागार में रखने की अनुमति दी गई थी तो अधिनियम उपयुक्त अधिकारी को ऐसे माल के सम्बन्ध में शास्ति, किराया, ब्याज आदि सहित ऐसे माल के लिए प्रभार्य शुल्क की पूरी राशि की मांग करने की शक्ति देता है।

एक भाण्डागार जिसमें जहाजों के भण्डारों के रूप में माल अंततः आपूर्ति के लिए भण्डार में रखा जाता है, के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (फरवरी, 1981) कि 1970 से 1979 तक की अवधि के दौरान बन्धपत्रों के अन्तर्गत भाण्डागार में रखे गए लगभग 158 परेषणों के सम्बन्ध में लगभग 4.24 लाख रु० मूल्य का शेष माल भाण्डागार की बहियों में दिखाया जा रहा था जबकि संबंधित बन्धपत्रों की अवधि समाप्त हो गई थी। इनमें से 70 परेषणों में 85,501 रु० के मूल्य के मशीनरी पुर्जे, रसायन आदि हैं जिन पर 1.06 लाख रु० टन का शुल्क बनता है और 3.38 लाख रु० मूल्य के 80 परेषण नाशवान हैं जिन पर 4.81 लाख रु० मूल्य का शुल्क देय है। सभी नाशवान परेषण तीन वर्षों से अधिक पुराने हैं। शास्तियों, ब्याज आदि सहित शुल्क वसूल किए जाने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के व्यारे प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि कर दी है (दिसम्बर, 1981)।

1.14 पूर्व व्यापी प्रभाव से जारी किए गए तदर्थ छूट आदेश द्वारा अनुज्ञात अनियमित छूट

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25(2) प्रत्येक मामले में ऐसे विशेष आदेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार को शक्ति देती है जिससे विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत, जो कि उस आदेश में बताई जानी चाहिए, माल पर शुल्क की अदायगी से छूट दी जाती है। तथापि इस धारा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि पूर्वव्यापी प्रभाव से माल पर छूट देने की शक्ति सरकार को प्रत्यायोजित नहीं की गई है।

धारा 25(2) के अन्तर्गत अक्टूबर 1977 में जारी किए गए आदेश द्वारा मार्च—सितम्बर 1977 की अवधि के दौरान आयातित 163 डिब्बों पर सरकार ने वित्त अधिनियम 1977 के अन्तर्गत उद्ग्राह्य समस्त सीमा शुल्क और सहायक शुल्क से छूट स्वीकृत की।

छूट आदेश में विनिर्दिष्ट था कि छूट सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) और वित्त अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम II) की धारा 3 की उपधारा 4 के अन्तर्गत दी जा रही थी। वित्त अधिनियम की धारा 3 में 1 जुलाई 1977 से कतिपय दरों पर सीमा शुल्क का सहायक शुल्क लगाए जाने की व्यवस्था है और छूट आदेश में उस धारा का उल्लेख करने का अर्थ यह है कि छूट केवल 1 जुलाई 1977 से उद्ग्राह्य शुल्क के लिए ही लागू है और पिछले वित्त अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्राह्य शुल्क पर लागू नहीं होती। लेखा परीक्षा ने बताया (दिसम्बर 1978) की इस मामले में डिब्बे 1 जुलाई, 1977 से पूर्व आयातित किए गए थे और न लगाए गए सहायक शुल्क की राशि 1.29 लाख रु० थी।

वित्त मन्त्रालय ने उत्तर में बताया है (दिसम्बर 1981) की शुल्क की स्वैच्छिक अदायगी करने के लिए अनुरोध करने के लिए समाहर्ता को अनुदेश दिए जा रहे हैं।

1.15 *मोचनदण्ड की अदायगी करने पर छोड़ी गई जम्त कार पर सीमा शुल्क का न लगाया जाना।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 के अनुसार, विहित क्रियाविधि का अनुपालन किए बिना और सीमा शुल्क की अदायगी किए बिना आयातित माल जब्त किया जा सकता है। तथापि जब्त किया गया माल जुर्माने की वह राशि जो अधिनिर्णयन अधिकारी उचित समझे, अदा किए जाने पर मालिक को वापस किया जा सकता है और यह जुर्माना ऐसे माल के सम्बन्ध में देय किसी शुल्क और प्रभारों के अतिरिक्त होता है।

जापान में विनिर्मित एक टोयटा कार जो अवैधरूप से आयात की गई थी और जब्त कर ली गई थी, (मई 1978) केवल 25000 रु० के मोचन दण्ड की ही अदायगी करने पर छोड़ दी गई थी (दिसम्बर 1980) किन्तु उस पर सीमा शुल्क नहीं लगाया था जो जब्ती रिपोर्ट (नवम्बर 1976) में दिखाए गए 50,000 रु० के मूल्य के आधार पर 87,500 रु० बनता था। उस व्यक्ति जिसने अवैध रूप से आयातित कार प्राप्त की थी, पर धारा 112 (ख) के अन्तर्गत शास्ति भी नहीं लगाई गई थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर वित्त मन्त्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि जिस व्यक्ति से कार जब्त की गई थी उसके द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री कागजातों और अन्य प्रमाण के बारे में पूछताछ किए जाने पर पता चला कि वे जाली या फर्जी थे और इसलिए कार को पूर्ण रूप से जब्त करने के आदेश दिए गये थे। तथापि उस व्यक्ति-पर जिस व्यक्ति के कब्जे में कार पाई गई थी शास्ति नहीं लगाई गई थी क्योंकि यह सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं था कि उसे यह जानकारी थी कि कार भारत में तस्करी से लाई गई थी। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि सीमा शुल्क भी नहीं लगाया जा सका क्योंकि विधि मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्वचन के अनुसार नगर में लाई गई वस्तुओं की जब्ती के मामलों में शुल्क की देयता आयातकर्ता की है और इस मामले में न तो कार के आयात करने के तरीके का और न ही जिस व्यक्ति ने वास्तव में आयात किया था उसका पता चल सका था।

1. 16 आबद्ध भाण्डागारों से बाहर विनिर्मित उत्पादों में प्रयुक्त आयातित माल पर शुल्क का न लगाया जाना।

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत एक निजी भाण्डागार के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जहां शुल्क योग्य आयातित माल को पत्तन पर शुल्क की अदायगी किए बिना जमा कराया जा सकता है। ऐसे मामलों में सीमा शुल्क आंतरिक खपत के लिए भाण्डागार से इस माल की निकासी पर अदा करना पड़ता है। भाण्डागार विनियमावली 1966 के अन्तर्गत विनिर्माण प्रक्रिया विभागीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में भाण्डागार में ही की जानी होती है। यदि भाण्डागार में आयातित माल से विनिर्मित माल निर्यात किया जाना है तो प्रयुक्त आयातित माल पर कोई सीमा शुल्क अदा नहीं करना पड़ता और ऐसी प्रक्रिया से उत्पन्न छीजन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाना होता है।

अनन्यतः निर्यात के उद्देश्य के लिए मिश्रित काते हुए धागे के विनिर्माण के लिए सुदृढ़ पोलियेस्टर/कृत्रिम रेशे के लिए एक यूनिट को अगस्त 1974 में एक वर्ष की अवधि के लिए एक भाण्डागार के लिए इस शर्त पर लाइसेंस दिया गया था कि नियमावली में विहित शर्तों का यूनिट द्वारा पालन किया जाएगा। लाइसेंस का नवीकरण संतोषजनक निष्पादन और उपर्युक्त शर्तों के पूरा होने पर ही किया जाना था और एक वर्ष की और अवधि के लिए ऐसा नवीकरण अक्टूबर 1975 में दिया गया।

उस यूनिट ने सितम्बर 1974 से अक्टूबर 1975 की अवधि के दौरान 52,161 कि० ग्रा० रेशा आयात किया और सामान आवद्ध भाण्डागार में रखा गया था। अप्रैल 1977 और जून 1978 के दौरान इस स्टॉक में से 17,933 कि० ग्रा० रेशे की निकासी अपेक्षित आयात शुल्क की अदायगी करने पर आंतरिक खपत के लिए की गई थी। शेष 34,228 कि० ग्रा० रेशे की निकासी उस पर शुल्क की अदायगी के बिना धागे के विनिर्माण के लिए की गई थी और 33,382 कि० ग्रा० धागा विनिर्मित हुआ था जिसमें से 846 कि० ग्रा० रेशे की छीजन निकली थी जो अभी भी भाण्डागार में पड़ी है।

चूँकि धागे के विनिर्माण की प्रक्रिया न तो भाण्डागार में ही की गई थी और न ही विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन की गई थी इसलिए 16.23 लाख रु० के सीमाशुल्क की अदायगी के बिना 34,228 कि० ग्रा० रेशे की निकासी नियमानुकूल नहीं थी। 846 कि० ग्रा० की छीजन के सम्बन्ध में भी 52,980 रु० का शुल्क वसूल नहीं किया गया था।

1975 के बाद भाण्डागार के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया था। किन्तु 1979-80 के दौरान विभाग द्वारा जारी किए गए इस आशय के प्रमाण पत्र के आधार पर कि यूनिट के पास दिसम्बर 1979 तक वैध लाइसेंस था, आयातित रेशे की 708 गाठें पत्तन पर शुल्क की अदायगी किए बिना उसी भाण्डागार में रखी गई थीं। इस मामले में पत्तन पर शुल्क देयता की अदायगी के बिना रेशे को भाण्डागार में रखना भी अनियमित था क्योंकि यूनिट के पास आयात के समय कोई चालू लाइसेंस नहीं था।

यह मामला वित्त मंत्रालय को दिसम्बर 1981 में सूचित किया गया था ; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

1.17 अन्तिम उपयोग की शर्त की अनदेखी करके अनुमत की गई शुल्क की छूट

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के शीर्ष 91.01/11(2) के अन्तर्गत घड़ियों के पुर्जों पर शुल्क यथामूल्य 100 प्रतिशत की दर पर निर्धार्य है। दिसम्बर, 1978 में जारी की गई यथासंशोधित अधिसूचना द्वारा हाथ की घड़ियों के विनिर्माण के लिए आयातित घड़ियों के पुर्जों पर यथामूल्य 50 प्रतिशत से अधिक की सीमा शुल्क छूट इस शर्त पर अनुमत की गई थी कि हाथ की घड़ियों का आयात उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार किया जाए और आयातित घड़ी के पुर्जों ऐसे विनिर्माण के लिए वस्तुतः उपयोग में लाए जाएं।

घड़ी के पुर्जों के आयात से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पूछा गया था (मार्च 1981) कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा दिसम्बर 1978 की अधिसूचना में उल्लिखित इस शर्त के पूरी करने के बारे में कि प्रत्येक घड़ी विनिर्माण करने वाली यूनिट के सम्बन्ध में उत्पादन कार्यक्रम अनुमोदित किया जाता है, अपनी संतुष्टि किस प्रकार की जाती है। विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 1981) कि अधिसूचना में विहित पहली शर्त का आशय यह है कि आयातकर्ता वास्तविक प्रयोक्ता होना चाहिए जिसका उत्पादन कार्यक्रम उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हो और दूसरी शर्त का आशय अन्तिम उपयोग प्रमाणपत्र

प्रस्तुत करने से है जिसके लिए आवश्यक बन्ध पत्र प्राप्त किए गए थे। विभाग ने आगे बताया कि वे अधिसूचना का लाभ उन व्यक्तियों द्वारा आयातित किए गए घड़ियों के पुर्जों को देते हैं जिनके पास उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम है और घड़ियों के पुर्जों के अन्तिम उपयोग की निगरानी चार्टर्ड लेखाकार द्वारा दिए गए खपत प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से की जाती है जिसकी विधिवत पुष्टि आयातकर्ता द्वारा दिए गए शपथ पत्र से की जाती है।

तथापि लेखा-परीक्षा को पता चला कि वास्तव में अन्तिम उपयोग और प्रत्येक विनिर्माण यूनिट के लिए अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के बारे में सीमा शुल्क विभाग का कोई प्रभावी नियन्त्रण नहीं था। उदाहरणतया एक व्यापारिक कम्पनी को एक संघ राज्य क्षेत्र में 17 जिवेल वाली हाथ से चाबी दी जाने वाली अस्वचालित हाथ घड़ियों के विनिर्माण/पुर्जे जोड़ने के लिए एक यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। कम्पनी ने 10,000 घड़ियों की वार्षिक वृद्धि सहित पहले वर्ष के लिए अनुमोदित 20,000 घड़ियों के उत्पादन कार्यक्रम की तुलना में आयातित सामान में से निम्नलिखित घड़ियों का उत्पादन किया और पुर्जे जोड़े थे:—

उत्पादित घड़ियों
की संख्या

आयातित घड़ी के पुर्जों की मात्रा

		सीकेडी	केसेस	डायल	हैंड्स
1978-79	3018	5000	10,000	10,000	10,000
1979-80	13284	16,100	21,400	21,400	21,400
1980-81	15492	13,500	18,500	19,450	15,000

यद्यपि वह कम्पनी घड़ी के पुर्जों की वास्तविक प्रयोक्ता है तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि कम्पनी ने उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। चूंकि एक वर्ष से उत्पादन में गिरावट रही है इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उसे अग्रणीत किया जाना है और उसे अनुवर्ती वर्षों में पूरा किया जाना है। इसके अतिरिक्त यह भी पता नहीं है कि क्या घड़ी के पुर्जे सरम्मत, अनुरक्षण आदि के लिए उपयोग में लाए गए थे।

विभाग ने उत्पादन कार्यक्रम के सम्बन्ध में शर्तों का सत्यापन किए बिना 36 बंधपत्रों को समाप्त कर दिया था। वर्ष 1978 से सम्बन्धित बन्धपत्रों में निर्दिष्ट हाथ की घड़ी के पुर्जों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 28.79 लाख रु० बनता है। चूंकि इस मामले में अधिसूचना में विहित शर्तें पूरी नहीं हुई थी इसलिए मूल्यानुसार 100 प्रतिशत की मानक दर पर शुल्क प्रभारित होना था और इस आधार पर अवनिर्धारण की राशि 14.39 लाख रु० बनेगी।

1978 और 1979 के वर्षों के लिए 64 बन्धपत्रों को अभी समाप्त किया जाना था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (जनवरी 1982) कि टैरिफ सम्मेलन में इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाएगा।

1.18 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जारी किए गए छूट आदेश*

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25 (2) में केन्द्रीय सरकार को किसी सीमा शुल्क योग्य माल पर सीमा शुल्क की अदायगी करने के लिए सार्वजनिक हित में और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जो कि ऐसे आदेश में बताई जानी चाहिए छूट देने की शक्ति दी गई है। गत चार वर्षों के दौरान जारी किए गए और कार्यान्वित किए गए छूट आदेशों की संख्या नीचे दी जाती है:—

	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
(i) जारी किए गए और कार्यान्वित किए गए छूट आदेशों की संख्या	301	198	97	68
(ii) अन्तर्ग्रस्त कुल शुल्क (करोड़ रु० में)	15.52	59.98	204.54	274.77
(iii) 10,000 रु० से अधिक शुल्क प्रभाव वाले मामलों की संख्या	191	125	75	61
(iv) उपर्युक्त (iii) के मामलों में अन्तर्ग्रस्त शुल्क (करोड़ रुपये में)	15.48	59.95	204.53	274.76

*आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं।

1.19 सीमा शुल्क राजस्व की माफी और परित्याग

1980-81 वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये सीमा शुल्क, छोड़ी गई शास्तियों और अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगियों की कुल राशि 44.39 लाख रु० है।

गत तीन वर्षों के दौरान तदनुरूपी राशि नीचे दी गई है:—

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1977-78	4.61
1978-79	27.62
1979-80	3.73

1.20 सीमा शुल्क की बकाया राशि*

31 अक्टूबर 1981 को 31 मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान वसूल न किए गए सीमा शुल्क की कुल राशि 2270.51 लाख रु० थी जबकि गत वर्ष की अवधि में तदनुरूपी राशि 1795.15 लाख रु० थी।

इसमें से 2161.70 लाख रु० की राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया है।

1.21 कालातीत मांगों*

11 सीमा शुल्क गृहों/कलक्टरियों के सम्बन्ध में कालातीत मांगों की राशि जिनके लिए विभाग द्वारा 31 मार्च, 1981 तक स्वीच्छक अदायगियां करने के लिए अनुरोध किया गया था किन्तु 31 मार्च 1981 तक वसूल नहीं हुई थी, 312.60 लाख रु० बनी।

*आंकड़े वित्त मन्त्रालय द्वारा दिए गए हैं।

अध्याय 2

संघ उत्पाद शुल्क

2.01 1980-81 वर्ष के दौरान संघ उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत 6500.02* करोड़ रु० की प्राप्ति हुई थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियां और उन वस्तुओं की संख्या जिन पर केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन उत्पाद शुल्क उद्ग्राह्य था, नीचे दी गई हैं:—

वर्ष	संघ उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियां	उत्पाद के अधीन वस्तुओं की संख्या	उद्ग्रहण (करोड़ रुपयों में)
1976-77	4,221.45	132	
1977-78	4,447.51	136	
1978-79	5,341.95	138	
1979-80	6,011.09	139	
1980-81	6,500.02*	139	

2.02 1980-81 वर्ष की प्राप्तियों को 1979-80 के तदनुसूची आंकड़ों सहित अलग-अलग नीचे दर्शाया गया है:—

का—विभाज्य शुल्क	वास्तविक आंकड़े	
	1979-80@ रु०	1980-81 रु०
मूल उत्पाद शुल्क	52,66,40,64,241	55,25,46,15,203
सहायक उत्पाद शुल्क	7,37,659	(—) 4,37,048

*नवम्बर 1981 एवं जनवरी 1982 में महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा आंकड़े (अन्तिम) सूचित किये गये थे।

@अगस्त 1981 में वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित वास्तविक आंकड़े सूचित किये गये थे।

1	2	3
विशेष उत्पाद शुल्क	93,44,53,378	2,57,99,49,844
खनिज उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	1,54,60,130	37,63,940
जोड़ (का)	53,61,47,15,408	57,83,78,91,939
खा—राज्यों को समनुदेशित शुल्क :		
बिक्री कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	3,55,86,62,715	4,08,91,53,015
विद्युत् उत्पादन पर उत्पाद शुल्क	1,24,55,14,596	1,31,06,39,013
जोड़ (खा)	4,80,41,77,311	5,39,97,92,028
गा—अविभाज्य शुल्क		
विनियामक उत्पाद शुल्क	57,60,011	65,670
सहायक उत्पाद शुल्क	5,71,599	2,00,043
विशेष उत्पाद शुल्क	49,00,481	4,27,59,809
कपड़े और कपड़े से बनी वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	49,01,08,238	62,93,46,373
अन्य शुल्क	88,29,828	38,04,724
जोड़ (गा)	51,01,70,157	67,61,76,619
घ—वस्तुओं पर उप कर	1,16,05,08,998	1,06,46,84,919
ङ—अन्य प्राप्तियां	2,13,56,237	2,16,61,706
जोड़—मुख्य शीर्ष	60,11,09,28,111	65,00,02,07,211

2.03 1980-81 के बजट की मुख्य बातें:

18 जून 1980 को संसद में बजट प्रस्तुत किया गया था। वित्त (सं० 2) अधिनियम 1980 (1980 की सं० 44) द्वारा किये गये मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित थे:—

(i) आय कर अपीलिय न्यायाधिकरणों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण मामलों पर अपीलों की सुनवाई के लिए

अपीलीय न्यायाधिकरणों को स्थापित करने के उद्देश्य से वित्त (सं० 2) अधिनियम 1980 के द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में नयी धाराएं जोड़ी गईं।

(ii) शुल्क योग्य तैयार उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री/संघटकों पर अदा किये गये शुल्क की सीमा तक राहत देने के प्रयोजन के लिए 1 अगस्त, 1980 से प्रोफार्मा क्रेडिट योजना द्वारा कुछ अपवादों सहित शुल्क को मुजरा करने की वर्तमान योजना को बदला गया था।

(iii) कुछ निर्दिष्ट मदों पर प्रभावी मूल उत्पाद शुल्क के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक विशेष उत्पाद शुल्क की दर को बढ़ाया गया था।

(iv) शीरा पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ में नयी मद सं० 15 गा गा जोड़ी गयी थी।

(v) टैरिफ मद 68 का विषय क्षेत्र इस प्रकार स्पष्ट किया गया था कि जहां पर एक विशेष वस्तु अथवा वस्तुओं का समूह अन्य टैरिफ मदों के विषय क्षेत्र से निकाल दिया जाता है तो ऐसी वस्तुएं मद सं० 68 के अन्तर्गत आएंगी। इस मद के बारे में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन स्माल स्केल सैक्टर को उपलब्ध छूट की मात्रा में वृद्धि था।

2.04 वर्ष 1980-81 के दौरान निम्नलिखित सत्ताइस वस्तुओं में से प्रत्येक से 50 करोड़ रु० से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। सामूहिक रूप से, इन वस्तुओं से प्राप्त शुल्क निम्नलिखित प्राप्तियों का लगभग 82 प्रतिशत था:

(करोड़ रु० में)

1	2
1. सिगरेट	613.37
2. मोटर स्प्रिट	492.17
3. कृत्रिम रेशे और धागा	474.08

1	2
4. सभी अन्य वस्तुएं जो और कहीं उल्लिखित नहीं हैं	434.33
5. टायर और ट्यूब	288.29
6. परिष्कृत डीजल तेल और वाष्पशील तेल	279.94
7. लोहा और इस्पात उत्पाद	275.62
8. खंडसारी सहित चीनी	249.37
9. मोटर गाड़ियां	227.58
10. पेट्रोलियम उत्पाद जो अन्य प्रकार से उल्लिखित नहीं है	175.23
11. कागज	174.50
12. सूती वस्त्र	153.48*
13. विद्युत्	139.09
14. सीमेंट	136.83
15. प्लास्टिक	123.55
16. भिट्टी का तेल	123.24
17. बीड़ी	118.71
18. कृत्रिम वस्त्र	112.63*
19. ऐल्यूमिनियम	111.44
20. सूती धागा	108.74
21. बिजली के तार और केबिल	102.13
22. पेटेन्ट अथवा स्वाम्य श्रौपधियां	84.06
23. रीर-सैलूलोजिक काता हुआ धागा	79.11
24. चाय	66.28*
25. रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलन उपकरण और मशीनरी	59.73
26. जट वित्तिर्माण	56.41
27. दिया-सलाइयां	50.31
	5,310.22**

*उपकर आंकड़े भी शामिल हैं।

**जुलाई 1981 में वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए आंकड़े।

2.05 बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में विभिन्नताएं

1980-81 वर्ष के लिए बजट अनुमान, वास्तविक वसूली और विभिन्नताएं पिछले तीन वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों सहित नीचे दी गई हैं:—

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े (करोड़ रु० में)	विभिन्नता	प्रतिशतता
1977-78	• 4593.24	4447.51	(--) 145.73	(--) 3.17
1978-79	• 5299.06	5341.95	(+) 42.89	(+) 0.81
1979-80	• 6008.00(क)	6011.09	(+) 3.09	(+) 0.05
1980-81	• 6264.81	6500.52(ख)	(+) 235.21	(+) 3.75

2.06 वसूली की लागत

1980-81 वर्ष के दौरान संघ उत्पाद शुल्क का राजस्व वसूल करने में किया गया व्यय पूर्ववर्ती तीन वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों सहित नीचे दिया जाता है:—

वर्ष	वसूली (करोड़ रु० में)	वसूली पर व्यय
1977-78	• • • • 4447.51	33.10
1978-79	• • • • 5341.95	35.35
1979-80	• • • • 6011.09	35.39
1980-81	• • • • 6500.02(ख)	38.42

2.07 नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम

विभिन्न केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरियों के अभिलेखों और उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले लाइसेंसधारियों के मूल आधिकारी अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा से 33.27 करोड़ रु० की सीमा तक शुल्क का अनिर्धारण और राजस्व की हानियों का पता चला ।

(क) अगस्त 1981 में वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किये गये संशोधित आंकड़े ।

(ख) नवम्बर 1981 में महालेखानियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा सूचित किये गये आंकड़े

(अन्तिम)

नमूना लेखापरीक्षा में देखी गई अनियमितताएं निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं:—

- (क) लघु इकाइयों को गलत छूट
- (ख) शुल्क का बचाव/परिहार
- (ग) गलत वर्गीकरणों के कारण शुल्क का न लगाना/कम लगाना
- (घ) छूट अधिसूचनाओं का गलत लागू किया जाना और छूटों का गलत दिया जाना
- (ङ) अनियमित वापसियां
- (च) उच्चतर उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक शुल्क राहत
- (छ) प्रोफार्मा क्रेडिट की अनियमित उपलब्धी
- (ज) अन्य रुचिकर बातें

लेखापरीक्षा की जानकारी में आये कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुवर्ती पैराग्राफों में दिये जाते हैं।

लघु इकाइयां

2.08 टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर छूट

दिनांक 18 जून 1977 की अधिसूचना के अधीन टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं शुल्क से मुक्त थी बशर्ते कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में विनिर्माता द्वारा अथवा विनिर्माता की ओर से निकासी किये गये सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का कुल मूल्य 30 लाख रु० से अधिक न हो और यदि औद्योगिक इकाई जिसमें उपरोक्त माल का उत्पादन किया गया था में लगे संयंत्र और मशीनरी पर समय-समय पर किये गये पूंजी निवेश का कुल मूल्य 10 लाख रु० से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, 1977-78 के बाद किसी वित्तीय वर्ष के दौरान तीस लाख रु० से अनधिक के मूल्य तक और 18 जून 1977 से 31 मार्च 1978 की अवधि के दौरान 24 लाख रु० से अनधिक के

मूल्य तक छूट केवल घरेलू खपत के लिए प्रथम निकासियों पर लागू थी। 1 मार्च 1979 को जारी की गई दूसरी अधिसूचना द्वारा पहले अधिसूचित शर्तों के अध्यधीन उपरोक्त माल 15 लाख रु० तक शुल्क से पूर्णतया मुक्त था और वर्ष 1979-80 के दौरान 15 लाख रु० की पहली निकासियों के बाद उस पर यथा मूल्य 4 प्रतिशत शुल्क उद्ग्राह्य था।

(क) एक कलक्टरी में टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले "हीट एक्सचेन्जर, डिस्टिलेशन कालम्स" आदि का विनिर्माण करने वाली एक इकाई ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 1977-78 में इसके द्वारा निकासी की गई सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का कुल मूल्य 29.86 लाख रु० घोषित किया और वर्ष 1978-79 के दौरान टैरिफ 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के संबंध में 30 लाख रु० मूल्य तक की वस्तुओं की निकासी पर उसने शुल्क से छूट प्राप्त की। तथापि छूट के प्रयोजन के लिए निकासियों के मूल्य की संगणना करते समय लाइसेंसधारी ने वसूल किये गये पर्यवेक्षण और प्रतिष्ठापना प्रभारों जो दिनांक 9 सितम्बर, 1977 के बोर्ड के स्पष्टीकरण के अनुसार निर्धार्य मूल्य के भाग थे, 30 अप्रैल, 1975 की अधिसूचना के अधीन शुल्क लगाए जाने योग्य जाँव प्रभारों और कतरन का मूल्य जो उत्पाद शुल्क लगाने योग्य था, को हिसाब में नहीं लिया। जब उन मूल्यों को शामिल किया गया तो 1977-78 के दौरान सभी उत्पाद शुल्क योग्य माल की निकासी का कुल मूल्य 31.88 लाख रु० परिकलित हुआ जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित वर्ष 1978-79 के लिए पूर्णतः और वर्ष 1977-78 के लिए अंशतः छूट का अधिकारी नहीं रहा। छूट अधिसूचना के गलत लागू किये जाने के कारण वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए न लगाये गये शुल्क की राशि 2.50 लाख रु० (जो बाद में संशोधित करके 2.49 लाख रु० रह गई) बनी।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली (फरवरी 1981)।

आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (अगस्त 1981) कि 2,49,263 रु० के लिए एक कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया गया है और उस पर अधिनिर्णय लिया जा रहा है।

(ख) टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली एक इकाई ने दिनांक 1 मार्च 1979 की अधिसूचना के अधीन छूट तथा शुल्क की रियायती दर प्राप्त की यद्यपि संयंत्र और मशीनरी पर समय-समय पर किए गए पूंजी निवेश की कुल राशि 10 लाख रु० से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1979 से फरवरी 1980 तक की अवधि में शुल्क का 1.64 लाख रु० अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अप्रैल 1980) विभाग ने उस अवधि के लिए, जिसके दौरान छूट दी गई थी, 2.30 लाख रु० के शुल्क की मांग करते हुए विनिर्माता को कारण बताओ नोटिस जारी किया (जुलाई 1980)।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्रालय ने बताया है (जुलाई 1981) कि 2.30 लाख रु० की मांग में से आधिकारिक सहायक समाहर्ता ने 14 जनवरी 1980 से 18 जून 1980 तक की अवधि के लिए 86,486 रु० की मांग की पुष्टि की और 1 अप्रैल 1979 से 13 जनवरी 1980 तक की अवधि की बकाया मांग कालातीत हो चुकी थी। बाद में मंत्रालय ने बताया (नवम्बर, 1981) कि निर्धारित ने सरकार को पुनरीक्षण आवेदन पत्र दिया जो अनिर्णीत पड़ा है।

2.09 छूट योजना-निर्दिष्ट माल

कुछ निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के लघु विनिर्माताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से और विशिष्ट मापदण्ड के आधार पर विभिन्न छूटों को तर्क संगत बनाने की दृष्टि से, सरकार ने, दिनांक 1 मार्च 1978 की अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्माता द्वारा अथवा विनिर्माता की ओर से जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू खपत के लिए एक या अनेक फैक्ट्रियों से निर्दिष्ट माल की कुल निकासी 15 लाख रु० से अधिक नहीं थी, (1 अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान 13.75 लाख रु०) वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू खपत के लिए की गई निकासी 5 लाख रु० से अनधिक कुल मूल्य तक निर्दिष्ट माल की पहली निकासी पर छूट प्रदान की।

दिनांक 30 मार्च 1979 की अधिसूचना द्वारा (1 अप्रैल 1979 से प्रभावी) एक नयी धारा शामिल की गई थी जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि एक से अधिक टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल का विनिर्माण करने वाले विनिर्माताओं को छूट ग्राह्य नहीं होगी यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी किए गए सभी उत्पाद शुल्क योग्य माल के कुल मूल्य 20 लाख रु० से अधिक हों।

अनेक मामलों जिनमें यह रियायत अनियमित रूप से मंजूर की गई/प्राप्त की गई थी पर 1979-80 वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (खण्ड-I अप्रत्यक्ष कर) के पैराग्राफ 2.11 में टिप्पणियां की गई थीं। लेखापरीक्षा के ध्यान में आये कुछ और मामले नीचे उल्लिखित हैं:—

(क) विभिन्न कलक्टरियों में स्थित 4 इकाइयों वाले एक न्यास और 5 इकाइयों वाले एक विनिर्माता को 1979-80 के दौरान निर्दिष्ट माल की निकासियों पर छूट का लाभ उठाने के लिए अनुमति दी गई थी यद्यपि पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न इकाइयों से उनकी ओर से निकासी किए गए सभी उत्पाद शुल्क योग्य माल का योगिक कुल मूल्य 20 लाख रु० से अधिक था।

लेखापरीक्षा में यह बताया जाने पर विभाग ने न्यास के बारे में 48,990 रु० और दूसरे विनिर्माता की एक इकाई के बारे में 26,883 रु० के लिए कारण बताओ और मांग नोटिसों को जारी किया।

दोनों मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया (नवम्बर और दिसम्बर, 1981) कि एक मामले में 48,990 रु० के मांग की पुष्टि हो चुकी है लेकिन निर्धारित नै अपील दायर की है और दूसरे मामले में 17,131 रु० का कारण बताओ और मांग नोटिस पर अधिनिर्णय लिया जा रहा है।

(ख) टैरिफ मद 14घ के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के विनिर्माण में लगी हुई एक इकाई ने बिक्री बीजकों द्वारा वास्तविक रूप से प्रभारित कीमतों के आधार पर इसकी संगणना करने के बजाए 5 लाख रु० की

छूट सीमा के प्रयोजन हेतु मूल्य की संगणना करते समय उत्पाद शुल्क के तत्व को छोड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप 1978-79 और 1979-80 वर्षों के लिए 64,913 रु० के शुल्क की कम अदायगी हुई।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने 64,913 रु० की मांग उठाई और उसकी पुष्टि की।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1981) कि निर्धारित ने अपीलीय समाहर्ता के समक्ष अपील दायर की है।

(ग) दिनांक 31 मार्च 1978 की अधिसूचना के अनुसार, निकासियों के कुल मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए मूल्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अंतर्गत नियत किया गया टैरिफ मूल्य होना चाहिए। ऑक्सीजन के बारे में, 26 जुलाई 1971 से टैरिफ मूल्यों को नियत किया गया था और वे 29 मार्च 1978 तक लागू थे।

एक कलक्टरी में ऑक्सीजन और ऐसीटिलीन गैसों का विनिर्माण करने वाली एक एक इकाई को छूट प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि 28 फरवरी 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान निकासियों का कुल मूल्य 13.75 लाख रु० की निर्धारित सीमा में था। तथापि यह जानकारी में आया कि ऑक्सीजन की निकासियों का मूल्य वर्तमान टैरिफ मूल्य के बजाय धारा 4 के अंतर्गत परिकल्पित किया गया था। चूंकि निकासियों का कुल मूल्य ऑक्सीजन गैस के टैरिफ मूल्य के आधार पर 28 फरवरी 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान 13.80 लाख रु० बनता था, इकाई 1978-79 वर्ष के दौरान छूट की हकदार नहीं थी। इसके कारण अप्रैल 1978 से जून 1978 तक 62,874 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षा में यह बताये जाने पर (मई 1979) विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (मार्च 1981) कि आधिकारिक सहायक समाहर्ता को आवश्यक मांग जारी करने के लिए अनुरोध दिए जा चुके हैं।

तथ्यों को तत्त्वतः सही स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1981) कि 62,874 रु० का कारण बताओ और मांग नोटिस जारी किया जा चुका है और उस पर अधिनिर्णय लिया जा रहा है।

(घ) वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान विनिर्माता को रियायत उपलब्ध थी यदि 1 अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी, 1978 की अवधि के दौरान घरेलू खपत के लिए उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से निकासी किए गए निर्दिष्ट माल का कुल मूल्य 13.75 लाख रु० से अधिक नहीं था। आगे जैसा कि 22 जनवरी, 1979 को सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसी अन्य अधिसूचना के अंतर्गत उसमें उल्लिखित को छोड़कर, शुल्क से मुक्त माल का मूल्य उसमें उल्लिखित छूट तथा निकासी की सीमाओं की संगणना करने के लिए हिसाब में लिया जाना था। 30 मार्च, 1979 को जारी की गई संशोधित अधिसूचना द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि निकासियों के कुल मूल्य की संगणना के प्रयोजन हेतु किसी निर्दिष्ट माल जो किसी अन्य अधिसूचना द्वारा शुल्क से मुक्त था, की निकासियों को 1 अप्रैल, 1979 से हिसाब में नहीं लिया जाना था।

टैरिफ मद 14 के अंतर्गत आने वाले नाइट्रो सेल्यूलोज लेक्वअर्स का विनिर्माण करने वाली एक फैक्टरी को 1978-79 के दौरान रियायत स्वीकार की गई यद्यपि 16 अक्टूबर, 1976 की छूट अधिसूचना के अंतर्गत आई निकासियों सहित 1 अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी, 1978 की अवधि के दौरान की गई निकासियों का सकल मूल्य 18.20 लाख रु० था। निकासियों के सकल मूल्य की संगणना करने के लिए 16 अक्टूबर, 1976 की अधिसूचना के अंतर्गत की गई निकासियों का मूल्य भी हिसाब में लिया जाना था। क्योंकि उसे 1 मार्च, 1978 की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था। इसलिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान रियायत का पात्र नहीं था।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया कि 78,750 रु० की मांग की पुष्टि कर दी गई थी।

तथ्यों को तत्त्वतः सही मानते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (अगस्त 1981) कि 78,750 रु० की राशि वसूल कर ली गई है।

(ड) 1979-80 के दौरान दो ब्रान्ड नामों के अन्तर्गत बिजली के पंखे विनिर्मित करने वाली एक इकाई ने एक अन्य पार्टी को एकमात्र पूर्ति के लिए अभिप्रेत एक ब्रान्ड के संबंध में शुल्क अदा किया और इस आधार पर कि उस ब्रान्ड की निकासियों का सकल मूल्य पूर्व वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान 15 लाख रु० से अधिक नहीं था, दूसरे ब्रान्ड के सम्बन्ध में शुल्क से छूट प्राप्त की। क्योंकि कुछ पंखों पर ग्राहकों के ब्रान्ड नाम को लगाने से ग्राहक उत्पादों का विनिर्माता नहीं बन जाता अतः दोनों ही ब्रान्डों की निकासियां विहित सीमा से अधिक थी। इस प्रकार अप्रैल 1979 से दिसम्बर 1979 की अवधि के लिए प्राप्त अनियमित छूट की राशि 40,605 रु० बनी थी। लेखा-परीक्षा में यह बताया जाने पर विभाग ने तत्त्वतः तथ्यों के सही होने की पुष्टि की (दिसम्बर 1980)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि मामला जांचाधीन है।

2.10 नई छूट योजना-निर्दिष्ट माल

योजना को और उदार बना दिया गया था तथा 19 जून, 1980 की अधिसूचना के द्वारा इसके बदले दूसरी योजना लागू कर दी गई थी जिसके अन्तर्गत 5 लाख रु० और 15 लाख रु० के बीच की निकासी पर 25 प्रतिशत की सीमा तक और रियायत अनुमत कर दी गई थी। इस अधिसूचना के अनुसार किसी ऐसे मामले में, जहां किसी विनिर्माता ने पिछले वित्तीय वर्ष में किसी निर्दिष्ट सामान की निकासी नहीं की या ऐसे सामान की पहली बार निकासी पिछले वर्ष अगस्त की पहली तारीख को या उसके बाद की है तो ऐसे विनिर्माता को छूट तभी लागू होगी जबकि वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी किये गये सामान का कुल मूल्य 15 लाख रु० से अधिक न हो।

(क) निर्दिष्ट सामान (हाथ घड़ियां) का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंसधारी ने अक्टूबर 1979 से निकासी प्रारंभ कर दी और

1980-81 के दौरान 15 लाख रु० से अधिक निकासी हुई। लाइसेंस-धारी ने 1980-81 के दौरान 15 लाख रु० की पहली निकासी पर 65,979 रु० के शुल्क की छूट का फायदा उठाया।

यह चूक ध्यान में लाये जाने पर (फरवरी 1981) विभाग ने कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया (मई 1981)।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1981) कि 65,979 रु० की मांग निर्णय की प्रक्रिया के अधीन है।

(ख) एक कलक्टरी में एक प्रमुख इकाई ने कुछ छोटे विनिर्माताओं को सोडा-राख आपूर्त की और रूपान्तरण प्रभार अदा कर के उनसे सोडियम सिलिकेट (टैरिफ मद 14 ख ख) एक निर्दिष्ट सामान लिया। सामान की शुल्क के भुगतान के बिना निकासी कर दी गई क्योंकि छोटे विनिर्माताओं ने शुल्क रियायत का लाभ उठाया। इससे बड़े विनिर्माता छोटे विनिर्माताओं के लिये अभिप्रेत रियायत का लाभ उठाने में समर्थ हो गये और 1978-79 से 1980-81 के दौरान 1,07,430 रु० का शुल्क का भुगतान बचा लिया। जब लेखापरीक्षा ने इस ओर ध्यान दिलाया (फरवरी 1981) तो विभाग ने लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया तथा सूचित किया (मई 1981) कि विनिर्माता के विरुद्ध एक मामला दर्ज करा दिया गया है।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि कलक्टरी को मांग जारी करने के लिए निदेश दिया जा रहा है।

शुल्क का अपवंचन/परिहार

2.11 रिसॉसिनॉल फार्मलडिहाइड रेजिन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1978-79 के राजस्व प्राप्तियाँ (खण्ड-I—अप्रत्यक्ष कर) पर प्रतिवेदन के पैरा 38 में एक टायर फैक्टरी द्वारा विनिर्मित और आन्तरिक रूप से प्रयुक्त डिपिंग घोल पर शुल्क न लगाये जाने का मामला सूचित किया गया था। उस मामले में वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को पर्याप्त रूप से स्वीकार किया था।

एक कलक्टरी में एक और प्रमुख टायर फैक्टरी ने कार्बिक सोडा के घोल के साथ रिसॉसिनॉल और फार्मलडिहाइड की अभिक्रिया द्वारा रिसॉसिनॉल फार्मलडिहाइड घोल का विनिर्माण किया तथा रेयन, नायलोन और अन्य डोरियों के लिए डिपिंग घोल के रूप में आन्तरिक रूप से प्रयोग किया। यद्यपि रासायनिक रिपोर्टों में यह बताया गया था कि उत्पाद के नमूने (मई 1976 और जुलाई 1979 में लिये गये) फिनालिक/फिनाल फार्मलडिहाइड टाइप सॉलिस्ट रेजिन के थे फिर भी उत्पाद को टैरिफ मद सं० 15 क (1)(i) के अन्तर्गत वर्गीकृत करने और तदनुसार शुल्क वसूल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये।

लेखापरीक्षा द्वारा इस चूक की ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मार्च 1977 और मार्च 1980) विभाग ने बताया (जनवरी 1981 और मार्च 1981) कि 27 नवम्बर 1975 से 26 नवम्बर 1980 तक की अवधि के लिये 1.93 करोड़ रु० के शुल्क के लिये लाइसेंसधारी को कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया गया है (नवम्बर 1980)। यह भी बताया गया कि मामले पर निर्णय किया जा रहा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार न करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि मामले की विभाग द्वारा पहले ही जांच की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया था कि रिसॉसिनॉल फार्मलडिहाइड घोल पर रेजिन के रूप में टैरिफ मद 15 क के अन्तर्गत शुल्क उद्ग्राह्य है। यह भी बताया गया कि 1.93 करोड़ रु० के शुल्क की मांग करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था जो न्याय निर्णयाधीन था।

तथापि तथ्य यह है कि दिसम्बर 1979 में मंत्रालय द्वारा इसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार कर लेने के बावजूद रासायनिक जांचकर्ता के मत के अनुसार सामान को सही रूप से वर्गीकृत करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

2.12 रंगीन टिशू कागज

6 फरवरी 1978 को जारी की गई टैरिफ सूचना के अनुसार रंगीन टिशू कागज पर टैरिफ मद 17(2) के अन्तर्गत शुल्क लगाया जाना चाहिए।

एक कलकटरी में एक फैक्टरी ने फरवरी 1978 से शुल्क का भुगतान किये बिना रंगीन टिशु कागज की निकासी की। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अप्रैल 1980) विभाग ने 6 फरवरी 1978 से 2 अगस्त 1980 के दौरान की गई निकासी पर 12.53 लाख रु० के शुल्क की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया (जनवरी 1981)। वसूली का विवरण प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि मामला न्यायाधीन है क्योंकि निर्धारिती ने विभाग द्वारा जारी किये गये कारण बताओ और मांग नोटिस के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी है।

2.13 आकारित धागा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा 7 फरवरी 1976 को जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार टैरिफ मद 18ड के अन्तर्गत आने वाले नान-सैलूजिक काता हुआ धागा जिसका प्रयोग किसी मिश्रित मिल में किया जाता है, पर शुल्क की वसूली आकारीकरण के बाद इसके भार के आधार पर की जानी चाहिए।

(क) नान-सैलूजिक काते हुए धागे का विनिर्माण करने वाली एक यूनिट ने ऐसे धागे की निकासी आकारित स्थिति में की परन्तु उस पर शुल्क की अदायगी धागे के गैर आकारित भार के आधार पर की। जब जून 1979 में की गई लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाया गया तो विभाग ने 1 मार्च 1975 से 21 जून 1979 तक की अवधि के लिए 3,97,707 रु० की मांग जारी की। वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।

आपत्ति को स्वीकार न करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि नान-सैलूजिक काते हुए धागे के मामले में आकार देने को विनिर्माण की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता और 18 अप्रैल 1977 की अधिसूचना में गैर आकारित भार वाले नान-सैलूजिक काते हुए धागे का निर्धारण किए जाने की ही व्यवस्था है। यह बात स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अधिसूचना सैलूजिक काते हुए धागे पर लागू होती है न कि नान-सैलूजिक काते हुए धागे पर। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1975-76 के पैराग्राफ 68 में सूचित इसी प्रकार के मामले

में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली थी और 6 अक्टूबर 1976 को ये अनुदेश जारी किए थे कि टैरिफ मद 18ड के अन्तर्गत आने वाले धागे पर धागे के भार के आधार पर शुल्क की वसूली निकासी स्थल पर ही की जाय चाहे धागा आकारित हो अथवा गैर आकारित हो।

(ख) उसी कलकटरी में एक दूसरी यूनिट ने जो टैरिफ मद 18-III (ii) के अन्तर्गत आने वाले धागे का विनिर्माण करती थी, आकार देने के बाद बुनाई के लिए धागे की निकासी की परन्तु आकार देने से पूर्व के भार पर ही शुल्क अदा किया।

जुलाई 1980 में लेखापरीक्षा के दौरान इस अव-निर्धारण की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने जनवरी 1978 से फरवरी 1980 तक की अवधि के लिए 5,99,225 रु० की मांग (अगस्त 1980)की।

आपत्ति को स्वीकार न करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि टैरिफ मद 18 III (ii) के अन्तर्गत आने वाला नान-सैलूजिक धागा अधिनियम की धारा 2(च) (iv) में विनिर्दिष्ट नहीं है। मंत्रालय ने आगे बताया है कि आकारित भार पर शुल्क वसूली के प्रति निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई याचिका उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। तथापि, तथ्य यह है कि बोर्ड के स्पष्टीकरण के अनुसार शुल्क आकार देने के बाद धागे के कुल भार पर प्रभार्य था।

2.14 लच्छे, पट्टियां और प्लेटें

एक इस्पात के कारखाने में एच०आर० लच्छों/पट्टियों का कुल उत्पादन एक विशेष दिन टैरिफ मद 26 का का के अन्तर्गत 2,501.3 दशमिक टन था। किन्तु उत्पादन लेखे में केवल 1,531 दशमिक टन लेखाबद्ध किया गया। इसी प्रकार दूसरे दिन अलेपित प्लेटों के 13.7 दशमिक टनों के वास्तविक उत्पादन के प्रति केवल 13.1 दशमिक टन उत्पादन लेखे में लिया गया। इन दो मामलों में अन्तर्ग्रस्त शुल्क 4,58,545 रुपये परिकलित किया गया।

जुलाई 1979 में लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर विभाग ने बताया (अप्रैल 1981) कि हिसाब में न ली गई मात्रा अभी मई 1980 में लेब्रे में ली गई थी और विनिर्माता को इस परिकलन पर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही स्वीकार कर लिया है (सितम्बर 1981)।

2.15 कृत्रिम तन्तु धागा

नाइलोन, पॉलियेस्टर आदि जैसे आधार वाले गैर-सैलुलोजिक कृत्रिम तन्तु धागे पर टैरिफ मद 18 II (i) (क) के अन्तर्गत शुल्क प्रभाय हैं। यदि ऐसे धागे की बुनाई की जाती है तो इस पर टैरिफ मद 18 II (i) (ख) के अन्तर्गत शुल्क का उच्चतम दर अदा करना होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने विधि मंत्रालय से परामर्श करके अप्रैल 1977 में स्पष्टीकरण दिया कि तन्तु धागा और बुना हुआ धागा व्यापार दायरों में दो भिन्न पदार्थों के रूप में जाने जाते थे और इसलिए संघटित कारखाने में जहां दोनों तन्तु धागे और बुने हुए धागे विनिर्मित किए जाते थे, कृत्रिम धागे को बुनने से पहले तन्तु धागे पर शुल्क अदा करना आवश्यक था।

एक कलकटरी में एक संघटित इकाई ने शुल्क के बिना भुगतान किए तन्तु धागे की बुनाई के लिए निकासी की। तदुपरान्त कृत्रिम धागे का शुल्क निर्धारण मार्च 1978 में जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत किया गया। पहले मूल धागे का कर निर्धारण करने की विफलता के परिणामस्वरूप जैसाकि बोर्ड ने अनुदेश दिया था, 1 दिसम्बर 1979 से 25 फरवरी 1980 की अवधि में धागा बनाने की प्रक्रिया में नष्ट हुए तन्तु धागे की मात्रा पर चार लाख रु० का शुल्क नहीं लगा।

फरवरी 1980 में लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 1981) कि उचित कार्यवाही की जा रही थी। आगे परिणाम अपेक्षित हैं।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को मान लिया है (दिसम्बर 1981)।

2.16 घषित कपड़ा

18 जून 1977 से लागू टैरिफ मद 19 के संशोधित वर्णन के अनुसार घषित कपड़ा टैरिफ मद 19 की उप मद I(ख) के अंतर्गत सूती वस्त्र के रूप में वर्गीकरणीय हो गया था।

रबड़ होज के अगले विनिर्माण के लिए घषित कपड़ा बनाने वाले एक लाइसेंसधारी ने 1966 के उच्च न्यायालय के पहले फैसले के आधार पर शुल्क के भुगतान किए बिना वस्त्रों की निकासी करना जारी रखा। दिसम्बर 1980 में की गई लेखापरीक्षा में जब यह बताया गया कि टैरिफ मद के वर्णन में परिवर्तन से ऐसे सूती वस्त्रों पर शुल्क प्रभारित होना चाहिए, तो विभाग ने अवनिर्धारण स्वीकार कर लिया और 18 जून 1977 से 31 मई 1981 की अवधि के लिए 3,56,499 रुपये की मांग उठाई (जुलाई 1981)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि मामला जांच आधीन है।

2.17 पहिया सेट्स

वर्ष 1977-78 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राजस्व प्राप्तियाँ (अप्रत्यक्ष कर) के पैरा 81(क) में वैगन के निर्धारण योग्य मूल्यों में पहिये सेटों आदि की लागत के असमावेश के दो मामलों पर टिप्पणी की गई थी। उस मामले में वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया था।

एक दूसरा मामला ध्यान में आया जहाँ पर रेलवे ने पहिया सेट्स, केन्द्र प्रतिरोधक युग्मक, संचारण और धुरी डिब्बों सहित रोलर बहनों को वैगनों में सुपुर्दगी से पहले फिट करने हेतु एक कारखाने को आपूर्त किया। तथापि उनकी लागत वैगनों के निर्धारण करने योग्य मूल्यों में सम्मिलित नहीं की गई। फरवरी 1979 से मार्च 1980 तक की अवधि में मुक्त वैगनों में प्रयोग किए गए 398 पहिया सेट्स की लागत के असमावेश के कारण 1,87,800 रु० का शुल्क नहीं लगा।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने (जुलाई 1980) पर विभाग ने बतलाया (जून 1981) कि निर्धारिती के प्रति 1,87,800 रु० की एक मांग, उठाई जा चुकी थी। पहिया सेट्स के ठीक मूल्य और उठाई गई मांग के संबंध में वसुलियों के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं। अन्य घटकों की लागत और उसके ऊपर वसूली करने योग्य शुल्क की राशि के संबंध में विभाग से ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को मान लिया है (दिसम्बर 1981)।

2.18 चीनी

16 अगस्त 1978 से चीनी का नियंत्रण हटाए जाने पर 1977-78 मौसम के लिए लेवी चीनी की कीमतों को अधिसूचित करने वाला चीनी (कीमत निर्धारण) आदेश रद्द किया गया। 17 दिसम्बर 1979 से चीनी पर नियंत्रण के पुनः आरोपण से 1977-78 अवधि की लेवी चीनी की कीमत अधिसूचित की गई थी। परिणामस्वरूप केवल 1977-78 अवधि की चीनी खुली बिक्री के रूप में ही मुक्त की जा सकती थी न कि 17 दिसम्बर 1979 से नियंत्रण के पुनः आरोपण के पश्चात् लेवी चीनी के रूप में।

लेखापरीक्षा में यह देखने में आया (मई 1980) कि एक कलकटरी में एक चीनी कारखाने ने 1978-79 और 1979-80 अवधि के चीनी स्टॉक से लेवी चीनी के 11,625 क्विन्टल हेतु एक निर्मुक्त आदेश के प्रति 1977-78 अवधि की चीनी के 2,940 क्विन्टल जनवरी 1980 में मुक्त किए। 1977-78 अवधि से मुक्त चीनी पर 1977-78 अवधि की लेवी चीनी हेतु अप्रचलित चीनी (कीमत निर्धारण) आदेश में अधिसूचित कीमतों द्वारा निरूपित निर्धारण योग्य मूल्य पर शुल्क लगाया और इकट्ठा किया गया। 1977-78 अवधि की चीनी जो कि आमतौर पर निःशुल्क बिक्री चीनी के रूप में उच्चतर दर निर्धारण करने योग्य मूल्य पर निर्धारित की जानी थी के अनधिकृत रूप से हटाए जाने के परिणामस्वरूप 1,40,653 रु० के शुल्क की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर, विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया (जुलाई 1980)। वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।

वित्त मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1981) कि निर्धारिती ने 1,40,653 रु० की मांग की पुष्टि करते हुए सहायक समाहर्ता के आदेशों के प्रति अपील दायर की है।

2.19 इस्पात सिल्लियां

9 अप्रैल 1979 की अधिसूचना के अधीन, टैरिफ मद 26 का का के अन्तर्गत लोहा या इस्पात उत्पाद और उसमें उल्लिखित सामग्रियों में से किसी एक से विजली भट्ठी की सहायता से विनिर्मित 100 रु० प्रति दशमिक टन की प्रभावी दर पर शुल्क अदा करने अधीन हैं और जहां पर उपरोक्त उत्पाद शुल्क प्रदत्त इस्पात सिल्लियों से बनते हैं ऐसे उत्पादन उस पर उद्ग्राह्य समस्त शुल्क से मुक्त हैं।

दो संयुक्त इकाइयां रखने वाले एक लाइसेंसधारी ने लोहे या इस्पात के उत्पादों के विनिर्माण हेतु शुल्क का भुगतान किए बिना ही 9 अप्रैल 1979 से 31 दिसम्बर 1979 तक की अवधि में रोलिंग मिल सैक्शन को इस्पात सिल्लियों के 21,618 दशमिक टन का अन्तरण किया। उपरोक्त अवधि के दौरान अन्तरित सिल्लियों में से विनिर्मित लोहे या इस्पात के उत्पादों के 20,474 दशमिक टन उपयुक्त दर पर शुल्क भुगतान करने पर मुक्त किए गए। रोलिंग मिल सैक्शनों में संसाधन हानि को दशनि वाले इस्पात सिल्लियों के 1,134 दशमिक टनों पर शुल्क का उद्ग्रहण न करने की राशि 1,19,041 रु० थी (मूल 1,13,372 रु० और विशेष 5,669 रु०)।

लेखापरीक्षा में चूकों के बताए जाने पर (अप्रैल 1980), विभाग ने निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया (सितम्बर 1980)। मांग की पुष्टि और वसूली के व्यौरे प्रतीक्षित हैं।

लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत न होते समय वित्त मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1981) कि "दिर से आए दुरस्त आए सिद्धांत" जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बिल के प्रारूप में जो जल्दी ही संसद में प्रस्तुत होना है, समाविष्ट किया जा रहा है, के अनुसार शुल्क सही रूप से अदा हो चुका है।

तथापि तथ्य यह है कि उक्त सिद्धांत बिना किसी कानूनी समर्थन के लागू हो चुका था।

2.20 फ्लैट्स

एम.एस. रोड्स/बार्स इत्यादि से विनिर्मित लोहे या इस्पात के फ्लैट्स जो मोटाई में 10 मिलीमीटर से अधिक न हों, टैरिफ मद 26 का का के अन्तर्गत शुल्क के अधीन थे।

लेखा-परीक्षा में यह देखने में आया (अगस्त 1979) कि एक विनिर्माता ने एक कलक्टरी में फ्लैट्स की मोटाई बिना बताये शुल्क की शून्य दर पर फ्लैट्स को मुक्त कर दिया। सुपुर्दगी चालानों की और आगे जांच से पता लगा कि प्रेषित फ्लैट्स में से कतिपय फ्लैट्स की मोटाई 10 मिलीमीटर तक थी और इस तरह से वे शुल्क अधीन थे।

इसके बताए जाने पर विभाग ने बताया (जून 1981) कि दिसम्बर 1976 से अगस्त 1979 तक की अवधि को पूरा करते हुए 95,246 रु० का एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका था। अगले परिणाम प्रतीक्षित हैं।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही स्वीकार कर लिया है (नवम्बर 1981)।

2.21 पूर्ण मशीनरी

30 अप्रैल 1975 को जारी की गई अधिसूचना के आधार पर टैरिफ मद 68 के अधीन आने वाली वस्तुएं यदि एक कारखाने में विनिर्मित हुई हों और उसी कारखाने में या उसी विनिर्माता के किसी अन्य कारखाने में प्रयोग के लिए अभिप्रेत की गई हों, तो शुल्क से मुक्त होती हैं। तथापि यह निर्मुक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करने या संसाधित करने के मतलब के लिए पूर्ण मशीन पर लागू नहीं होती है चाहे यह विनिर्माता द्वारा उसी कारखाने या उसके अन्य कारखाने में प्रयोग के लिए ही अभिप्रेत की गई हो।

(क) एक प्रमुख जूते के कारखाने ने पहली मार्च 1975 के पश्चात अनेक पूर्ण मशीन मदों जैसे ऊपरी भाग काटने की मशीन, तल्ला काटने की मशीन, द्रवचालित तल्ला साधने की मशीन आदि का विनिर्माण किया और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क औपचारिकताओं को पूरा किये बिना और उनके ऊपर शुल्क अदा किए बिना कारखाने में वस्तुओं के उत्पादन या संसाधित करने के लिए उनका प्रयोग किया। विभाग, कारखाने द्वारा ऐसी पूर्ण मशीन मदों के विनिर्माण और इसके पश्चात् शुल्क के भुगतान के बिना उनकी निकासी का पता नहीं लगा सका।

लेखापरीक्षा में ऐसी चूकों के बताए जाने पर (दिसम्बर 1976) विभाग ने बताया (दिसम्बर 1980) कि कुल मिलाकर 47,652 रु० की मांगें लाइसेंसधारी के प्रति उठाई गई थीं। 1,409 रु० और 46,243 रु० का शुल्क क्रमशः 31 दिसम्बर 1976 और 19 मार्च 1979 को अदा किया।

मार्च 1975 से दिसम्बर 1978 तक की अवधि को शामिल करते हुए 46,243 रु० की मांग के संबंध में जो कि फरवरी 1979 में उठाई गई थी, लेखापरीक्षा में यह देखने में आया (दिसम्बर 1979) कि चूंकि निकासियाँ उत्पाद शुल्क औपचारिकताओं का पालन किए बिना ही सम्पन्न हुई थी इसलिए शुल्क की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 9का(5) के अन्तर्गत भुगतान की तिथि को (19 मार्च 1979) लागू यथामूल्य 8 प्रतिशत की दर पर वसूली करनी चाहिए थी और 1,19,792 रु० की कम लेवी और बताई गई। विभाग ने बाद में बताया (फरवरी 1981) कि समाहर्ता ने 1,25,00 रु० का दंड आरोपित करते हुए और 1,19,591 रु० के विभेदक शुल्क का भुगतान का आदेश करते हुए मामले का न्याय निर्णय किया। यह सूचित किया गया है कि निर्धारिती ने समाहर्ता के आदेश के प्रति अपील दायर कर दी है।

तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही स्वीकार करते समय वित्त मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 1981) कि अपीलीय प्राधिकारी ने 1,19,591 रु० की मांग का समर्थन किया परन्तु दंड को घटाकर 25,000 रु० कर दिया।

(ख) एक भिन्न कलकटरी में दूसरी इकाई ने उसके अपने कारखाने में प्रयोग के लिए क्रेनों का विनिर्माण किया और स्थापित किया

परन्तु उन पर कोई शुल्क अदा नहीं किया। जब यह लेखापरीक्षा में बतलाया गया (अक्टूबर 1980) तो विभाग ने दिसम्बर 1980 में 97,780 रु० की वसूली की।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही मान लिया है (नवम्बर 1981)।

2.22 मशीनी पुर्जे

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के अन्तर्गत प्रत्येक विनिर्माता के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए लाइसेंस लेना और विहित क्रियाविधि औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य है। नवम्बर 1977 में जारी की गई एक अधिसूचना के आधार पर कोई विनिर्माता जो कि किसी अन्य व्यक्ति से अपने लिए अपनी वस्तुओं का विनिर्माण करवाता है लाइसेंस प्राप्त करने से मुक्त होता है बशर्ते कि अन्य बातों के साथ साथ वह सम्बद्ध व्यक्ति को उक्त वस्तुओं के संबंध में समस्त विहित औपचारिकताओं का पालन करने के लिए प्राधिकृत करता है और इस तरह प्राधिकृत व्यक्ति, जिस कीमत पर उक्त विनिर्माता वस्तुओं की बिक्री कर रहा है, के संदर्भ में समस्त शुल्क जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सहमत होता है।

एक विनिर्माता ने अपनी विशिष्टियों के अनुसार अपने लिए अन्य व्यक्तियों द्वारा और कतिपय मामलों में कच्ची सामग्री भेजकर कतिपय बॉयलर के पुर्जे और सीमेंट बनाने की मशीन के पुर्जे (दोनों टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत) विनिर्मित कराये। ये पुर्जे उसके अपने कारखाने में विनिर्मित पुर्जों सहित विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को बेच दिए गए। तथापि यह देखने में आया कि उपरोक्त विनिर्माता ने केवल अपने कारखाने में विनिर्मित पुर्जों के संबंध में ही शुल्क अदा किया था। यद्यपि वह पूरित पुर्जों की समस्त मात्रा पर शुल्क की वसूली कर चुका था और उसने क्रियाविधि संबंधी औपचारिकताओं का पालन करने और दिनांक 5 नवम्बर 1977 की अधिसूचना के अधीन अपेक्षित देय शुल्क को अदा करने के लिए अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को प्राधिकृत भी नहीं किया था। ऐसे पुर्जों के संबंध में "मूल्य वृद्धि" खंड के अन्तर्गत वसूल की गई अतिरिक्त

राशियों को लेखे में लेने के पश्चात् शुल्क की गैर अदायगी की राशि अप्रैल 1977 से मार्च 1979 तक की अवधि में 9.17 लाख रु० अनुमानित की गई।

लेखापरीक्षा में इस चूक के बताए जाने पर (मार्च 1980) विभाग ने बतलाया (सितम्बर 1981) कि 9.17 लाख रु० हेतु दो कारण बताओ और मांग नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अगले परिणाम प्रतीक्षित हैं।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1981) कि 6,41,408 रु० और 2,75,592 रु० की मांगों अधिनिर्णय की प्रक्रिया के अधीन हैं।

2.23 ए०ई०ई०पी० जूड की निकासी

21 अगस्त 1975 को जारी की गई अधिसूचना, यथा संशोधित के अंतर्गत उसमें उल्लिखित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं जब उनके विनिर्माता के कारखानों में से उक्त क्षेत्र में स्थित उद्योगों द्वारा निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माण में आगे प्रयोग के लिए सान्ताक्रुज इलेक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बम्बई में लायी जाती हैं तो वे कुछ शर्तों के अधीन मुक्त होती हैं।

एक कलकटरी में क्रमशः टैरिफ मद 40 और 33घ के अंतर्गत अन्वियों के साथ-साथ इस्पात फर्नीचर और टाइपराइटर का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंसधारी ने इन वस्तुओं का शुल्क का भुगतान किए बिना ही एक्सपोर्ट जोन में स्थित कारखाने के लिए निकासी कर दी। इन वस्तुओं के विक्रय पर निगरानी हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी वस्तुओं को उक्त क्षेत्र में कारखाने में प्राप्त होने पर कच्ची सामग्री लेखे में दर्ज करना चाहिए और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त करना चाहिए। यह देखने में आया कि इन इस्पात फर्नीचर और टाइप मशीनों को कच्ची सामग्री के रूप में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयोग नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में इसके बताए जाने पर (मार्च 1980) विभाग ने 21 मई 1975 से 5 मार्च 1981 तक की अवधि के लिए मार्च 1981 में 2,43,209 रुपए के लिए एक कारण बताओ और मांग नोटिस जारी किया।

लेखापरीक्षा आपत्ति को मानते समय वित्त मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1981) कि 2,43,209 रुपये की मांग अधि-निर्णय की प्रक्रिया-के अधीन है।

वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क न लगाना/कम लगाना।

2. 24 कच्चा नैफ्था और अमोनियम क्लोराइड

खाद को सबसे पहले उत्पाद शुल्क सूची मद 14 जज के अन्तर्गत पहली मार्च 1969 से उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत लाया गया।

एक कलक्टरी में एक खाद कारखाने ने औद्योगिक रसायन के रूप में प्रयोग हेतु उच्च तकनीकी शुद्धता (99.8 प्रतिशत) के अमोनियम क्लोराइड का विनिर्माण किया। इसका विनिर्माण कच्चे नैफ्था (टैरिफ मद 6) में से किया गया जिस पर शुल्क की रियायती दर (पहली मार्च 1969 को 620 रुपए प्रति किलोलीटर के शुल्क दर के प्रति 5 प्रतिशत यथामूल्य) लागू होती यदि वह खाद के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड को इस मामले में खाद के रूप में प्रयोग नहीं किया गया, इसके विनिर्माण में प्रयोग किया गया कच्चा नैफ्था शुल्क की रियायती दर के लिए पात्र नहीं था। अतः विभाग ने 20 मार्च 1969 और 13 मार्च 1972 को 1967-68 से 31 दिसम्बर 1971 तक की अवधि के लिए 1,09,28,247 रु० के विभेदक शुल्क की मांग की। कम्पनी ने तर्क किया कि अमोनियम क्लोराइड एक खाद था और कच्चे नैफ्थे पर इसलिए शुल्क की रियायती दर अनुमत्य थी। कम्पनी की अपील नवम्बर 1973 में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई। कम्पनी ने सरकार को विभेदक शुल्क से अनुग्रहपूर्वक राहत के लिए आवेदन किया। आवेदन पत्र अभी सरकार के पास विचाराधीन है।

अप्रैल 1974 में कम्पनी ने विभाग को सूचित किया कि वह 1974-75 से उत्पादन बढ़ाना चाहती थी और खाद के रूप में अमोनियम क्लोराइड के अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए इसकी खाद के रूप में पुनः वर्गीकरण के लिए प्रार्थना की। पुनः वर्गीकरण का जुलाई 1974 से विभाग द्वारा अनुमोदन किया गया।

लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि न तो कोई अतिरिक्त उत्पादन हुआ था और न ही माल के गुण या इसके सर्वसाधारण प्रयोग में कोई परिवर्तन था। उत्पादन के एक मुख्य भाग को (81 प्रतिशत) वस्तुतः औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेचा गया था। इसलिए खाद के रूप में उत्पादन का पुनः वर्गीकरण विधिवत नहीं था। 6 जुलाई 1974 से 31 मार्च 1981 तक अमोनियम क्लोराइड के विनिर्माण में प्रयोग किए गए कच्चे नैफ्था पर शुल्क में अननुज्ञेय रियायत की राशि 1,09,47,349 रुपये थी।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रयोजनों हेतु प्रयोग में लाया गया अमोनियम क्लोराइड जो शुल्क दर-सूची मद 14 जज के अंतर्गत नहीं आता था, पहली मार्च 1975 से टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत शुल्क के लिए निर्धार्य हो गया। तथापि उस पर कोई शुल्क भारत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप पहली मार्च 1975 से 31 मार्च 1981 तक की अवधि के लिए 43,75,078 रु० के शुल्क की लेवी नहीं लगी।

ये बातें अगस्त 1976 में विभाग के ध्यान में लाई गईं। विभाग ने आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (जुलाई 1981)। तथापि 8 मई 1981 को जारी किए गए तथ्यों के एक विवरण के उत्तर में विभाग ने बताया (जुलाई 1981) कि टैरिफ मद 6 के अंतर्गत आने वाले और अमोनियम क्लोराइड के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे नैफ्था पर शुल्क की कम लेवी 1,55,39,227 रुपए थी और टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत अमोनियम क्लोराइड पर न लगाया गए शुल्क की राशि 43,98,813 रुपये थी और आगे कहा कि एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका था। मामले में हुई और प्रगति की प्रतीक्षा है।

वित्त मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1981) कि मामला जांचाधीन है।

2.25 काबला, ढिबरी और पेच

काबलों ढिबरियों और पेचों पर टैरिफ मद 52 के अन्तर्गत शुल्क प्रभाय है, लागू दर यथामूल्य 15 प्रतिशत है।

(क) 17 सितम्बर 1976 को वित्त मंत्रालय द्वारा परिचालित निर्णय के अनुसार कुण्डे का काबला, पहिए की नाभि का काबला/गुलमेख और ऐक्सिल गुलमेख जिनसे केवल बांधने का काम लिया जाता है और इस प्रकार बांधने के बाद आटोमोबाइल गाड़ियों में जिनका अन्य कोई कार्य नहीं होता, वे टैरिफ मद 52 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं।

एक फैक्टरी जिसने 14 दिसम्बर 1975 तक टैरिफ मद 52 के अन्तर्गत पहिए के माउन्टिंग काबले और केन्द्र के काबले और गुलमेख काबले पर शुल्क का भुगतान किया, 15 दिसम्बर 1975 से 28 फरवरी, 1978 तक टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत शुल्क का भुगतान करके और उसके बाद टैरिफ मद 34-क के अन्तर्गत आने वाले मोटर वाहनों के पुर्जों की शुल्क से मुक्त किस्म के रूप में शुल्क का भुगतान किए बिना उन उत्पादों की निकासी की।

गलत वर्गीकरण का यह मामला पहली बार मार्च 1977 में और दूसरी बार जनवरी 1979 में लेखापरीक्षा में उठाया गया था। विभाग ने बताया (मई 1978) कि हालांकि उपरोक्त काबले आरंभ में टैरिफ मद 52 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए थे, निर्धारिती द्वारा दिए गए अभिवेदन पर और रासायनिक परीक्षक की राय के आधार पर सम्बद्ध सहायक कलक्टर ने बाद में यह निर्णय किया कि उन्हें उपरोक्त टैरिफ मद के क्षेत्र से बाहर रखा जाए। उसके पश्चात् फरवरी 1979 में विभाग ने सूचित किया कि ये उत्पाद टैरिफ मद 52 के अन्तर्गत वर्गीकृत और अनुमोदित किए गए थे और भुगतान नहीं किए गए शुल्क की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी। विभाग ने मार्च 1978 से फरवरी 1979 की अवधि के लिए कुल 7.22 लाख रु० के दो कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किए थे (अप्रैल 1979 और जुलाई 1979)। 1 मार्च 1978 से पहले की अवधि के लिए मांग करने की कार्यवाही अभी आरम्भ की जानी थी।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है (दिसम्बर 1981)।

(ख) अन्य पेचों के साथ "चौंसिरा पेचों" का विनिर्माण करने वाली एक फैक्टरी ने शुल्क का भुगतान किए बिना इस तर्क के आधार पर उनकी

निकासी की कि ऐसे उत्पाद लोहा या इस्पात उत्पाद हैं जो टैरिफ मद 26 कक के अन्तर्गत आते हैं और शुल्क प्रदत्त अर्ध तैयार इस्पात से तैयार किए जाने के कारण दिनांक 30 नवम्बर 1963 की अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क से छूट के पात्र थे। लेखापरीक्षा में यह बताया गया कि ऐसे चौसिरा पेच, चूकि पेच हैं अतः वे टैरिफ मद 26 क क की बजाए टैरिफ मद 52 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाने योग्य थे। ऐसे उत्पादों के गलत वर्गीकरण के कारण 1 अप्रैल 1980 को 39,480 मीटरी टन चौसिरा पेचों की निकासी के सम्बन्ध में 41,454 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर (अगस्त 1980) आधिकारिक अधीक्षक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अन्य बातों के साथ साथ यह बताया (सितम्बर 1980) कि इसी प्रकार के एक मामले में कीलदार पेचों की निकासी पर शुल्क की मांग की गई है और चौसिरा पेचों के बारे में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है (दिसम्बर 1981)।

2.26 पेटेन्ट या स्वामित्व वाली दवाइयाँ

टैरिफ मद 14-ड के स्पष्टीकरण I के अन्तर्गत पेटेन्ट या स्वामित्व वाली दवाइयों को ऐसी "दवाई या औषधीय उत्पाद जिनके ऊपर या जिनके डिब्बों पर अथवा दोनों पर एक ऐसा नाम अंकित हो जो किसी फार्मूले सम्बन्धी औषध कोश में या इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्रकाशन के मोनोग्राफ में विनिर्दिष्ट न हो अथवा जो ब्रांड नाम है जिसका प्रयोग दवाई और किसी ऐसे व्यक्ति जिसे स्वामित्व के रूप में या अन्यथा यह अधिकार हो कि वह उस व्यक्ति का परिचय देकर या परिचय दिए बिना उस नाम या चिन्ह का प्रयोग कर सकता है के बीच सम्बन्ध दर्शाने के लिए किया जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसी दवाई जो इस परिभाषा के भीतर आती हैं, उस पर 3 मई 1969 की अधिसूचना के अन्तर्गत यथामूल्य 2.5 प्रतिशत की दर से शुल्क निर्धार्य है।

लेखापरीक्षा के ध्यान में आए ऐसे कम शुल्क के उद्ग्रहण के कुछ मामले नीचे दिए जाते हैं :—

(क) एक कलकटरी में एक फैक्टरी ने "टेट्रासाइक्लीन कैप्सूल्स" का विनिर्माण किया जो एक औषधि कोशीय उत्पाद है और उसे (10 × 10 कैप्सूल्स के) पत्ते में तथा टीन पैकिंग (1000 कैप्सूल्स) में भी बाजार में बेचा गया। पत्ते वाली दवाइयों के मामले में उन पर विनिर्माता का नाम अंकित था और इस उत्पाद पर टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत शुल्क का निर्धारण हुआ। टीन पैकिंग वाली दवाइयां भी जिन पर विनिर्माता का मोनोग्राम अंकित था, टैरिफ मद 14 ड की बजाए टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई और उन पर शुल्क लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1977 से मार्च 1978 के दौरान 1.81 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस अनियमितता का उल्लेख किए जाने पर (मई 1978) विभाग ने अगस्त 1978 में निर्धारिती को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। मांग की पुष्टि प्राप्त होनी है।

तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही मानते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि अधिनिर्णय के समय कम उद्ग्रहण की वास्तविक राशि का पता लगेगा।

(ख) एक कलकटरी में औषधीय उत्पादों का एक विनिर्माता अपने यूनिट के मोनोग्राम वाली फिल्टर प्रूफ ढक्कनों का उपयोग करता था जिससे औषधि और उसके विनिर्माता के बीच संबंध का पता लग जाता था। तथापि दवाइयों को टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था और इसकी निकासी 1 मार्च 1975 से 17 जून 1977 की अवधि के दौरान 1 प्रतिशत यथामूल्य पर, 18 जून 1977 से 28 फरवरी 1978 की अवधि के दौरान 2 प्रतिशत शुल्क की अदायगी करके और 1 मार्च 1978 से उसी तारीख को जारी की गई एक अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क की अदायगी किए बिना ही की गई थी। उत्पाद को टैरिफ मद 14 ड की बजाए टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत गलत वर्गीकृत किए जाने के फलस्वरूप 1 मार्च 1978 से 30 जून 1979 के दौरान 1.10 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया।

अगस्त, 1979 में लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी, 1981) कि 1.10 लाख रु० की मांग की पुष्टि कर दी गई थी। 1 मार्च, 1978 से पहले कम अदा किए गए शुल्क की वसूली के संबंध में की गई कार्यवाही और की गई मांग की वसूली के व्यौरे प्रतीक्षित हैं।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) की निर्धारित ने 1.10 लाख रु० की मांग के विरुद्ध अपील दाखिल कर दी है। 1 मार्च 1975 से 28 फरवरी 1978 की अवधि के लिए भी 98,894 रु० का शुल्क सत्यापन के अधीन मांग लिया गया है।

(ग) एक अन्य फार्मेस्यूटिकल्स यूनिट ने अपना नाम कैप्सूलों पर इंगित कर दिया और अप्रैल 1978 से मार्च 1979 के दौरान शुल्क दिए बगैर उनकी निकासी कर दी जिससे 70,560 रु० का शुल्क नहीं लगा।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताया जाने पर, विभाग ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया तथा सितम्बर, 1980 में 70,560 रु० की मांग जारी की जिसकी दिसम्बर, 1980 में पुष्टि कर दी गई। मांग की वसूली के व्यौरे प्रतीक्षित हैं। विभाग को यह भी सलाह दी गई थी कि अप्रैल, 1978 से पहले और मार्च, 1979 के बाद की अवधि की शुल्क की राशि की वसूली के लिये कदम उठाये जाएं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है।

लेखा-परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा है (दिसम्बर, 1981) कि सहायक समाहर्ता द्वारा 70,560 रु० की मांग की पुष्टि कर दी गई है तथा अप्रैल, 1978 से पहले और मार्च, 1979 के बाद की अवधि की मांग जारी करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

2.27 सम्मिश्रित धागा

ऐसे सम्मिश्रित धागे पर, जिसमें रेयन और विस्कोस जैसे सेल्युलॉसिक उत्पत्ति के रेशों का भार अधिक होता है, शुल्क निर्धारण टैरिफ की

मद 18 III (ii) के अन्तर्गत 18 रु० प्रति किलोग्राम की दर से किया जाता है जबकि ऐसा धागा जिसमें नाईलोन और पोलियेस्टर जैसे गैर सेल्यूलोसिक उत्पत्ति के धागे अधिक होते हैं, टैरिफ मद 18 ड, के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा 24 रु० किलोग्राम की दर से शुल्क निर्धारित किया जाता है।

एक कलेक्टरेट में एक कपड़ा मिल ने:—

पोलियेस्टर	40 प्रतिशत
विस्कोस	30 प्रतिशत और
कपास	30 प्रतिशत

के संयोजन से सम्मिश्रित धागा निर्मित किया और इसका वर्गीकरण सेल्यूलोसिक स्पन धागे के रूप में टैरिफ मद 18 III(ii) में किया। यह वर्गीकरण नवम्बर 1979 में जारी किये गए टैरिफ, संज्ञापन के अनुरूप नहीं था। सम्मिश्रित धागे का वर्गीकरण एक रेशे के आधिपत्य पर निर्भर करता है तथा बहिष्कृत रेशों का सम्मिश्रण अभीष्ट नहीं है। इन अनुदेशों के अनुसार यह धागा गैर सेल्यूलोसिक स्पन धागे के रूप में मद 18 ड के अन्तर्गत ठीक रूप में वर्गीकरणीय था और 24 रु० प्रति किलोग्राम पर शुल्क प्रभाय था।

अक्टूबर 1980 में, लेखापरीक्षा द्वारा यह बताया जाने पर मार्च, 1980 से सितम्बर, 1980 तक कम उद्ग्रहीत शुल्क के लिये विभाग ने नवम्बर, 1980 में 4,09,261 रु० का कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किया।

बाद में तथ्यों को तत्काल: सही मानते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा है (अगस्त, 1981) कि निर्धारिता ने 4,09,261 रु० की राशि विरोध सहित अदा कर दी है।

2.28 कार्बनिक खाद

उर्वरकों, सभी प्रकार के, किन्तु प्राकृतिक, पशु व वनस्पति उर्वरकों को छोड़कर जबकि रसायनिक रूप से तैयार न किये गये हों, पर टैरिफ मद 14 ज ज के अन्तर्गत शुल्क लगाया जा सकता है।

एक इकाई ने पशुओं की अस्थियों और खाल की कतरनों से, गेलाटाइन, डिकैल्शियम फासफेट, फासफोरिक एसिड, अस्थि खाद्य, अस्थि चूर्ण, और कार्बनिक खाद निर्मित की जो कि खाल की कतरनों एवं पशु अस्थियों को हाईड्रोक्लोरिक एसिड एवं चूने से संसाधित करके निर्मित की और बाद में उन पर ताप प्रक्रिया एवं निस्स्यन्दन किया गया था।

उपरोक्त विधि से प्राप्त कार्बनिक खाद विभाग द्वारा टैरिफ मद 68 में वर्गीकृत किया गया था तथा समय-समय पर निर्धारित दरों पर शुल्क अदा करने के पश्चात् उसकी निकासी की गई थी।

लेखापरीक्षा में यह बताया गया (अगस्त, 1978) कि चूंकि "कार्बनिक खाद" पशु अस्थियों को रसायन रूप से संसाधित करने के पश्चात् गेलाटाइन के उत्पादन में प्राप्त एक पारिणामिक उत्पाद है, इसलिये यह टैरिफ मद 68 में वर्गीकृत नहीं की जा सकती किन्तु उर्वरक के रूप में टैरिफ मद 14 ज ज में ठीक रूप से वर्गीकरणीय है। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप अप्रैल, 1975 से जुलाई, 1978 तक की अवधि में 1,62,244 रु० के शुल्क की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह बताये जाने पर (जुलाई, 1979), विभाग ने 8 जून 1974 से 28 फरवरी 1979 तक की अवधि के लिये 3,05,499 रु० के दो कारण बताओ नोटिस जारी किये और उनकी 19 फरवरी 1981 को पुष्टि की।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि निर्धारिती ने, 2,84,855 रु० तथा 20,654 रु० की मांगों की पुष्टि करने वाले सहायक समाहर्ता के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी है तथा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं।

2.29 प्लास्टिक टार्चें

मई 1971 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार शुल्क प्रदत्त कृत्रिम राल और प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक के पदार्थ टैरिफ मद 15 का (2) के अन्तर्गत बिल्कुल शुल्क मुक्त हैं।

एक कलेक्टर में एक लाइसेन्सी ने शुल्क प्रदत्त प्लास्टिक से प्लास्टिक टार्चे निर्मित कीं तथा उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत बिना शुल्क अदा किये ही उनकी निकासी कर दी। लेखापरीक्षा में यह बताया गया (सितम्बर 1979) कि ये प्लास्टिक टार्चे पूर्ण रूप से प्लास्टिक से नहीं बनाई जाती हैं तथा बाजार में प्लास्टिक की वस्तुओं के रूप में भी नहीं जानी जाती हैं और इस प्रकार टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत इन पर शुल्क लगना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप 1 मार्च 1975 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि में 1,75,913 रु० का कम शुल्क लगाया गया। विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली और मांग जारी करने के लिए अनुदेश जारी किए (जून 1981)।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार न करते हुए मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1981) कि प्लास्टिक टार्चे प्लास्टिक पदार्थ हैं यद्यपि वे पूर्ण रूप से प्लास्टिक से नहीं बनी हैं और इस तरह छूट ठीक ही प्रदान की गई थी।

तथापि, तथ्य यह है कि एक पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र में सरकार ने अवलोकन किया कि टैरिफ मद 15 का (2) में टार्चों जैसे पदार्थ नहीं आते जैसा कि इस मद में दिये शब्द "सम्मिलित" के पश्चात् उदाहरण द्वारा निर्दिष्ट है, और इसलिए, टैरिफ मद 15 का (2) के अन्तर्गत वर्गीकरणीय नहीं है।

2. 30 एक्सपेन्शन बोर्ड

एक कलेक्टर में एक इकाई ने शुल्क प्रदत्त "इनस्यूलेशन बोर्ड" से उनके द्वारा तैयार एक "सैटीनेन्ट" के साथ रसायन संसाधन द्वारा एक्सपेन्शन बोर्ड निर्मित किया। विभाग ने वस्तुओं को टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया तथा 8 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से शुल्क वसूल किया।

इनस्यूलेशन बोर्डों का उपयोग मुख्यतया तापमान की हानि को रोकने के लिये किया जाता है जबकि एक्सपेन्शन बोर्डों का प्रयोग भवन उद्योग में रिसाव को रोकने के लिये गद्दीदार और भरने वाली सामग्री के रूप में किया जाता है। एक्सपेन्शन बोर्ड, इनस्यूलेशन बोर्डों से

वने हुए संसाधित बोर्ड होने के कारण "प्लाइवुड—अन्य सभी" के रूप में टैरिफ मद 16 (ख) (ii) के अन्तर्गत ठीक प्रकार से वर्गीकरण योग्य है, इसलिए उनपर 30 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से शुल्क लगेगा। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप जुलाई 1979 से जून 1980 के दौरान 1.71 लाख रु० का कम शुल्क एकत्रित हुआ।

लेखापरीक्षा में यह बताया जाने पर (सितम्बर, 1980), विभाग ने टैरिफ मद 16 (ख) (ii) के अन्तर्गत वर्गीकरण स्वीकार कर लिया (अक्तूबर, 1980)। जून, 1981 में विभाग को जारी किये गये तथ्यों के विवरण का उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने कहा है (दिसम्बर, 1981) कि मामला जांचाधीन है।

2.31 स्टार्च

रूपान्तरित स्टार्च सहित स्टार्च पर टैरिफ मद 15 गा के अन्तर्गत शुल्क प्रभार्य है।

एक कलेक्टरी में एक कारखाने ने देशज टैपियोका पाउडर/डक्सट्रिन को रसायन द्वारा संसाधित किया तथा अन्तिम उत्पाद का टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत एक आसंजक के रूप में निकासित कर दिया। लेखापरीक्षा के दौरान (जून, 1980) यह बताया कि अन्तिम उत्पाद रूपान्तरित स्टार्च होगा जिस पर टैरिफ मद 68 की वजाय टैरिफ मद 15 गा के अन्तर्गत शुल्क प्रभार्य होगा। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान 1.60 लाख रु० (लगभग) का कम शुल्क निर्धारण हुआ। तथ्यों के विवरण का उत्तर अभी विभाग से प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर, 1981) कि निर्धारिती द्वारा निर्मित "आसंजक" रसायन परीक्षण के लिये भेज दिया गया है और रसायन परीक्षक की रिपोर्ट की प्राप्ति तक कोई भी अभ्युक्तियां नहीं भेजी जा सकती।

2.32 निक्षारित ऐल्यूमिनियम पर्णिका

निक्षारित ऐल्यूमिनियम पर्णिका टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत की जा रही थी। जनवरी, 1980 में जारी की गई एक टैरिफ सूचना के अनुसार सादे ऐल्यूमिनियम पर्णिकाओं के इलेक्ट्रो-केमिकल संसाधन द्वारा निर्मित निक्षारित ऐल्यूमिनियम पर्णिकाएं टैरिफ मद 27 (ग) के अन्तर्गत आती हैं न कि टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत। तथापि, निक्षारित ऐल्यूमिनियम पर्णिकाएं मई, 1980 में जारी की गई एक अधिसूचना के द्वारा शुल्क विमुक्त कर दी गई थीं। इसलिये, विनिर्माता टैरिफ मद 27 (ग) के अन्तर्गत जनवरी, 1980 से मई, 1980 तक की अवधि के लिये शुल्क अदा करने के लिये बाध्य था।

एक कलकटरी में निक्षारित ऐल्यूमिनियम पर्णिकाओं का उत्पादन कर रहे एक लाइसेंसधारी ने जनवरी, 1980 में जारी की गई टैरिफ सूचना के पश्चात भी उत्पादन पर टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत शुल्क देना जारी रखा। मार्च, 1981 में लेखापरीक्षा द्वारा यह बताया जाने पर विभाग ने कहा कि यदि मांग जारी की जाए तो भी वह कालातीत हो जाएगी। विभाग द्वारा बोर्ड के 24 अक्टूबर, 1979 के स्पष्टीकरण के अनुसार टैरिफ सूचना पर समय पर कार्यवाही न किये जाने के कारण गलत वर्गीकरण हुआ तथा 4 जनवरी, 1980 से 9 मई, 1980 तक की अवधि के दौरान 1.24 लाख रु० (लगभग) के राजस्व की हानि हुई।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है (दिसम्बर, 1981)।

2.33 स्टील फर्नीचर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा मार्च, 1968 में जारी किये गये एक परिपत्र के अनुसार चल स्टील पदार्थ जिनकी भूमि व फर्श पर पड़े रहने की प्रकृति है तथा जो मुख्यतया कार्यालयों आदि को सुसज्जित करने के लिये व्यवहारिक उद्देश्य से प्रयोग में लाए जाते हैं, स्टील फर्नीचर के रूप में टैरिफ मद 40 के अन्तर्गत आते हैं।

एक कलेक्टर में एक फैक्टरी ने बैंकों द्वारा प्रयोग के लिये चल-स्टील प्लेटफार्म निर्मित किये और उन पर शुल्क "और कहीं भी उल्लिखित नहीं" के रूप में टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत निर्धारित किया। लेखापरीक्षा में यह बताया गया (जुलाई, 1980) कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार वस्तुएं स्टील फर्नीचर के रूप में टैरिफ मद 40 के अन्तर्गत निर्धारित होनी चाहिए। लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए विभाग ने 1 मार्च, 1975 से 31 अक्टूबर, 1980 तक की अवधि के लिये कम लगाये गये शुल्क के लिये दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 में 80,594 रु० के दो कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किये। वसूली के विवरण अभी प्रतीक्षित हैं।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा है (दिसम्बर, 1981) कि 56,012, रु०, 24,582 रु० तथा 5,511 रु० की मांगें अभी अधिनिर्णय की प्रक्रिया में हैं।

2.34 चीनी

"लेवी चीनी" यथा मूल्य पर शुल्क निर्धार्य है, लेवी मूल्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाता है। दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 के अपने आदेश में सरकार ने ई-30 ग्रेड चीनी का लेवी मूल्य 1978-79 और 1979-80 अवधि के लिये क्रमशः 180.80 रु० तथा 233.57 रु० प्रति क्विन्टल निर्धारित किया। इन आदेशों से खिन्न होकर एक कलेक्टर के दो विनिर्माता उच्च न्यायालय में पहुंचे तथा निम्नलिखित उच्चतर मूल्य प्राप्त करने के लिये उन्होंने जनवरी, 1980 में अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिये:—

विनिर्माता	अवधि	ग्रेड	उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत मूल्य रु०	प्रभावी होने की तारीख
"क"	1979-80	डी—29	297.64	2-1-1980
	1979-80	ई—30	297.94	
	1979-80	डी—30	298.49	
"ख"	1978-79	डी—29	225.32	3-1-1980
	1978-79	ई—30	225.62	
	1979-80	डी—29	297.64	21-1-1980
	1979-80	ई—30	297.76	

तदनुसार विनिर्माताओं ने क्रमशः 29 मार्च, 1980 और 30 मार्च, 1980 से शुल्क की अदायगी के प्रयोजनों के लिये संशोधित मूल्य सूचियां प्रस्तुत कीं।

यह देखा गया कि 2 जनवरी, 1980 और 30 मार्च, 1980 के बीच निकासी की गई 8904 क्विन्टल चीनी के संबंध में विनिर्माताओं ने सरकार द्वारा नियत न्यूनतर मूल्यों पर शुल्क अदा किया था यद्यपि उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत उच्चतर मूल्य खरीददारों से वसूल किये थे। इसके परिणामस्वरूप 69,485 रु० के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इस तथ्य की ओर संकेत किये जाने पर (जुलाई, 1980 और नवम्बर, 1980) विभाग ने सूचित किया कि विनिर्माता "क" से 14,968 रु० वसूल कर लिए गये थे (सितम्बर, 1980) और विनिर्माता "ख" से 54,463 रु० वसूल कर लिए गये थे (जून, 1981)।

वित्त मंत्रालय ने अधिकांश रूप में तथ्यों को सही स्वीकार कर लिया है (दिसम्बर, 1981)।

2. 35 प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स

समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 1 मार्च, 1975 की अधिसूचना के अधीन कीट नाशक, पीतनाशक, खरपतवार नाशक और फूंगी नाशक औषधियां जो टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आती हैं, लगाये जाने वाले सम्पूर्ण शुल्क से मुक्त हैं।

कृषि रसायनों का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंसधारी ने "प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स" नामक कतिपय रसायनों की "पीतनाशक औषधियों" के अन्तर्गत वर्गीकृत करके शुल्क का भुगतान किये बिना निकासी की। लेखापरीक्षा में यह बताया गया (मार्च, 1980) कि चूंकि प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स किसी भी नाशी जीव को मारने में सक्षम नहीं होते हैं और उनका उपयोग पौधों को क्षति पहुंचाये बिना ही उपज में काफी मात्रा में वृद्धि करने के लिये उपजवर्धकों के रूप में किया जाता है अतः उन्हें पीतनाशक औषधियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

रसायन जांचकर्ता की रिपोर्ट ने पुष्टि की (जुलाई, 1980) कि संबंधित रसायन पीतनाशक रसायन नहीं था। गलत वर्गीकरण के परिणाम-स्वरूप 1 मार्च, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 की अवधि के दौरान की गई निकासियों के संबंध में 62,766 रु० के राजस्व की हानि हुई। विभाग ने सूचित किया है कि प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स पर शुल्क की मांग करने के लिये कार्यवाही की जा रही है (जून, 1981)।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि मामला जांचा-धीन है।

2.36 साईकिल रिमें

साईकिल की रिमें, जो टैरिफ मद 35 के अधीन वर्गीकरणीय थी और जो फरवरी, 1965 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार फरवरी, 1979 के अन्त तक शुल्क के भुगतान से मुक्त थी, 1 मार्च, 1979 से टैरिफ मद 68 की परिधि के अधीन लाई गई। उसी तारीख को जारी एक अधिसूचना द्वारा उस पर शुल्क कम करके 5 प्रतिशत यथा मूल्य कर दिया गया और सम्पूर्ण शुल्क से छूट, जून, 1980 में जारी एक अन्य अधिसूचना द्वारा मंजूर कर दी गई। टैरिफ मद 35 तथा छूट अधिसूचना के अन्तर्गत रिमें का क्षेत्र केवल साईकिलों की रिमें तक ही सीमित किया जाना है न कि साईकिल रिक्शाओं की रिमें तक जिनकी भिन्न विशेषताएं होती हैं।

एक कलेक्टरी में साईकिल टायरों और ट्यूबों और रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में लगा एक निर्धारित साईकिल रिमें और साईकिल रिक्शा के रिमें का अलग और विशिष्ट मदों के रूप में विनिर्माण कर रहा था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया (मई, 1981) कि लाइसेंसधारी साईकिल के हिस्सों पर लागू छूट का उपयोग करते हुए शुल्क के भुगतान के बिना ही साईकिल रिक्शा रिमें की निकासी कर रहा था। अक्टूबर, 1980 से मार्च, 1981 की अवधि के लिये न लगाये गये शुल्क की राशि 53,604 रु० थी।

यह बताया जाने पर विभाग ने सूचित किया (अगस्त, 1981) कि 3 अक्टूबर, 1980 से 31 मार्च, 1981 के दौरान निकासी किये

गये माल पर न लगाये गये शुल्क की राशि 59,498 रु० थी। 1 मार्च, 1975 से 2 अक्टूबर, 1980 की अवधि के दौरान निकासी किये गये माल पर संग्रहीत न किये गये शुल्क की राशि अलग से निर्धारित की जा रही थी। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि समाहर्ता से अधिनिर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कहा गया है।

2.37 बटा हुआ धागा

सितम्बर, 1974 में जारी एक टैरिफ सूचना द्वारा केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि वह मिश्रित धागा जिसका विनिर्माण शुल्क प्रदत्त धागे से किया गया हो एक अलग मद के अन्तर्गत आता है और एक नई वस्तु है, जो इस रूप में बाजार में जानी जाती है और इस पर नई वस्तु के रूप में ही शुल्क लगेगा।

एक कलेक्टरी में एक इकाई ने शुल्क प्रदत्त 100 प्रतिशत ऐक्रीलिक यार्न (जो टैरिफ मद 18 खा (i) के अन्तर्गत आता है) की एक लड़ी और शुल्क प्रदत्त 48:52 पोलिस्टर/विस्कोस (जो टैरिफ मद 18 III (ii) के अधीन आता है) की एक अन्य लड़ी को दोहरा करके बटे हुए धागे का विनिर्माण किया था। इस प्रकार प्राप्त मिश्रित धागे में ऐक्रीलिक और पोलिस्टर/विस्कोस धागे का 50:24:26 के अनुपात में मिश्रण था और उसकी निकासी टैरिफ मद 68 के अधीन शुल्क के भुगतान पर की गई थी। बटे हुए धागे का वर्गीकरण जिसमें ऐक्रीलिक रेशे की अधिक मात्रा थी और जिसमें गैर सेल्युलॉसिक रेशे की मात्रा तोल में छोटे हिस्से से अधिक थी टैरिफ मद 18 खा की उप मद (ii) के अधीन किया जाना था जिस पर 18 रु० प्रति किलोग्राम के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क और लगता है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताया जाने पर (सितम्बर, 1980 और जून, 1981) विभाग ने जुलाई, 1981 में बताया कि मई और जून, 1980 के दौरान निकासी किये गये ऐसे 4,492 किलोग्राम धागे

पर 73210 रु० के अतिरिक्त शुल्क की मांग कर दी गई है। मांग की पुष्टि और उसकी वसूली के विषय में आगे कार्यवाही प्रतीक्षित है।

तथ्यों को अधिकांश रूप में सही मानते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि कम लगाये गये शुल्क की वास्तविक राशि 52,252 रु० पाई गई है। वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।

छूट अधिसूचनाओं का गलत लागू किया जाना

2.38 टायर और ट्यूबें ।

(क) निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना छूट का लाभ उठाना ।

14 जुलाई 1978 को यथा संशोधित अधिसूचना के अनुसार टैरिफ मद 16(1) और 16(3) के अन्तर्गत आने वाले पट्टों सहित टायर और ट्यूबों पर लगने वाले उतने उत्पाद-शुल्क से छूट दे दी गई जो 1 अप्रैल 1976 से पूर्व ऐसे टायरों और ट्यूबों का प्रथम बार उत्पादन प्रारम्भ करने वाली किसी फैक्टरी में उनके उत्पादन पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क के 87.5 प्रतिशत से अधिक हों और 1 अप्रैल 1976 के पश्चात् ऐसे टायरों और ट्यूबों का प्रथम बार उत्पादन प्रारम्भ करने वाली किसी फैक्टरी में उनके उत्पादन पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क के 75 प्रतिशत से अधिक हो । शुल्क की रियायती दर अन्य शर्तों के साथ इस शर्त के अध्यधीन थी कि यूनिट की प्रतिष्ठापित और लाइसेंसशुदा क्षमता महानिदेशक तकनीकी विकास द्वारा सत्यापित की जानी थी और निर्धारिती को देश में खपत के लिए की गई निकासी पर छूट प्राप्त करने का अधिकार था बशर्ते कि यह निकासी वित्तीय वर्ष 1978-79 की लाइसेंसशुदा क्षमता के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न हो । ऐसी राहत की राशि सभी सम्बद्ध छूट अधिसूचनाओं को ध्यान में रखकर परिकल्पित देय शुल्क की राशि पर निकाली जानी थी ।

पूर्वोक्त शर्तों को पूरा किए बगैर इस छूट का लाभ उठाने के फलस्वरूप 11,51,994 रु० का शुल्क कम लगाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है :—

- (i) एक कलकटरी में टायर और ट्यूबों का विनिर्माण करने वाले एक निर्धारिती ने प्रतिष्ठापित और लाइसेंसशुदा क्षमताओं विषयक

शर्त पूरी किए बगैर 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 की अवधि के दौरान शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाया। इसके परिणामस्वरूप 3,32,164 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 1980) विभाग ने सूचित किया (मई 1981) कि निर्धारित की 58,548 रु० की राशि मई 1980 से अगस्त 1980 की अवधि के दौरान वैयक्तिक खाता लेखा को डेबिट करके जमा कर दी थी। आगे हुई प्रगति की प्रतीक्षा है।

आपति अस्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) की चूँकि यह यूनिट महानिदेशक तकनीकी विकास की सूची में शामिल नहीं थी, अतः आवश्यक प्रमाण पत्र उद्योग निदेशक से प्राप्त कर लिया गया था। तथापि यह तथ्य तो रहता ही है कि अधिसूचना में महानिदेशक तकनीकी विकास के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

- (ii) एक कलक्टरी में एक निर्धारित 18 जून 1977 को जारी की गई एक अधिसूचना के अन्तर्गत अनुज्ञेय कच्चे माल पर प्रदत्त शुल्क के मुजरा किए जाने की छूट का लाभ उठा रहा था। यह देखा गया कि मुजरा किए जाने के पश्चात देय शुल्क की राशि पर राहत परिकलित करने की बजाए इसे मुजरा किए जाने से पूर्व निकाले गए शुल्क की राशि पर परिकलित किया गया था जिसके फलस्वरूप अधिक राहत अनुमत की गई।

सितम्बर 1979 में लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने निर्धारित की 14 जुलाई 1978 से मार्च 1980 तक की अवधि के लिए 8,19,830 रु० की अदायगी के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। आगे हुई प्रगति की प्रतीक्षा है।

लेखापरीक्षा आपति स्वीकार करते हुए वित्त मन्त्रालय ने बताया है (जुलाई 1981) कि 8,19,830 रु० की मांग अधिकारिता सहायक समाहर्ता के पास न्याय निर्णयाधीन है ।

(ख) अननुज्ञेय रियायत

टैरिफ मद 16 की उप मद (1) के अन्तर्गत आने वाले मोटर गाड़ियों के टायरों पर 31 जुलाई 1974 तक 50 प्रतिशत यथामूल्य की दर से और उसके पश्चात 55 प्रतिशत यथामूल्य की दर से शुल्क निर्धार्य था । टायर में अन्दर की ट्यूब, टायर पट्टा और बाहर का कवर शामिल था । दिनांक 18 जनवरी 1974 की एक छूट अधिसूचना के अन्तर्गत किसी वित्तीय वर्ष के दौरान मोटर गाड़ियों के ऐसे टायरों की देश में खपत के लिए कुल पचास लाख रु० मूल्य तक की प्रथम निकासी पर शुल्क 40 प्रतिशत यथामूल्य की रियायती दर से निर्धार्य था बशर्ते कि पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्माता द्वारा देश में खपत के लिए निकासी किए गये ऐसे टायरों का कुल मूल्य दो करोड़ रु० से अधिक न हो ।

एक नवस्थापित टायर फैक्टरी में टायरों की प्रथम निकासी दिसम्बर 1976 में की गई थी । लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जनवरी 1979) कि वित्त वर्ष 1976-77 के दौरान यूनिट ने 40 प्रतिशत यथामूल्य की रियायती दर से शुल्क की अदायगी पर कुल 49,99,999 रु० के मूल्य के 7,282 टायरों और 130 फलैपों की निकासी की । चूंकि पूर्ववर्ती वित्त वर्ष 1975-76 के दौरान देशी खपत के लिए टायरों की कोई निकासी नहीं की गई थी इसलिए रियायती दर लागू नहीं होती थी । यूनिट द्वारा अस्वीकार्य रियायत का लाभ उठाने के कारण 5,62,500 रु० के शुल्क के अवनिर्धारण के बारे में लेखा परीक्षा द्वारा बताए जाने पर (फरवरी 1979) विभाग ने सूचित किया कि मांग की पुष्टि की जा चुकी है (मार्च 1980) । किन्तु पार्टी ने अपीलिय समाहर्ता के पास अपील कर के जुलाई 1980 में वसूली स्थगन आदेश इस शर्त के अधीन प्राप्त कर लिए कि मांग की राशि के लिए बैंक की गारंटी दे दी जाएगी ।

वित्त मन्त्रालय ने तथ्यों को मूल रूप से सही मान लिया है (नवम्बर 1981) ।

(ग) नमूना टायरों की अधिक निकासी

3 जून 1972 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार उत्पादन करने वाली फैक्टरी अथवा किसी अन्य फैक्टरी में नमूना जांच के लिए निकाले गए टायरों पर उदग्राह्य समस्त उत्पाद शुल्क से छूट है बशर्ते कि एक बार में एक ही किस्म के टायरों की जांच की जाए और फैक्टरी के भीतर जांच में दिए गए और खपत किए गए नमूनों की मात्राओं के समुचित लेखे रखे जायें।

एक कलकटरी में टैरिफ मद 16 के अन्तर्गत आने वाले टायरों का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंस धारी ने उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार नमूने के रूप में विहित संख्या से अधिक टायरों की निकासी की। जब 1 अप्रैल 1978 से 31 दिसम्बर 1979 तक की अवधि के लिए नमूना टायरों की अधिक निकासी के बारे में जून 1980 में लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया तो विभाग ने नवम्बर 1980 में, 1,93,255 रु० की मांग की। आगे हुई प्रगति की प्रतीक्षा है।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते समय वित्त मन्त्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि 1,93,255 रु० की मांग न्याय निर्णयाधीन है।

2.39 तांबा

16 जुलाई 1966 की एक अन्य अधिसूचना (यथा संशोधित) के साथ पठित अप्रैल 1962 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत तांबा और तांबा मिश्र अर्थात् प्लेटें, चादरें, सर्किल, पट्टियां आदि जो तांबे या तांबा मिश्र या शुल्क प्रदत्त विशुद्ध धातु से प्राप्त स्क्रैप के पुराने छीजनों से विनिर्मित की जाती थी, से बनी वस्तुओं पर 700 रु० प्रति मीटरी दशमिक टन की रियायती शुल्क की दर से शुल्क प्रभार्य है। किन्तु यह रियायत उन वस्तुओं पर लागू नहीं होती है जिसके विनिर्माण के लिए जस्ता, टिन आदि जैसी अन्य धातुओं का प्रयोग किया जाता है।

(क) एक कलकटरी में एक लाइसेंसधारी ने ब्रास सर्किलों (जस्ता और तांबा का एक मिश्र) का विनिर्माण किया जिसके लिए उसने तांबा और तांबा मिश्र के साथ विशुद्ध जस्ते का भी उपयोग किया। उसी

अधिसूचना के अनुसार रियायती शुल्क की दर पर ब्रास सर्किलों की निकासी की गई। जुलाई 1978 में लेखा परीक्षा द्वारा यह बताया जाने पर कि चूंकि विनिर्मित ब्रास सर्किलों का विनिर्माण पूर्ण रूप से अधिसूचनाओं में उल्लिखित सामग्री से नहीं किया जाता है इसलिये रियायती दर पर शुल्क स्वीकार्य नहीं है, विभाग ने निर्धारिती को एक कारण बताया नोटिस जारी किया जिसमें उससे 1 जुलाई 1974 से 31 मई 1979 तक की अवधि के लिए 18.36 लाख रु० की मांग की गई थी। आगे की प्रगति प्रत्येक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है (मई 1981)।

(ख) एक अन्य कलक्टरी में तांबे की चादरों और सर्किलों का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंसधारी को उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत रियायत दी गई थी। लेखा परीक्षा के दौरान यह बताया गया (फरवरी 1980) कि अधिसूचना में उल्लिखित सामग्री के अतिरिक्त उन वस्तुओं के विनिर्माण में लाइसेंस धारी ने जस्ता पिण्डों का उपयोग किया था और इसलिए यह रियायत अनुज्ञेय नहीं थी। विभाग ने फरवरी 1979 से अगस्त 1980 की अवधि के लिए 1.58 करोड़ रु० की मांग की। बाद में यह सूचित किया गया (दिसम्बर 1981) कि फरवरी 1978 से जून 1981 की अवधि के लिए कुल 3.54 करोड़ रु० के लिए कारण बताया और मांग नोटिस जारी कर दिया गया था।

लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (जनवरी 1982) कि कलक्टर से निर्धारिती को जारी की गई मांग के विवरण के बारे में सूचित करने के लिए कहा जा रहा है।

2.40 स्टोल स्कल स्क्रेप्स और रनर्स एवं राईजर्स

टैरिफ मद संख्या 26 के अंतर्गत इस्पात धातु पिण्ड, पिघला हुआ रूही इस्पात सहित, कर निर्धार्य है। 9 दिसम्बर 1975 को यथा संशोधित, जारी अधिसूचना के अनुसार विद्युत भट्टी की सहायता से निर्मित किये जाने वाले इस्पात धातु-पिण्डों पर शुल्क के भुगतान की छूट थी। 20 जनवरी 1979 को दूसरी अधिसूचना के द्वारा, इस्पात धातु पिण्डों के निर्माण के दौरान प्राप्त हुआ स्कल स्क्रेप और रनर्स एवं

राइजर्स उसमें दी गई शर्तों के अध्याधीन शुल्क की अदायगी से मुक्त थे। अतः 20 जनवरी 1969 से पूर्व स्कल स्क्रैप और रनर्स एवं राइजर्स पर छूट उपलब्ध नहीं थी।

फरवरी 1979 में लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक कलक्टरों में स्क्रैप का उपयोग करने वाली यूनिटों ने जो विद्युत भट्टी की सहायता से इस्पात धातु पिण्डों का उत्पादन कर रही थी, 20 जनवरी 1979 से पहले निकासी किए गए रनर्स एवं राजर्स (अर्थात् पिछले रद्दी इस्पात) पर शुल्क की छूट ली।

इस बात की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने दो कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 9 दिसम्बर 1975 से 19 जनवरी 1979 तक की अवधि के लिए 12.38 लाख रुपयों के शुल्क की मांग की यह बताया गया कि मामला कलक्टर के समक्ष निर्णय के लिए विचाराधीन है। आगे की सूचना प्रतीक्षित हैं।

लेखा परीक्षा आपत्तियों को न मानते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि रनर्स एवं राइजर्स एक प्रकार के पिछले हुए रद्दी इस्पात हैं और यदि इसका निर्माण शुल्क प्रदत्त पिघलाए हुए रद्दी इस्पात से किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

यह स्वीकार्य नहीं है कि क्योंकि रनर और राइजर पर शुल्क छूट केवल 20 जनवरी 1979 से ही कुछ विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत दी गई थी।

2.41 ट्रेक्टर

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 1979-80 के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां खंड-1) के पैरा 2.18 में ट्रेक्टरों, जो 20 फरवरी 1977 की अधिसूचना के अन्तर्गत दी गई छूट के अन्दर नहीं आते थे, पर 18 जून 1977 से 30 अप्रैल 1978 की अवधि के दौरान कर कम लगाए जाने का मामला बताया गया था। वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली था (सितम्बर 1981)।

उसी कलेक्टरों में इसी प्रकार के दूसरे मामले में, लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि उपरोक्त अवधि में ट्रेक्टरों पर अनियमित रूप से शुल्क में छूट दी गई। इससे 6.86 लाख रुपयों के कम शुल्क की उगाही हुई। तथ्यों की विवरणी का, जो मार्च 1981 में विभाग को जारी की गई थी, का उत्तर प्रतीक्षित है।

लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि कलेक्टर को विभेदक शुल्क की वसूली करने के लिए कहा जा रहा है।

2.42 कागज

18 जून 1977 की एक अधिसूचना के अंतर्गत कागज बोर्ड, सिगरेट टिश्यू, पारदर्शी कागज, चिकनाई सह कागज, लेपित-कागज और ऐसे कागज जिसका प्रति वर्गमीटर भार 25 ग्राम से अधिक न हो, से भिन्न कागज उद्योगाध्य शुल्क के 75 प्रतिशत तक छूट पाने का पात्र था वशर्तों की मिल में विविध प्रकार के कागज और कागज बोर्ड के वार्षिक उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता 2,000 मेट्रिक टन से अधिक न हो। तथापि एक कागज मिल के मामले में जिसकी कागज की सभी किस्मों और कागज बोर्ड की प्रतिष्ठापित वार्षिक क्षमता 5,000 मीट्रिक टन से अधिक थी लेकिन 10,000 मीट्रिक टन से कम थी, को उद्योगाध्य शुल्क में 50 प्रतिशत तक शुल्क की छूट ग्राह्य थी।

लेखा परीक्षा के दौरान (जुलाई 1979) यह देखा गया कि एक कागज मिल जो लपेटने वाले कागज (रैपिंग पेपर) और स्ट्रा बोर्ड का निर्माण कर रही थी, ने लपेटने वाले कागज (रैपिंग पेपर) पर उद्योगाध्य शुल्क के 75 प्रतिशत की शुल्क छूट का इस आधार पर लाभ उठाया कि रैपिंगपेपर की प्रतिष्ठापित वार्षिक क्षमता 2,000 मीट्रिक टन से अधिक नहीं है यद्यपि उस मिल की कागज की सभी किस्मों और कागज बोर्ड (स्ट्रा-बोर्ड सहित) की वार्षिक प्रतिष्ठापित क्षमता 6,900 मीट्रिक टन थी।

लेखा परीक्षा द्वारा (जुलाई 1979) मामले का उल्लेख करते पर विभाग ने दो कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 18 जून 1977 से

31 अक्टूबर 1979 की अवधि के लिए 3.42 लाख रुपयों के शुल्क की मांग की ।

वित्त मंत्रालय ने लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए (जुलाई 1981) बताया कि 3.42 लाख रुपयों की मांग का मामला निर्णयाधीन है ।

2.43 बिजली के पंखे

यथा संशोधित 24 सितम्बर 1966 की अधिसूचना के अंतर्गत बिजली की मोटरों जो टैरिफ मद संख्या 30 के अंतर्गत आती हैं, यदि फैक्टरी में उनका उत्पादन प्रशीतन या वातानुकूलन उपकरणों या मशीनरी (जो टैरिफ मद 29-क के अंतर्गत आती है) के अवयवों के अंश के रूप में किया जाता है, जिस पर उत्पाद-शुल्क पूर्णरूपेण अथवा अंशतः उदग्राह्य है, उत्पाद-शुल्क से पूर्णतया मुक्त है ।

पंखे, जिन पर टैरिफ मद 33 के अंतर्गत शुल्क लगाया जाता है, तभी बनते हैं जब मोटर में (फैन ब्लेड) लगा दिए जाते हैं जिस परिवर्तन के फलस्वरूप उनका वास्तविक रूप बदल जाता है । ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है कि, जब इन संघों को प्रशीतन उपकरणों में लगाया जाये तो ये शुल्क मुक्त होंगे ।

एक फैक्टरी स्व-निर्मित बिजली की मोटरों में पंखड़ियों (फैन ब्लेड) को लगा रही थी, तथा उसके द्वारा बनाये गये बिजली के पंखों का प्रयोग आगे निर्मित किये जाने वाले वाटर-कूलरों में, बिना-शुल्क दिये कर रही थी । वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 1975 में स्पष्ट किया था कि घरेलू वातानुकूलकों या वाष्पित-कूलरों में प्रयोग करने से पूर्व यदि धौकनियां पंखे के रूप में आ जाएं तो वह टैरिफ मद 33(3) के अंतर्गत वर्गीकृत की जानी है । इस प्रकार मोटरों पर दी जाने वाली छूट का 3,992 विद्युत पंखों पर, जिनका मूल्य 9,31,060 रुपये था, जो अप्रैल 1979 से मार्च 1980 के दौरान निजी रूप में प्रयोग किये गए, पर गलत लागू करने के फलस्वरूप लगभग 1.47 लाख रु० का शुल्क लगाए जाने से रह गया ।

उत्पादित एवं प्रयोग में लाए गए पंखों पर वर्ष 1977-78 से 1979-80 के दौरान लगभग 2.84 लाख रुपये का शुल्क बकाया था। 1 अप्रैल, 1980 और उससे आगे की देय राशि का भी पता लगाया जाना है व वसूल किया जाना है।

शुल्क न लगाए जाने का मामला विभाग की जानकारी में जनवरी 1981 और फिर मई 1981 में लाया गया, उत्तर प्रतीक्षित हैं।

वित्त मंत्रालय ने (नवम्बर 1981) बताया है कि मामला कलक्टर के समक्ष निर्णय के लिए विचाराधीन है।

2.44 सिन्थेटिक रेजिन

29 मई 1971 की अधिसूचना के अनुसार, प्लास्टिक से बनी वस्तुएँ शुल्क से मुक्त हैं यदि ये वस्तुएँ उन कृत्रिम-राल और प्लास्टिक सामग्री से निर्मित की जाएं जिन पर शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो।

एक कलक्टरी में एक यूनिट टेक्सटाइल मशीनरी के भाग "नायलोन ट्रेवलर्स" का आयातित राल से निर्माण कर रही थी जिस पर इस अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क में छूट मिली। लेखा परीक्षा (दिसम्बर 1980) के दौरान यह देखा गया कि जिस आयातित राल-को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया गया वह संश्लिष्ट राल थी। क्योंकि यह छूट केवल कृत्रिम-राल से बनी सामग्री पर उपलब्ध थी, अतः इस पर दी गई छूट नियमित नहीं थी। अनियमित छूट के कारण, जून 1979 से नवम्बर 1980 के दौरान 1,60,758 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने (दिसम्बर 1981) बताया है कि इस मामले की जांच की जा रही है।

2.45 इस्पात की चादरों की कतरन/रद्दी

31 मई 1979 की एक अधिसूचना के अनुसार पिचले हुए इस्पात का स्कैप जो टैरिफ मद 26 के अन्तर्गत आता है और जो सभी प्रकार के विद्युत मुद्रांकन और पटल,

जो टैरिफ मद संख्या 28-क के अन्तर्गत आते हैं, के विनिर्माण के दौरान निकलता है, उसमें निहित शर्तों को पूरा करने पर उद्ग्राहण शुल्क से पूर्णत मुक्त हैं ।

एक कलक्टरी में, एक करदाता जो इस्पात की चादरों से (टैरिफ मद 26-क क) विद्युत मुद्रांकन और पटल का निर्माण कर रहा था, ने मार्च 1979 से अक्टूबर 1979 के दौरान बिना शुल्क का भुगतान किये 234.170 मीट्रिक टन इस्पात चादर की कतरन/रद्दी जो मुद्रांकन एवं पटल में विनिर्माण के दौरान निकली थी, की निकासी की । उपर्युक्त अधिसूचना में दी गई निम्न शर्तों को पूरा नहीं किया गया था कि:—

- (i) 1 मार्च 1979 की अधिसूचना के प्रावधानों को पूरा किया गया है ;
- (ii) बिजली की भट्टी की सहायता से इस्पात धातुपिण्डों, अर्थ तैयार इस्पात या इस्पात कास्टिंग के विनिर्माण में लगाए जाने वाली रद्दी के रूप में स्क्रेप का उपयोग किया जाना था ।
- (iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के अध्याय X में दी गई क्रियाविधि का अनुपालन किया गया है ।

इस प्रकार, करदाता, छूट का पात्र नहीं था । इस मामले में न लगाए गए शुल्क की राशि 1,10,645, रु० थी ।

दिसम्बर 1980 में, लेखा परीक्षा के दौरान इसका उल्लेख करने पर, विभाग ने (अप्रैल 1981) बताया कि करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है । और उसकी प्रगति प्रतीक्षित है ।

वित्त मंत्रालय ने मूलरूप से इन तथ्यों को सही मान लिया है (दिसम्बर 1981) ।

2.46 रद्दी तांबा

जुलाई 1966 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, टैरिफ मद 26-क के अन्तर्गत शुल्क प्रदत्त आयातित कतरनों से निर्मित तांबे की तारों से बनी छड़ें शुल्क से मुक्त है ।

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, एक कलकटरी में एक अनुज्ञप्ति-धारी ने अप्रैल 1978 से मार्च 1979 के दौरान, आयातित कतरनों से 20,465 मैट्रिक टन तांबे की तारों से बनी छड़ों का निर्माण किया तथा शुल्क का भुगतान किए बिना उसे मुक्त करा दिया। लेखा परीक्षा के दौरान (नवम्बर 1979) यह देखा गया कि आयातित कतरनों पर प्रतिकारी शुल्क का भुगतान किए बिना शुल्क से छूट अनुमत नहीं थी। जब लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया गया तो विभाग ने (सितम्बर 1980) 64,465 रुपयों की मांग की। और प्रगति प्रतीक्षित है।

लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने (दिसम्बर 1981) बताया है कि 64,465 रुपयों की मांग का मामला निर्णयाधीन है।

अनुचित ढंग से दी गई छूट

2.47 एकस्व या स्वाम्य औषधियां

3 मई 1969 को जारी, एक यथा संशोधित अधिसूचना के अनुसार उसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट एक या अधिक अवयवों से निर्मित एकस्व या स्वाम्य औषधियां यथामूल्य 2.5 प्रतिशत से अधिक शुल्क से मुक्त हैं बशर्ते कि यदि औषधि में प्रयुक्त कोई भी अवयव निर्दिष्ट न हो तो यह औषधि निर्माण संबंधी एक आवश्यकता होनी चाहिए जो कि चिकित्सीय रूप से अक्रिय हो तथा उपर्युक्त सूची के अनुसार इसके विशिष्ट अवयव और चिकित्सा या रोगनिरोधक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करे।

(क) एक कलकटरी में एक औषधि जिसका नाम फलैजल 200 मि० ग्राम और फलैजल 400 मि०ग्र० हैं जिसमें एक अवयव जिसका न तो सूची में उल्लेख है और जो न ही उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत चिकित्सीय आवश्यकता की श्रेणी में आता है के अवनिर्धारण का मामला ध्यान में आया। लेखा परीक्षा द्वारा (सितम्बर 1980) इसका उल्लेख करने पर, विभाग ने (जुलाई 1981) सूचित किया कि निर्माता को अप्रैल 1979 से मार्च 1981 तक की अवधि के लिए 27,10,713 रुपयों के विभेदक शुल्क की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस (अप्रैल 1981) जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 1981) कि मामले की जांच की जा रही है।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत "एमोजोल" टिकिया जिसमें विशिष्ट औषधि "मैट्रानोडेजोल" शामिल थी, पर छूट उपलब्ध थी। लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि इस औषधि में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्निशियम कार्बोनेट भी शामिल हैं, जो अमलनाशक और दस्तावर के रूप में वर्णित है चिकित्सीय अक्रिय नहीं है। इसलिए "एमोजोल" टिकिया पर शुल्क की रिआयती दर 2.5 प्रतिशत यथा मूल्य की छूट नहीं मिल सकती हैं। मई 1980 में, लेखा परीक्षा द्वारा इसका उल्लेख करने पर, विभाग ने यह मामला औषधि-नियंत्रक के पास भेज दिया, मामले में और प्रगति की प्रतीक्षा है। 1978-79 से 1979-80 के दो वर्षों में 3,35,110 रुपयों का कम कर निर्धारण किया गया।

वित्त मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1981) कि मामले की जांच की जा रही है।

2.48 पशु आहार

1 मार्च, 1975 को जारी, यथा संशोधित अधिसूचना के अनुसार पशु आहार मिश्रणीय पशु आहार सहित जो टैरिफ की मद संख्या 68 के अन्तर्गत आते हैं, शुल्क से मुक्त हैं।

एक कलकटरी में एक फैक्टरी "संतुलित खनिज विटामिन सम्मिश्रण" का निर्माण कर रही थी, जिसे पशु आहार में विटामिन के अनुपूरक के रूप में प्रयुक्त किया जाना था। वह उत्पाद टैरिफ की मद संख्या 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत था तथा उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत पशु आहार के रूप में शुल्क-मुक्त था। यह तो देखा गया था, कि उत्पादन की कुछ मात्रा पशु आहार में मिला देने से विटामिन की कमी को दूर करने के अनुपूरक के रूप में विज्ञापित किया गया था। अतः उत्पादन को पशु आहार के रूप में नहीं माना जा सका। अप्रैल 1979 से मार्च 1980 की अवधि में, इस अनियमित छूट के कारण 12.40 लाख रुपयों (लगभग) के राजस्व की हानि हुई।

लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुये वित्त मंत्रालय ने बताया (सितम्बर, 1981) कि 1 मई, 1975 से 18 सितम्बर, 1980 की अवधि के लिए कुल मिलाकर 27,98,471 रुपयों के तीन मांग-नोटिस जारी कर दिये गए हैं।

2.49 विद्युत

टैरिफ की मद 11-ड के अन्तर्गत बिजली पर दो पैसे प्रति किलोवाट घण्टे की दर से शुल्क निर्धार्य है।

(क) दिनांक 1 मार्च, 1978 की एक अधिसूचना के अनुसार बिजली घरों द्वारा उत्पन्न की गई बिजली और उनके सहायक संयंत्रों को बिजली के उत्पादन के उद्देश्य से उपलब्ध की गई बिजली पर शुल्क से छूट दी गई थी। सरकार ने 18 मई, 1978 को स्पष्ट किया कि शुल्क निर्धारण करने के उद्देश्य से बिजली पठन विद्युत् उत्पादन केन्द्र से करना चाहिए न कि उसके ट्रांसफार्मर से बाहर आने पर।

एक कलकटरी में एक लाइसेंसधारी, जो टैरिफ मद 11 ड के अन्तर्गत आने वाले बिजली के उत्पादन का कारबार करता था, ने उत्पादन विन्दू की बजाय ट्रांसफार्मर से आने वाली निवल धारा के सन्दर्भ में शुल्क अदा किया। इस प्रकार बिजली ट्रांसफार्मर और बिजली घर की अन्य हानियां, सहायक खपत के साथ इन हानियों को सम्मिलित करके उत्पादन स्तर पर ही निकाल दी जाती थीं। यूनिट द्वारा अपनाई गई अनियमित क्रियाविधि से 1978-79 से 1980-81 तक की अवधि के लिए 18.91 लाख रु० तक का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मई, 1981) विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली। वसूली के व्यौरे प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर, 1981) कि 18.91 लाख रु० की मांग निर्णयाधीन है।

(ख) 1 मार्च, 1978 को अधिसूचना के अन्तर्गत एक औद्योगिक यूनिट द्वारा उत्पादित उस औद्योगिक यूनिट में उपयोग में लाई गई बिजली पर शुल्क से छूट है।

एक कलक्टरी में एक औद्योगिक यूनिट, जो सीमेंट का विनिर्माण कर रही थी, द्वारा उत्पादित बिजली के सम्बन्ध में गलत छूट दी गई क्योंकि उसने उस बिजली का उपयोग फैक्टरी की कालोनियों में जल देने, नदी के पम्प चलाने और खान में किया था। जब लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाया गया (दिसम्बर, 1979) तब विभाग ने 1 मार्च, 1978 से 30 नवम्बर, 1980 तक की अवधि में खत हुई बिजली के लिए लाइसेंसधारी को 61,907 रु० के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया (दिसम्बर, 1980)। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर, 1981) कि 21,937 रु० के वास्तविक कम शुल्क की वसूली कर ली गई है और शेष के लिए निर्धारिती को छूट स्वीकृत की गई है।

2.50 मक्खन

टैरिफ की मद संख्या 1-ग के अन्तर्गत मक्खन पर चाहे वह पास्चुरीकृत है अथवा नहीं, पर यथा-मूल्य 10 प्रतिशत की दर से शुल्क देय हैं। एक नई 1970 तथा 18 जून, 1977 को जारी यथा संशोधित अधिसूचना के अन्तर्गत फैक्टरी में निर्मित घी, दूध या पनीर बनाने में प्रयुक्त मक्खन, वह चाहे पास्चुरीकृत है, अथवा नहीं शुल्क के भुगतान से मुक्त था। 10 मई, 1980 की एक अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अध्याय X में निहित शर्तों को पूरा करने पर, फैक्टरी से बाहर भी मक्खन से घी बनाने पर भी छूट थी।

लेखा परीक्षा के दौरान (जून, 1980) एक फैक्टरी के अभिलेखों से यह देखा गया कि दिसम्बर, 1979 से जनवरी 1980 के दौरान फैक्टरी ने बिना शुल्क दिये 10.68 लाख रुपयों की कीमत के 1,41,766 किलोग्राम चिकनाई वाला सफेद मक्खन, जो पास्चुरीकृत नहीं था कि फैक्टरी से बाहर निकासी की। चूंकि अपास्चुरीकृत मक्खन उत्पादन की फैक्टरी से बाहर भेजा गया अतः फैक्टरी को उस पर प्राप्त छूट का लाभ अनुज्ञेय नहीं था।

इस अनियमितता (सितम्बर, 1980) का उल्लेख करने पर विभाग ने (जनवरी, 1981) 25 अक्टूबर, 1978 से 15 जनवरी, 1980 की अवधि के लिए, 1.08 लाख रुपयों की मांग करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया।

वित्त मंत्रालय ने बताया (नवम्बर, 1981) कि मांग कलक्टर के समक्ष निर्णयाधीन पड़ी है।

अनियमित वापसी

2. 51 चीनी

25 फरवरी, 1976 की एक अधिसूचना के अनुसार, यदि एक चीनी फैक्टरी 1 अप्रैल, 1974 या उसके पश्चात् पहली बार अपना उत्पादन प्रारम्भ करती है, चीनी वर्ष के दौरान उसके 35 प्रतिशत से अधिक उत्पादन पर उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत से अधिक शुल्क परिकलित पर चीनी एवं वनस्पति निदेशालय से मिल द्वारा छूट संबंधी पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा अनिवार्य पदार्थ अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा 3 ग के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य के आधार पर शुल्क से मुक्त थी। उपर्युक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार एक मिल जिसे जो छूट मिल सकती थी 15 दिसम्बर, 1973 की एक अधिसूचना में विहित लेवी-चीनी पर शुल्क की रियायती दर का लाभ उपर्युक्त छूट के लिए नहीं मिल सकता। अतः एक चीनी मिल द्वारा 25 फरवरी, 1976 की अधिसूचना के अन्तर्गत वर्ष में किये गए 35 प्रतिशत उत्पादन पर जो छूट का लाभ उठाया, वह टैरिफ की पूरी दरों के हिसाब से शुल्क उदग्राह्य था। चीनी पर नियंत्रण हटने पर 25 फरवरी, 1976 की अधिसूचना 16 अगस्त, 1978 को निरस्त कर दी गई।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि (मार्च 1979) एक फैक्टरी ने 19 नवम्बर, 1975 में पहली बार चीनी का उत्पादन शुरू किया तथा 25 फरवरी, 1976 की अधिसूचना के अनुसार वह 1975-76 और 1976-77 की अवधि के लिए छूट मिल सकती थी। चीनी और वनस्पति निदेशालय से, वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए पात्रता-प्रमाणित देरी से प्राप्त होने के कारण, फैक्टरी 1975-76 और 1976-77 की अवधि के दौरान लगातार, दिसम्बर, 1977

तक, निशुल्क बिक्री हेतु चीनी और रियायती दर चीनी पर लेवी चीनी पर लागू पूर्ण टैरिफ मूल्य के अनुसार कर भुगतान करते हुए चीनी का निपटान करती रहीं। फैक्टरी द्वारा नवम्बर, 1977 तक निपटान की गई लेवी चीनी मूल्यों के 15 और 5 प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गए शुल्क की वापसी की 64,39,721 रुपयों की राशि की मांग के दावे को जो 1975-76 से 1976-77 के दौरान किये गए उत्पादन से संबंधित थी पर विभाग ने 22 अगस्त, 1978 को, 15 अगस्त, 1978 तक, निपटान की गई चीनी पर 35 प्रतिशत पर पूर्ण शुल्क दर से और 65 प्रतिशत पर 15 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की दर से भुगतान की वाध्यता को ध्यान में किये बिना स्वीकार कर लिया इसके परिणामस्वरूप 28,25,255 रुपयों को अधिक राशि लौटाई गई।

लेखापरीक्षा आपत्तियों के विषय में विभाग को 11 सितम्बर, 1979 को सूचित किया गया था तथा वित्त मंत्रालय को भी यह मामला अप्रैल, 1981 में भेजा गया था। मंत्रालय ने जून, 1981 में बताया कि विधि मंत्रालय से परामर्श करते हुए मामले की जांच की जा रही है।

वित्त मंत्रालय ने बताया (जनवरी, 1982) कि मामले की जांच की जा रही है।

प्रोत्साहन छूट

2.52 अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क में राहत की योजना

16 जून, 1976 की एक अधिसूचना के अंतर्गत सरकार ने अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एक शुल्क राहत योजना प्रारम्भ की। इस परिकल्पित योजना के अंतर्गत, जो 1 जुलाई, 1976 से 31 मार्च, 1979 तक प्रभावी रही, के दौरान विशिष्ट वस्तुओं पर मिलने वाली छूट के अतिरिक्त 25 प्रतिशत और छूट उपलब्ध थी। इस योजना को कार्यान्वित करने में आई कुछ अनियमितताओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राजस्व प्राप्तियों (खण्ड I, अप्रत्यक्ष कर) पर वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के प्रतिवेदन

के पैरा 34, 35 और 2.13 में क्रमशः टिप्पणियां की गई हैं। तदनन्तर लेखापरीक्षा के दौरान कुछ और मामले देखे गए जिनका वर्णन नीचे दिया गया है:—

(क) यह योजना लोहे या इस्पात के उत्पादों पर, (टैरिफ मद संख्या 26 कक) लागू थी न कि इस्पात धातु पिण्डों पर (टैरिफ मद-26)। संघटित इस्पात फैक्टरियों में इस्पात धातु पिण्डों पर शुल्क का भुगतान इस्पात उत्पादों के निपटान के समय उच्च दरों पर, जिसमें पिण्ड-अवस्था शुल्क और उत्पाद अवस्था शुल्क शामिल थी, करने की प्रथा थी। इस प्रकार छूट केवल उत्पाद अवस्था पर ही ग्राह्य थी न कि धातु पिण्ड अवस्था पर जो मिश्रित उच्च दरों के शुल्क में शामिल थी। वित्त मंत्रालय द्वारा भी 6 दिसम्बर, 1977 में इसे स्पष्ट किया गया।

तीन कलक्टरियों में चार अनुज्ञप्तिधारियों को इनगोट स्टेज शुल्क सहित स्टील-उत्पादों पर लगे कुल शुल्क में से 25 प्रतिशत शुल्क की छूट दी थी। वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के वर्षों में दी गई अतिरिक्त छूट की राशि 13.93 करोड़ रुपये निकाली गई।

एक अनुज्ञप्तिधारी को 2.46 करोड़ रुपये की मांग सहित तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। (नवम्बर, 1979 और फरवरी, 1980)

एक मामले में लेखा परीक्षा आपत्ति को 18 जून, 1977 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि के लिए सही मानते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (जनवरी, 1982) कि समेकित इस्पात संयंत्रों द्वारा विनिर्मित तैयार उत्पादों के लिए 16 जून 1976 की अधिसूचना के अंतर्गत दिए गए लाभ को समाप्त करने का सरकार का कोई इरादा नहीं था। तथापि, यह मंत्रालय के दिसम्बर 1977 के स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं है। इसलिए वस्तुस्थिति यही है कि समेकित इस्पात संयंत्रों को यह लाभ गलती से अनुमत किया गया था।

अक्तूबर, और दिसम्बर, 1981 में सूचित किए गए तीन मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1982)।

(ख) उन मामलों में जहां शुल्क का भुगतान केन्द्रीय उत्पाद नियम 1944 के नियम 56-क के अंतर्गत कच्चे माल/संघटक पुर्जों पर किये शुल्क में जमा के विपरीत प्रोफार्मा लेखा द्वारा नामे किया गया हो, या जहां कच्चे माल/संघटक पुर्जों पर शुल्क का भुगतान तैयार उत्पाद पर लगाये शुल्क के स्थान पर लगाया जाए, तो इस पर शुल्क का निर्धारण जैसा भी मामला हो, प्रोफार्मा लेखा पर किए गए शुल्क नामे या लगाए गए शुल्क पर दी गई छूट के बकाया पर लगाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि दो कलक्टरियों में दो अनुज्ञप्तिधारियों को प्रोफार्मा लेखा में नामे करके शुल्क भुगतान पर शुल्क में छूट दी गई और एक इकाई द्वारा मुजरा की गई राशि पर तथा दूसरी इकाई द्वारा प्रोफार्मा जमा पर नामे द्वारा शुल्क भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप एक इकाई के मामले में वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान 1,67,367 रुपये तथा दूसरी इकाई के मामले में जुलाई, 1977 से अप्रैल, 1978 के दौरान 62,91,039 रुपयों का कम कर निर्धारण किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसका उल्लेख करने पर विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई, 1979 और जनवरी, 1981) कि क्रमशः 1,67,367 रुपयों तथा 1,19,70,157 रुपयों की राशि की मांग सहित कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गये हैं तथा मामले को स्पष्टीकरण के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को भेज दिया गया है।

दोनों मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार नहीं करते हुए, वित्त मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर, 1981 और जनवरी 1982) कि दिया गया कोई भी प्रोफार्मा क्रेडिट उद्ग्राह्य शुल्क के प्रति समायोजन होगा तथा इससे उद्ग्राह्य शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होता। तथापि तथ्य यही है कि 1977-78 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 34 (vii) (क) में इस प्रकार के एक अन्य मामले में, मंत्रालय ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए प्रश्न बोर्ड के 30 जनवरी, 1978 के निदेशों के अंतर्गत थे, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को भी बताते थे कि सैट आफ या प्रोफार्मा जमा की प्रणाली से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

(ग) उन फैक्टरियों के मामले में जिनमें 1 अप्रैल, 1973 से पहले की तिथि से निकासी प्रारम्भ हो चुकी थी यदि निकासियों की इकाई मूल्य है तो निकास की 1973-74, 1974-75 और 1975-76 से श्रेष्ठ वर्ष के आधार पर संकलित मूल्य को निकास का आधार मानना चाहिए। श्रेष्ठ वर्ष को जानने के उद्देश्य के लिए, तीन वर्ष के दौरान थोक-मूल्य के औसत सूचकांक को निकासी-मूल्य के साथ समायोजित करना चाहिए। तथापि, शुल्क में राहत को आधार अवधि में की गई निकासियों के असमायोजित मूल्य (अर्थात् वास्तविक मूल्य) की अनेका अधिक निकासी के आधार पर निर्धारित करना चाहिए था।

एक इकाई, जो "वैलडिंग इलेक्ट्रोड्स" का विनिर्माण कर रही थी, को समायोजित मूल्य पर अनुचित ढंग से छूट दी गई जिसके परिणाम-स्वरूप उसे वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान 7,67,570 लाख रुपयों की अस्वीकार्य राहत मिली।

जनवरी 1981 में मामला विभाग की जानकारी में लाया गया; उत्तर प्रतीक्षित है।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने (दिसम्बर, 1981) बताया कि अधिक राहत की राशि 7,63,906 रुपये है न कि 7,67,570 रुपये, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था। इसमें से, 4,84,559 लाख रुपये की राशि बसूल की जा चुकी है तथा बकाया राशि की बसूली की जा रही है।

(घ) वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 जून 1976 को जारी एक परिपत्र में इस बात को स्पष्ट किया गया था कि जहां एह विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक या अधिक फैक्टरी चलाई जा रही है तो एक समन्वयकारी सहायक कलक्टर सभी फैक्टरियों के संबंध में दी गई सूचना के आधार पर विनिर्माता की वास्तव संयुक्त आधार अवधि तथा आधार निकासी (वेस क्लोयरेन्स) का निर्णय करेगा।

एक कलक्टरों में एक इकाई, जो टैरिफ की मद संख्या 14-छछ के अंतर्गत आने वाले उर्वरकों का उत्पादन कर रही थी और जिसकी एक ही कलक्टरों के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर दो फैक्टरियां थी, ने इकाई 'क'

के लिए 38,474 मीटरी दशमिक टन और इआई 'ख' के लिए 72,239 मीटरी दशमिक टन आधार निकास नियत करवा ली थी। उनकी संयुक्त आधार-निकासी 1,10,713 मीटरी दशमिक टन नियत की गई। तथापि, इकाइयों ने संयुक्त आधार-निकासी की तिथि से जो 1,10,733 मीटरी दशमिक टन से अधिक थी, के स्थान पर अपनी-अपनी आधार निकासी के संदर्भ में प्रोत्साहन छूट का लाभ उठाया। इस कारण वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान ईकाई 'क' के संबंध में 32.33 लाख रुपयों का शुल्क काम लगाया गया और उसी अवधि में इकाई 'ख' के संबंध में 26.67 लाख रुपयों का शुल्क अधिक लगाया गया। कुल 5.65 लाख रुपयों का निवल शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसका उल्लेख करते पर (अगस्त, 1974) विभाग ने इकाई 'क' को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 31.67 लाख रुपयों की राशि की मांग की जो बाद में संशोधित करके 32.33 लाख रुपये कर दी गई।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्रालय ने बताया (जुलाई 1981) कि वास्तविक शुल्क की उगाही 5,13,128 रुपये थी। तथापि, संशोधित कारण बताओ नोटिस को ध्यान में रखते हुए, कुल कम उगाही 5,65,466 रुपये निकाली गई, न कि 5,13,128 रुपये।

प्रोफार्मा क्रेडिट

2.53 प्रोफार्मा क्रेडिट का अनियमित उपयोग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56 क में विहित एक विशेष प्रक्रिया द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क योग वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल और अवयवों पर पहले से ही प्रदत्त शुल्क के लिए क्रेडिट का दावा कर सकता है। ऐसी क्रेडिट तैयार उत्पाद-शुल्क योग्य माल पर देय शुल्क के प्रति उपयोग किये जाने के लिए अनुमत है और कलेक्टर द्वारा अनुज्ञा मंजूर किए जाने के बाद ही इसका लाभ उठाया जा सकता है। तथापि तैयार उत्पादन शुल्क योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त किसी भी सामग्री अथवा संघटक पुर्जों जो या तो S/38 C & AG/81.—8.

पूर्णतः शुल्क-मुक्त हैं या उत्पाद शुल्क योग्य नहीं हैं के संबंध में कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। प्रोफार्मा क्रेडिट का लाभ ऐसी सामग्री या संघटक पुर्जों/निवेश के लिए उठाया जा सकता है जो उसी टैरिफ मद के अन्तर्गत आता है जिसमें तैयार उत्पाद शुल्क योग्य माल आता है। प्रोफार्मा क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने के अनेक मामलों का उल्लेख भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पहले ले लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियां खण्ड I) में किया गया था, इनमें से नवीनतम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1979-80 का पैरा ग्राफ 2.50 है।

लेखापरीक्षा के दौरान प्रोफार्मा क्रेडिट के कुछ और अनियमित लाभ/प्रयोग के मामले नीचे दिये गए हैं :—

(क) 16 जून, 1976 को जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार आधार अवधि के दौरान की गई निकासियों से अधिक निकाले गए कुछ विशिष्ट माल शुल्क के 25 प्रतिशत से मुक्त थे। तथापि, उपरोक्त अधिसूचना जो 1 जुलाई 1976 से 31 मार्च, 1979 तक लागू थी, में यह व्यवस्था थी कि नियम 56-क की क्रियाविधि के अन्तर्गत कच्चे माल या संघटक पुर्जों के रूप में प्राप्त किये गए कुछ विशिष्ट माल के संबंध में क्रेडिट उस शुल्क के पूरे दर पर लिये जा सकते हैं जो अन्यथा उन पर लागू होता यदि अधिसूचना के अन्तर्गत रियायती दर पर निर्धारण न किया जाता। अतः 1 अप्रैल, 1979 से इस अधिसूचना को रद्द कर दिए जाने के बाद 56-क की क्रियाविधि के अन्तर्गत दावा किया जाने वाला क्रेडिट, उस सामग्री पर भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क सीमित किये जाने चाहिए

एक इकाई नियम 56—क के अंतर्गत एल्युमिनियम उत्पादनों के निर्माण हेतु एल्युमिनियम स्लैब [टैरिफ मद 27 (क) (1)] प्राप्त कर रही थी, ने 1 अप्रैल, 1979 और 18 जून, 1979 को प्रेषित माल प्राप्त किया जिस पर उपर्युक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार रियायती दरों पर शुल्क का भुगतान किया गया था। अनुज्ञप्तिधारी को क्रेडिट हेतु किये गये दावे पर शुल्क में पूर्ण दरों पर छूट दी गई न कि उन रियायती दरों पर जिस पर उसने वास्तविक शुल्क का भुगतान किया। चूंकि अधिसूचना अब लागू नहीं थी, क्रेडिट का पूर्ण दरों पर दावा अनियमित था। अधिक दावा किये गए क्रेडिट की राशि 5.82 लाख रुपये थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसका उल्लेख करने पर, विभाग ने बताया कि प्रेषित माल मूल उत्पादक द्वारा 1 अप्रैल, 1979 से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को भेजा गया था, जब अधिसूचना लागू थी। विभाग ने यह तर्क दिया कि 1 अप्रैल, 1979 से पूर्व निकासी की तिथि पर प्रचलित पूर्ण दर पर शुल्क का मूल उत्पादक द्वारा भुगतान कर दिये जाने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 पर के नियम 56-क के अनुसार पूर्ण-क्रेडिट के संबंध में अर्जित लाभ, जो उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार था, गौण निर्माता (लाइसेंसधारी) को दिये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता था चाहे प्रेषितमाल उसे वाद में मिला हो। तथापि तथ्य यह है कि :-

- (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम --56-क के अन्तर्गत उस दर से अधिक, जिस पर शुल्क का वास्तविक भुगतान किया गया था, काल्पनिक दरों से क्रेडिट हेतु दावों की अनुमति नहीं है।
- (ii) 16 जून, 1976 को जारी अधिसूचना के कारण ही क्रेडिट शुल्क की पूर्ण दरों से दावा किया जा सकता था चाहे शुल्क भुगतान रियायती दरों से किया गया हो ; और
- (iii) अधिसूचना के लागू न रहने पर क्रेडिट हेतु वास्तविक दर पर भुगतान किये गये शुल्क से अधिक दर से क्रेडिट का दावा अतधिकृत था।

तथ्यों को मूल रूप से सही स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि आर जी 23 में लिये गये अधिक क्रेडिट को डेबिट करने के लिए निर्धारिती को कहा गया है। निर्धारिती ने अपील दायर कर दी है और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

(ख) 8 मार्च, 1979 को जारी की गई एक टैरिफ सूचना के अनुसार, पी वी सी और पॉलिथिलीन मास्टर बैचेज, जिन पर टैरिफ की मद 15 क के अन्तर्गत शुल्क प्रभारित किया जा रहा था, का वर्गीकरण टैरिफ की मद 14-1 (ii) के अन्तर्गत हो गया। लेखापरीक्षा द्वारा यह ध्यान में लाया गया था कि एक निर्धारिती, जिसे शुल्क प्रदत्त पॉलिथिलीन

मास्टर बैचेज लाने और टैरिफ मद 15 क के अन्तर्गत आने वाले सामान के विनिर्माण पर प्रोफार्मा क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति दे दी गई थी, यह लाभ उपर्युक्त टैरिफ सूचना के जारी होने के बाद भी उठाता रहा। विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली और 1,59,515 रु० का एक कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर, 1981) कि 1,59,515 की मांग के बारे में अभी अधिनिर्णय दिया जाना है।

(ग) नियम 56-क के उपनियम 3 (vi) (क) के अन्तर्गत, तैयार उत्पाद शुल्क योग्य उत्पादों पर जिनके विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री को लाने की अनुमति दी गई थी या इसी रूप में निकासी किये जाने पर, कच्ची सामग्री पर शुल्क के भुगतान के लिये, कच्ची सामग्री पर अदा किये गये शुल्क का प्रोफार्मा क्रेडिट अनुमत किया जाता है।

एक कलकटरी में एक यूनिट ने तार रस्सियों (टैरिफ मद 63) के विनिर्माण में उपयोग के लिये शुल्क प्रदत्त तार छड़े (टैरिफ मद 26 का का) प्राप्त की। यूनिट ने, तार रस्सियों के विनिर्माण के दौरान प्राप्त और 9 जून, 1980 से 19 अगस्त, 1980 के दौरान निकासी की गई कतरनों पर शुल्क के भुगतान के लिये 55,459 रु० के प्रोफार्मा क्रेडिट का गलत रूप से लाभ उठाया। विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया कि कलकटर को शुल्क वसूल करने के लिये कह दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को मूल रूप से सही मान लिया है (सितम्बर, 1981)।

(घ) शीतक उपकरणों के विनिर्माण में प्रयोग किये जाने वाली बिजली की मोटरों/पंखों पर अदा किये गये शुल्क के लिये प्रोफार्मा क्रेडिट सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमत नहीं किया गया है इसलिये पंखों पर शुल्क देना पड़ता है चाहे उन्हें शीतक उपकरणों के अन्दर ही जोड़ा जाये।

एक कलक्टरी में, शीतक उपकरणों के विनिर्माण में लगी, एक यूनिट ने 1978-79 से 1980-81 के दौरान 9,47,741 रु० के प्रोफार्मा क्रेडिट का लाभ उठाया। लेखापरीक्षा ने ध्यान दिलाया (अगस्त, 1981) कि इस मामले में प्रोफार्मा क्रेडिट का लाभ उठाया जाना नियमित नहीं था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार न करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना, रेफ्रिजरेटरों, शीतक उपकरणों आदि के विनिर्माण के लिये प्रयुक्त मोटरों पर शुल्क के लिये प्रोफार्मा क्रेडिट प्राधिकृत करती है और इस मामले में मोटरों पंखों के विनिर्माण के लिये प्रयोग नहीं की गई थी बल्कि वे शीतक उपकरण के पुर्जों के रूप में प्रयोग की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 11 अप्रैल, 1975 की बोर्ड की टैरिफ सूचना के अनुसार, घरेलू एयर कंडीशनरों या वाष्प कूलरों में प्रयोग से पहले विजली की मोटरों पंखों का रूप धारण कर लेती है और इसलिये 9 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना जारी होने से पहले ऐसे पंखों पर प्रोफार्मा क्रेडिट अनुमत नहीं था।

(ड) 4 जून, 1979 की एक अधिसूचना के अन्तर्गत, कोई विनिर्माता, अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त उपभोज्य सामग्री (टैरिफ मद 68) पर पहले ही अदा किये गये शुल्क का क्रेडिट ले सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। फरवरी, 1980 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किये गये एक टैलेक्स के अनुसार, जून, 1977 की पहली अधिसूचना के अन्तर्गत लिये गये और 4 जून, 1979 को आर जी 23 में पड़े क्रेडिट का उपयोग अनुज्ञेय नहीं है। तथापि, ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य सामान के विनिर्माण में जो या तो पूर्णरूप से शुल्क से मुक्त हैं या जिन पर शून्य दर से शुल्क लगता है, प्रयुक्त उपभोज्य सामग्री के सम्बन्ध में क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाता।

(i) लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि दो कलक्टरियों में 4 यूनिटों ने अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करने से पहले 23,17,085 रु०के प्रोफार्मा क्रेडिट का अनियमित रूप से उपयोग किया। लेखापरीक्षा द्वारा इस

और ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने बताया कि एक मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था और दूसरे मामले में मांग जारी कर दी गई थी। शेष दो मामलों में की गई कार्यवाही का विवरण प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने एक मामले में तथ्यों को स्वीकार कर लिया है (अक्तूबर 1981) और अन्य 3 मामलों में तथ्यों को मूल रूप से और तकनीकी रूप से सही स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि 21 जनवरी 1981 की अधिसूचना के अनुसार एक मामले में अनधिकृत क्रेडिट को नियमित कर दिया गया है और दो अन्य मामलों में नियमित किया जा रहा है।

(ii) एक कलकटरी में एक निर्धारिती, ऐल्किड रेसीन के विनिर्माण में प्रयोग के लिये टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली कुछ उपभोज्य सामग्रियां अपनी फैक्टरी में लाया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इस प्रकार विनिर्मित ऐल्किड रेसीन की आंशिक रूप से आन्तरिक खपत कर ली गई और आंशिक रूप से बाहर निकासी कर दी गई। चूंकि रेसीन शुल्क मुक्त है इसलिये बाहर निकासी की गई रेसीन में प्रयुक्त उपभोज्य सामग्री पर आनुपातिक क्रेडिट का लाभ उठाना स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार 1 नवम्बर 1979 से 30 नवम्बर 1980 के दौरान अनधिकृत रूप से लिये गये क्रेडिट की राशि 1,22,400 रु० (लगभग) थी। यह बात फरवरी 1981 में विभाग के ध्यान में लायी गई थी उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (दिसम्बर 1981)।

(iii) एक कलकटरी में एक लाइसेंस धारी, 4 जून, 1979 की अधिसूचना के अन्तर्गत उपलब्ध प्रतिफलन पद्धति का मद 14 ड के अन्तर्गत आने वाली पेटेंट और स्वामित्व वाली दवाओं तथा टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली अन्य फार्मास्यूटिकल दवाओं के विनिर्माण में प्रयोग किये जाने वाली खाली जिलैटिन कैप्सूलों के सम्बन्ध में 16 जुलाई, 1979 से लाभ उठा रहा था। टैरिफ मद 14 ड के अन्तर्गत आने वाले स्टेक्लिन कैप्सूलों को 19 जून, 1980 से शुल्क से मुक्त कर दिया गया था और टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले टेट्रासाइक्लीन कैप्सूलों 1 मार्च, 1978 से शुल्क की अदायगी से पूर्ण रूप से

मुक्त कर दिये गये थे । लेखापरीक्षा द्वारा यह ध्यान में लाया गया था कि यूनिट उन खाली जिंलेटिन कैप्सूलों (नारंगी रंग) के संबंध में प्रतितुलन पद्धति का लाभ उठाने का हकदार नहीं था जो स्टेक्लिन कैप्सूलों और ट्रेट्रा साइक्लीन कैप्सूलों के विनिर्माण में प्रयुक्त किये गये थे क्योंकि ये दोनों शुल्क के भुगतान से पूरी तरह मुक्त थे । लेखापरीक्षा द्वारा यह भी बताया गया था कि यूनिट उन खाली जिंलेटिन कैप्सूलों के संबंध में भी प्रतितुलन पद्धति का लाभ उठाने का हकदार नहीं था जो रद्दी घोषित दिखाये गये थे या इस कारण (नारंगी रंग) से नष्ट किये गये बताये गये थे कि लाइसेंस धारी ने उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट के पैरा 7 में उनके लिये निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया । इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जुलाई 1979 से दिसम्बर 1980 तक की अवधि के लिए 42,628 रु० के लिए एक कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया ।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि 42,628 रु० की मांग न्याय निर्णयन प्रक्रिया के अधीन है ।

(च) जून 1977 में जारी की गई यथा संशोधित अधिसूचना के अंतर्गत, अन्य उत्पाद शुल्क योग्य सामान के विनिर्माण में प्रयोग किये जाने वाले, टैरिफ मद 68 (उपभोज्य सामग्री) के अन्तर्गत आने वाले सामान पर अदा किये गये शुल्क का प्रतितुलन, विनिर्माता को, उपर्युक्त सामान के प्रत्येक यूनिट के विनिर्माण में प्रयुक्त उपभोज्य सामग्री की मात्रा दर्शाने वाला विवरण विभाग को प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य है ।

एक कलकत्ती में टैरिफ मद 68 के अंतर्गत आने वाली लुगदी से रेयन धागा और टायर धागा विनिर्माण करने वाली एक कम्पनी ने, वर्ष 1976 की खपत के आधार पर धागे के प्रति किलोग्राम पर लुगदी के खपत के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करके उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत प्रतितुलन का दावा किया । लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि फरवरी 1978 से आगे लुगदी की खपत काफी कम कर दी गई थी किन्तु लाइसेंस धारी शुरु में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के आधार पर प्रतितुलन का दावा करता रहा । लेखापरीक्षा द्वारा यह बात ध्यान में लाये जाने पर विभाग

ने फरवरी 1978 से जनवरी 1979 तक की अवधि के लिए 4,74,714 का कारण बताओ और मांग नोटिस जारी कर दिया।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि मामले की जांच की जा रही है।

उपकर

2.54 हथकरघा उपकर

खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास अधिनियम, 1953 के अनुसार कपड़े पर 1.9 पैसे प्रति वर्गमीटर की दर से हथकरघा उपकर उद्ग्राह्य है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 1 मार्च, 1975 को जारी की गई अधिसूचना के आधार पर शुल्क से मुक्त कपड़ा हथकरघा उपकर के भुगतान से भी मुक्त है।

एक कलकटरी में एक विद्युत चालित प्रोसिसिंग यूनिट ने इसके शुरु होने के समय से, इसके द्वारा प्रोसेस्ड विजली करघा वस्तुओं पर हथकरघा उपकर अदा नहीं किया। सितम्बर, 1979 में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने मार्च, 1981 में सूचित किया कि वह उपकर के संग्रहण की आवश्यकता से परिचित है किन्तु निम्नतर संगठन में अन्य काम अधिक होने के कारण इस कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका और 1 जुलाई, 1978 से 30 जून, 1979 तक की अवधि के लिये 87,096 रु० की मांग नवम्बर, 1979 में जारी कर दी गई थी। बाद में मांग संशोधित करके 2,14,632 रु० कर दी गई और एक संशोधित कारण बताओ नोटिस अप्रैल, 1981 में जारी किया गया। 1 जुलाई, 1979 से 30 जून, 1980 तक की अवधि के लिए भी 1,30,050 रु० के दो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। जुलाई, 1978 से पूर्व की राशि अभी सुनिश्चित की जानी थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि मामले पर विचार किया जा रहा है।

2.55 पटसन उपकर

दिनांक 25 फरवरी 1976 की अधिसूचना के अन्तर्गत 1 मार्च, 1976 से सभी पटसन विनिर्माताओं पर उपकर विभिन्न दरों से लगाया जाना था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड ने 19 अप्रैल, 1977 के पत्र में स्पष्ट किया कि पटसन की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उत्पादन करने वाली फैक्टरी में ही काम में आए पटसन के धागों और सुतली पर उपकर लगाया जाना चाहिए क्योंकि जब तक उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम 1951 की धारा 9(2) और धारा 30 को संशोधित करके छूट की व्यवस्था न की जाए, तब तक उपकर लगाए जाने से छूट नहीं मिल सकती।

पटसन की वस्तुओं के विनिर्माण में लगी एक कम्पोजिट पटसन मिल ने सुतली और बोरियों के विनिर्माण में क्रमशः काम में लिए गए पटसन धागे और पटसन वस्त्रों पर उपकर न देकर केवल अन्तिम उत्पादों की निकासी पर उपकर दिया। 1 जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1980 की अवधि के लिए न लगाए गए उपकर की राशि 2.06 लाख रु० थी। दिसम्बर, 1979 से पूर्व की अवधि के लिए तथा जनवरी, 1981 के बाद की अवधि के लिए देय उपकर अभिनिश्चित किया जाना है तथा वसूल भी किया जाना है।

यह आपत्ति विभाग को फरवरी, 1981 और पुनः जून, 1981 में सूचित की गई थी, उत्तर की प्रतीक्षा है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि निर्धारिती ने इस मांग के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की है और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

अन्य ध्यान देने योग्य बातें

2.56 चीनी पर अधिक रिबेट

(क) 28 अप्रैल, 1978 की यथा संशोधित अधिसूचना और 16 अगस्त, 1978 की एक अन्य अधिसूचना के अन्तर्गत चीनी फैक्ट-रियों में 1 मई, 1978 से 15 अगस्त 1978 तक तथा 16 अगस्त, 1978 से 30 सितम्बर 1978 तक की अवधि के दौरान उत्पादित ऐसी

चीनी पर जो गत तीन वर्षों की तदनुसूची अवधि के औसत उत्पादन से अधिक थी, 1 मई 1978 से 15 अगस्त, 1978 तक की अवधि के दौरान मुक्त बिक्री की चीनी पर 54 रु० प्रति क्विंटल की दर से और 'लेवी' चीनी पर 9.60 रु० प्रति क्विंटल की दर से और 16 अगस्त 1978 से 30 सितम्बर 1978 तक की अवधि के लिए 25 रु० प्रति क्विंटल की दर से शुल्क का रिबेट मिलना था। पिछले तीन वर्षों में इस अवधि के लिए औसत उत्पादन उक्त अवधि के दौरान जितनी अवधि या अवधियों में फैक्टरी वास्तव में चली थी, उन के आधार पर निकाला जाना था।

(i) दो कलक्टरियों में तीन चीनी फैक्टरियों ने अप्रैल में पेराई बन्द कर दी थी परन्तु उनका औसत उत्पादन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अभिलेख (आर० जी० 1) में मई के महीने के लिए दिखाए गए 17:175 और 1,085 क्विंटल चीनी के उत्पादन को हिसाब में लेकर निकाला गया था। परिणामस्वरूप यदि पिछले तीन वर्षों की तदनुसूची अवधि के दौरान औसत उत्पादन इन उत्पादन आंकड़ों को निकाल कर अवधारित किया जाता तो उस पर जितना रिबेट मिलता उससे 6.77 लाख रु० का रिबेट इन यूनिटों को अधिक दिया गया था। यह भी देखा गया कि दो फैक्टरियों ने इन उत्पादनों (1,085 और 175 क्विंटल) को आर टी 7 (ग) में अप्रैल के उत्पादन के रूप में दर्शाया था।

लेखापरीक्षा में इस अनियमितता की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने एक मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया (अगस्त 1980)। इन सभी मामलों में आगे हुई प्रगति की प्रतीक्षा है।

आपत्ति स्वीकार न करते हुए, वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि औसत उत्पादन आर जी 1 के अनुसार निर्धारित किया जाना था और पेराई बन्द करने का कोई मतलब नहीं था। फिर भी तथ्य यही है कि आर टी 7 (ग) (मासिक विवरणी) के अनुसार दो यूनिटों का उत्पादन अप्रैल का था, मई का नहीं। अप्रैल, के उत्पादन को मई का उत्पादन मानकर औसत उत्पादन गलत अवधारित किया गया जिससे अधिक रिबेट अनुमत किया गया।

(ii) चूंकि अनुमत रिबेट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत एक छूट अधिसूचना के रूप में था इसलिए रिबेट की राशि उस पर देय शुल्क की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। परन्तु लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 3 कलक्टरियों में 3 फैक्टरियों की वावत 5.53 लाख रु० का रिबेट प्रदत्त शुल्क से अधिक अनुमत कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा का इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने बताया कि एक फैक्टरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। शेष दो मामलों में की गई कार्यवाही के व्यौरों की प्रतीक्षा है।

सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि एक मामले में कम लगाए गए शुल्क की सही राशि समाहर्ता द्वारा परिकलित की जा रही है (नवम्बर, 1981)।

(ख) दिनांक 12 अक्तूबर, 1974 की अधिसूचना द्वारा किसी फैक्टरी में 1 दिसम्बर 1974 से आरम्भ होने वाली और 30 सितम्बर 1975 तक समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उतनी उत्पादित चीनी पर रिबेट अनुमत किया गया जितनी वह पिछले पांच वर्षों की तदनुसूची अवधि के औसत उत्पादन से अधिक थी। और रिबेट की दर लेवी चीनी और खुली बिक्री की चीनी के लिए अलग अलग थी। चूंकि रिबेट की राशि चीनी की निकासी के समय उस पर देय शुल्क में से समायोजित की जानी थी, इसलिए यदि इस चीनी का शुल्क अदा किए बगैर निर्यात किया गया हो, तो अधिक उत्पादन योजना के अंतर्गत इस पर रिबेट अनुज्ञेय नहीं था।

एक फैक्टरी को पूर्वोक्त अवधि के दौरान अधिक उत्पादित 59,271 क्विंटल चीनी पर 18,70,356 रु० का रिबेट अनुमत किया गया, यद्यपि इसमें 17045 क्विंटल ऐसी चीनी शामिल थी जिसका शुल्क दिए बगैर (बांड के अन्तर्गत) निर्यात किया गया था।

लेखापरीक्षा ने बताया (नवम्बर 1978) कि शुल्क दिए बगैर निर्यात की गई चीनी की मात्रा को निकालने के पश्चात् फैक्टरी को 42,226 क्विंटल चीनी पर जिसकी निकासी शुल्क देकर की गई थी,

14,28,644 रु० का रिबेट अनुज्ञेय था। इस प्रकार 17045 क्विंटल चीनी पर 4,41,712 रु० का दिया गया अधिक क्रेडिट अनियमित था।

विभाग ने बताया (दिसम्बर, 1979) कि निर्यातित चीनी की मात्रा चरम-स्तर उत्पादन की सीमा के अन्दर थी और प्रोत्साहन रिबेट को अधिक अनुमत किए जाने की स्थिति केवल उसी समय होगी जब प्रोत्साहन वर्ष के चरम-स्तर उत्पादन की अपेक्षा निर्यात के लिए चीनी की अधिक मात्रा की निकासी होगी। परन्तु यह तथ्य तो फिर भी रहता है कि निर्यात के लिए 17,045 क्विंटल चीनी की निकासी चरम-स्तर उत्पादन तक कुल मात्रा की वास्तविक निकासी हो जाने के बाद की गई थी और चूँकि बोर्ड के अन्तर्गत निवल चीनी पर कोई शुल्क नहीं दिया गया था, इसलिए उस पर रिबेट का कोई दावा नहीं बनता था।

लेखा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि समाहर्ता को निदेश दिया गया है कि वह निर्धारित को अनुमत अधिक रिबेट की वसूली कर ले।

2.57 धागा

राजस्व प्राप्तियों (खण्ड 1 अप्रत्यक्ष कर) के 1979-80 के वर्ष के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पैरा 2.65 (क) (i) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 49क के अन्तर्गत शुल्क देने वाली कम्पोजिट मिलों द्वारा कपड़े के विनिर्माण में बेकार हुए धागे की मात्रा पर शुल्क की गैर अदायगी के मामले बताए गए थे।

पांच कलक्टरियों में नौ और कपड़ा मिलों के ऐसे मामले लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए जिनमें कपड़े के विनिर्माण में बेकार हुए धागे की मात्रा पर धागा शुल्क नहीं दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप 25 नवम्बर, 1977 से सितम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान 9.75 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया था।

तीन मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर, और दिसम्बर, 1981) कि उस रद्दी धागे पर जो बुनने के लिए जारी होने के पश्चात् उद्भूत होता है, शुल्क देय होगा। दो मामलों में मंत्रालय ने बताया है (सितम्बर, और नवम्बर, 1981) कि निर्धारितों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दाखिल किए जाने से मामला न्यायाधीन हो गया। शेष चार मामलों के विषय में बताया गया है (नवम्बर, और दिसम्बर, 1981) कि बोर्ड के दिनांक 16 जुलाई, 1981 के पत्र में दिए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए कम लगाए गए शुल्क की वास्तविक राशि निकाली जा रही है।

2.58 कपड़ा और कपड़े की वस्तुएं

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कपड़ा और कपड़े की वस्तुएं) अधिनियम 1978 की धारा 3(1) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर प्रभार्य शुल्क की कुल राशि पर 4 अक्टूबर 1978 से 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने और वसूल करने की व्यवस्था है। सरकार ने 3 अक्टूबर 1978 के टेलेक्स में स्पष्ट किया कि नया महसूल होने के कारण यह लेवी 3 और 4 अक्टूबर 1978 की मध्य रात्रि को पूर्णतः विनिर्मित अवस्था में और विनिर्माताओं के पास स्टॉक में पड़ी वस्तुओं पर नहीं लगाई जाएगी। चूंकि यह लेवी उत्पादन या वस्तुओं के विनिर्माण से सम्बन्धित नहीं थी बल्कि उन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निर्धारण से सम्बन्धित थी, इसलिए 3/4 अक्टूबर 1978 को स्टॉक में पड़ी सभी वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क देय था।

किन्तु लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि तीन कलक्टरियों के अन्तर्गत 9 यूनिटों में 3/4 अक्टूबर 1978 को धारित और उसके बाद उनके द्वारा निकासी की गई इस प्रकार की वस्तुओं के स्टॉफ पर अतिरिक्त शुल्क संग्रहीत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 40.52 लाख रु० का अवनिर्धारण हुआ। एक यूनिट के मामले में 4.09 लाख रु० का कारण बताओ और मांग नोटिसों को जारी कर दिया गया था जो न्याय निर्णयाधीन थे। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में

विभाग ने बताया कि मामले को सरकार के विचारार्थ भेज दिया गया था क्योंकि सरकार के 3 अक्टूबर, 1978 के अनुदेशों के आधार पर शुल्क नहीं लगाया गया था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि मामले की जांच की जा रही है।

2.59 रबड़ युक्त सूती वस्त्र

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़े की वस्तुएं) अधिनियम 1978 की धारा 3 (1) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन अन्य वस्तुओं के साथ सूती धागे और सूती वस्त्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल राशि के 10 प्रतिशत की दर पर 4 अक्टूबर 1978 से शुल्क लगाने और वसूल करने की व्यवस्था है। 4 अक्टूबर 1978 की एक अधिसूचना द्वारा ऐसे वस्त्र जो सूती कपड़ा (नियंत्रण) आदेश 1948 के अधीन कपड़ा आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित धोती, साड़ी, लट्ठा शर्टिंग या ड्रिल से मेल खाते हों, वे अतिरिक्त शुल्क से मुक्त हैं। यदि ये वस्त्र औद्योगिक समुत्थान को आपूर्त किए जायें तो यह छूट अनुज्ञेय है बशर्ते कि इनका उपयोग केवल पहनने के लिए किया जाए।

एक कलकटरी में एक फैक्टरी जो एक अन्य फैक्टरी के लिए रबड़ युक्त सूती वस्त्र का विनिर्माण करती थी ने इस आधार पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की अदायगी नहीं की कि वस्त्रों का उपयोग पहनने के लिए किया गया था। फरवरी, 1980 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया कि इसके द्वारा प्राप्त वस्त्रों का विनिर्माण सूती कपड़ा (नियंत्रण) आदेश 1948 के अनुसार नहीं किया गया था और संसाधित रबड़ युक्त वस्त्रों का उपयोग प्राप्तकर्ता फैक्टरी द्वारा टैक्सटाइल मशीनों के लिए कार्डिंग बेल्टों के उत्पादन में भी किया जाता था जिसे पहनने योग्य प्रयोजन के लिए नहीं समझा जा सकता है। इसलिए यह छूट नियमानुसार नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताए जाने पर विभाग ने ऐसे वस्त्रों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का निर्णय किया और 1,12,508 रु० के लिए दो कारण बताओ और मांग नोटिस जारी किए।

तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही मानते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (सितम्बर, 1981) कि अधिकारिता सहायक समाहर्ता द्वारा मांग की पुष्टि की जा चुकी है किन्तु निर्धारिती द्वारा अपील दाखिल कर दी गई है।

2.60 टैरिफ मद 68

एक फैक्टरी से विनिर्मित "सभी अन्य सामान जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं" को सम्मिलित करने के लिए पहली मार्च, 1975 से एक अवशिष्ट टैरिफ मद 68 लागू की गई थी जिसके अन्तर्गत शुल्क की दर 17 जून 1977 तक एक प्रतिशत, 18 जून 1977 से 28 फरवरी, 1978 तक दो प्रतिशत, 1 मार्च 1978 से 28 फरवरी 1979 तक पांच प्रतिशत और उसके बाद 8 प्रतिशत थी।

टैरिफ मद 68 के अधीन निर्धारणों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान कुछ अनियमितताएं देखने में आईं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :—

(क) 23 जुलाई, 1980 को जारी की गई एक टैरिफ सूचना द्वारा टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले सिरके पर खाद्य उत्पाद और खाद्य पदार्थ के रूप में छूट नहीं दी जा सकती थी। टैरिफ सूचना के अनुसार पहले किए गए निर्धारणों की समीक्षा की जानी चाहिए थी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 में विहित समय सीमा के भीतर शुल्क की मांग की जानी चाहिए थी।

एक यूनिट जो सिरका का विनिर्माण करती थी और "खाद्य उत्पादों और खाद्य पदार्थों" के रूप में इस छूट का लाभ उठा रही थी, ने उपरोक्त टैरिफ सूचना को ध्यान में रखते हुए 13 सितम्बर 1980 से सिरका पर शुल्क का भुगतान करने लगी। किन्तु शुल्क लगाने के लिए पहले किए गए निर्धारणों की समीक्षा के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। 23 जनवरी 1980 से 12 सितम्बर 1980 तक की अवधि के लिए उदग्राह्य शुल्क की राशि 55,102 रु० थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताए जाने पर विभाग ने तथ्यों को मान लिया और एक कारण बताओ नोटिस जारी करके 1 मार्च 1975 से 12 सितम्बर 1980 तक की अवधि के लिए 2.96 लाख रु० के शुल्क की मांग की।

तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही मानते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (अगस्त 1981) कि 2.96 लाख रु० का कारण बताओ और मांग नोटिस अधिकारिता सहायक समाहर्ता के न्याय निर्णयाधीन हैं।

(ख) जून 1977 में जारी की गई टैरिफ सूचना के अनुसार रेयन और कृत्रिम धागे से बनी सुतलियां और रस्से टैरिफ मद 68 के अधीन वर्गीकरणीय हैं। रेयन और कृत्रिम धागों, जिनसे सुतलियां और रस्से बनाए जाते हैं, पर टैरिफ मद 18 के अधीन शुल्क उद्ग्राह्य है।

एक कलक्टरी में एक यूनिट जो उसी के द्वारा उत्पादित नाइलान धागों से नाइलान टायर के कार्ड का विनिर्माण करती थी निकासी किए गए और बाहर बेचे गये कार्डों पर टैरिफ मद 68 की बजाय टैरिफ मद 18 के अधीन शुल्क का भुगतान कर रही थी। ऐसे कार्ड के उत्पादन में प्रयुक्त नाइलान धागे पर उसने कोई शुल्क भी अदा नहीं किया।

लेखापरीक्षा में यह बताया गया कि टैरिफ मद 18 के अधीन इस प्रकार के कार्ड में प्रयुक्त नाइलान धागे पर शुल्क अदा करने के अतिरिक्त टैरिफ मद 68 के अधीन इस प्रकार के नाइलान टायर कार्ड पर यूनिट द्वारा शुल्क अदा किया जाना था।

विभाग ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया (जून 1981) जिसमें 1 मार्च 1975 से 31 मार्च 1981 तक की गई निकासियों पर 1,71,184 रु० की मांग की गई।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि 1,71,184 रु० का एक कारण बताओ और मांग नोटिस जारी किया गया है और यह न्याय निर्णयाधीन है।

(ग) उत्पाद शुल्क पूर्व ऐसी वस्तुओं के स्टॉक पर जिनका पूर्ण रूप में विनिर्माण किया जाता है और शुल्क लगाए जाने से पूर्व सुपुर्दगी के लिए तैयार होती हैं किन्तु शुल्क लगाए जाने के बाद निकासी की जाती है उन पर शुल्क की अदायगी अपेक्षित नहीं है। वे वस्तुएं जो शुल्क लगाए जाने के बाद उनके विनिर्माण के पूरा किए जाने के संबंध में अथवा उसके विनिर्माण में सहायक किसी प्रक्रिया से गुजरती हैं तो उन पर 'उत्पाद शुल्क पूर्व स्टॉक' के रूप में छूट नहीं मिलेगी।

एक कोक भट्ठी संयंत्र ने जून 1976 से अप्रैल 1977 तक शुल्क की अदायगी किए बगैर विभिन्न किस्म के कोक की इस आधार पर निकासी की वे उत्पाद शुल्क पूर्व स्टॉक थे। तथापि यह देखने में आया कि इस प्रकार के कोक की निकासी करने से पूर्व मिश्रित कोक से छांट कर जांच (स्क्रीनिंग) की गई थी। चूंकि यह जांच कोक के विनिर्माण के पूरा करने से संबंधित एक प्रक्रिया थी जो टैरिफ मद 68 (1 मार्च 1975) में आने वाली वस्तुओं पर शुल्क लगाए जाने के बाद की गई थी इसलिए इस प्रकार के कोक की शुल्क मुक्त निकासी अनियमित थी। इस प्रकार के 51,910 मीटरी दशमिक टन के संबंध में अनुमानित 91,134 रु० का शुल्क नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षामें इसके बताए जाने पर आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने सूचित किया कि सम्बद्ध सहायक समाहर्ता से कहा गया है कि वह इसकी मांग करे। इस संबंध में आगे हुई प्रगति की प्रतीक्षा है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही मान लिया है (नवम्बर 1981)।

2.61 धारा 4 का गलत लागू किया जाना

वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के लिए राजस्व प्राप्तियों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (खण्ड 1 अप्रत्यक्ष कर) के क्रमशः पैराग्राफ 95, 82, 81 और 2.55 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नसक अधिनियम 1944 की धारा 4 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और जारी किए गए अनुदेशों के अधीन निर्धारणीय मूल्य के गलत अवधारण के कारण शुल्क के अवनिर्धारण के मामलों के संबंध में टिप्पणियां दी गई थीं।

इस सम्बन्ध में 30.32 लाख रु० के शुल्क के अवनिर्धारण के कुछ मामले, जो चालू लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए, नीचे दिए जाते हैं:—

(क) उपर्युक्त धारा 4 के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क योग्य माल का निर्धार्य मूल्य फैक्टरी के गेट पर सुपुर्दगी के समय ऐसे माल की सामान्य कीमत है। ऐसे मूल्य में उस पर देय उत्पाद-शुल्क शामिल नहीं है।

दो क्लकटरियों में दो लाइसेन्स धारियों ने विनिर्माण में प्रयुक्त "प्रयोज्य सामग्री" पर दिनांक 18 जून, 1977 की अधिसूचना के अन्तर्गत उपलब्ध शुल्क के मुजरे का लाभ उठाने के बाद टायरों (टैरिफ मद 16) पर शुल्क का भुगतान किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया (मार्च, 1979) कि लाइसेन्सधारियों द्वारा लिया गया मुजरे का लाभ ग्राहकों को नहीं दिया गया और पूरा शुल्क वसूल किया गया। देय राशि से अधिक वसूल की गई राशि टायर के निर्धार्य मूल्य का भाग बनेगी और उस पर शुल्क प्रभारित किया जाना चाहिए। दोनों मामलों में 1 अगस्त, 1978 से 3 जून, 1979 तक की अवधि के लिए 13.71 लाख रु० के शुल्क के अवनिर्धारण का अनुमान लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में इसका उल्लेख किए जाने पर विभाग ने एक मामले में 4.63 लाख रु० की मांग की, दूसरे मामले में की गई कार्यवाही प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने दोनों मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है (दिसम्बर, 1981 और जनवरी, 1982)।

(ख) उपर्युक्त धारा 4(क) के अन्तर्गत निर्धार्य मूल्य सामान्यतः वह मूल्य होना चाहिए जिस पर सुपुर्दगी के समय थोक बाजार में उत्पाद बेचा जाता है। ऐसी कीमत को टिकाऊ और वापस किए जाने वाले पैकिंग की लागत, उस पर देय उत्पाद शुल्क और विक्रय कर की राशि तक कम किया जा सकता है।

एक क्लकटरी में कृत्रिम कार्बनिक रंगों (सिन्थैटिक आर्गेनिक डाइस) जो टैरिफ मद 14घ के अन्तर्गत आते हैं, का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेन्स

धारी ने ग्राहकों से रंगों के मूल्य के अतिरिक्त पैकिंग प्रभार, सेवा प्रभार और परिवहन की लागत वसूल की किन्तु निर्धार्य मूल्य अवधारित करते समय इन प्रभारों को निकाल दिया गया। जब लेखापरीक्षा में इसका उल्लेख किया गया (जुलाई, 1980) तो विभाग ने 1 दिसम्बर, 1976 से 31 जुलाई, 1980 की अवधि के लिए 4.70 लाख रु० की मांग की।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर, 1981) कि 4.70 लाख रु० की मांग न्याय निर्णयन की प्रक्रिया के अधीन है।

(ग) बिजली के पंखों (टैरिफ मद 33) का विनिर्माण करने वाले एक निर्धारिती ने नकद मूल्य आधार पर अर्थात् वास्तविक कीमत में से 2 प्रतिशत का बट्टा घटाने के बाद (जिसे उधार मूल्य कहा जाता है), शुल्क के भुगतान के लिए मूल्य सूची प्रस्तुत की। यह ध्यान में आया कि निर्धारिती ने अधिकतर माल की निकासी उधार मूल्य पर की जबकि शुल्क का भुगतान नकद मूल्य के आधार पर किया गया था। चूंकि नकद मूल्य उधार मूल्य की अपेक्षा कम था अतः शुल्क उधार मूल्य के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए था। उधार मूल्य पर शुल्क का भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप 1979-80 के दौरान 4.68 लाख रु० का कम शुल्क लगाया गया।

लेखापरीक्षा में इसका उल्लेख किए जाने पर (जनवरी, 1981) विभाग ने सूचित किया (जुलाई, 1981) कि निर्धारिती को कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही मान लिया है (दिसम्बर, 1981)।

(घ) उपर्युक्त धारा 4 के अनुसार जहां किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर मूल्य के संदर्भ में उत्पाद शुल्क प्रभार्य है वहां ऐसा मूल्य वह कीमत होगी, जिस पर वह माल थोक व्यापार के समय सामान्यतः बेचा जाता है। जहां ऐसा माल विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों को विभिन्न कीमत पर बेचा जाता है, वहां ऐसी प्रत्येक कीमत थोक व्यापार के समय प्रभारित कीमत मान ली जाएगी।

एस्वेस्ट्स सीमेंट उत्पाद के एक विनिर्माता ने गन्तव्य स्थान पर सुपुर्दगी के लिए थोक भाव घोषित किया था, किन्तु खरीददारों की एक श्रेणी से घोषित मूल्य के अतिरिक्त बीजक मूल्य का एक प्रतिशत वसूल किया ताकि मार्गस्थ जोखिम अर्थात् टूट-फूट की हानि और चोरी पूरी की जा सके। चूंकि घोषित मूल्य गन्तव्य स्थान पर सुपुर्दगी के लिए था अतः संगृहीत अतिरिक्त राशि निर्धार्य मूल्य में शामिल की जानी चाहिए थी।

अक्टूबर, 1976 में लेखापरीक्षा में इसका उल्लेख किए जाने पर विभाग ने मार्च, 1976 से सितम्बर, 1976 की अवधि के लिए 1,447 रु० के भुगतान के लिए फरवरी, 1977, अप्रैल, 1977 और मई 1977 में लाइसेंसधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए जिसे व्यक्तिगत खाता लेखा में डेबिट करके जनवरी, 1981 में वसूल किया गया।

अक्टूबर, 1979 में उसी यूनिट की लेखापरीक्षा करते समय पुनः यह ध्यान में आया कि विनिर्माता ने सरकारी विभागों/लोक क्षेत्र उपक्रमों को की गई आपूर्तियों के सम्बन्ध में अगस्त, 1978 से अगस्त, 1979 के दौरान एक प्रतिशत जोड़कर 6,49,553 रु० वसूल किए थे। किन्तु इस प्रकार संगृहीत अतिरिक्त राशि पर शुल्क का भुगतान नहीं किया था हालांकि कलक्टर ने पहले वाले मामले में अगस्त, 1978 में यह आदेश भी दिया था कि यह अतिरिक्त संग्रहण निर्धार्य मूल्य का भाग होना चाहिए। जब शुल्क के संग्रहण में चूक का पुनः उल्लेख किया गया तो विभाग ने जुलाई, 1980 में अक्टूबर, 1976 से मार्च, 1980 की अवधि के लिए लाइसेंसधारी को तीन कारण बताओ—नोटिस जारी किए और विभेदक शुल्क के लिए 2.17 लाख रु० की राशि के लिए लाइसेंसधारी को तीन मांग नोटिस मई, 1981, जून, 1981 और जुलाई, 1981 में जारी किए। मार्च 1980 के बाद की अवधि के लिए कार्यवाही प्रतीक्षित है।

आपत्ति को स्वीकार न करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा है (दिसम्बर, 1981) कि विनिर्माता द्वारा कुछ मामलों में विशेष अनुरोध किए जाने पर एक प्रतिशत राशि मार्गस्थ जोखिम के लिए वसूल की

गई थी और इस प्रकार यह राशि निर्धार्य मूल्य का भाग नहीं बनती थी। तथापि तथ्य यह है कि जब विभिन्न खरीददारों से बोजक में विभिन्न मूल्य प्रभारित किये जाते हैं तो प्रत्येक श्रेणी के खरीददार से प्रभारित मूल्य सामान्य मूल्य के रूप में लिया जाना चाहिए।

(ड) यथा मूल्य पर शुल्क प्रभार्य माल का निर्धार्य मूल्य या तो वह सामान्य मूल्य होगा जिस पर विनिर्माता द्वारा फैक्टरी के गेट पर माल बेचा जाता है अथवा वह होगा जो तुलनात्मक माल के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यदि तुलनात्मक माल का मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता तो लाभ की उचित गुंजाइश की राशि सम्मिलित करके उत्पादन लागत निर्धारण का आधार होगी।

निकट के परिसर में स्थित अन्य फैक्टरी में अनन्यतः प्रयोग के लिए उसको आपूर्त कच्चे माल से "जांच कार्य आधार पर" इस्पान के ड्रमों (टैरिफ मद 46) का विनिर्माण करने वाली एक यूनिट के उत्पाद शुल्क रिकार्डों से निम्नलिखित अनियमितताओं का पता लगा (दिसम्बर, 1980) :—

(i) अप्रैल, 1977 से अक्टूबर, 1980 के दौरान विनिर्माताओं द्वारा संभाल कार्य, डिक्वाइलिंग और वेल्डिंग प्रभारों के लिए प्राप्त कुछ राशि उत्पादन लागत में शामिल नहीं की गई थी। लागत की गलत संगणना के कारण उत्पाद शुल्क योग्य माल का अवमूल्यांकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 1977 से 31 अक्टूबर, 1980 के दौरान निकासियों के सम्बन्ध में 74,870 रु० की राशि तक शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

(ii) उत्पादन की लागत में जोड़े गये लाभ की मात्रा 30 पैसे प्रति ड्रम की नाम मात्र दर पर थी, जो बहुत कम थी। मूल्यांकन नियमावली के नियम 6 (ख) के अनुसार लाभ की गुंजाइश वह होनी चाहिए जो इस प्रकार के माल को बेचने से साधारणतया प्राप्त हो। इसलिये उत्पादन की लागत के 10 प्रतिशत पर लाभ की मात्रा की संगणना करना तर्क संगत होगा। इस कारण सामान का मूल्यांकन 7.30 लाख रु० कम किया गया जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल, 1978 से 31 अक्टूबर, 1980 की अवधि में 1.16 लाख रु० का शुल्क कम संगृहीत हुआ।

जून, 1981 में जारी किये गये तथ्यों के विवरण का उत्तर विभाग से प्रतीक्षित है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि संभार के प्रभारों को शामिल न करने के विषय की जांच की जा रही है और टिप्पणियां बाद में भेजी जायेंगी। लाभ की गुंजाइश को जोड़ने के बारे में कलक्टर से निर्धारित के तुलन पत्र के अनुसार लाभ शामिल करके कम लगाये गये शुल्क की संगणना करने के लिये कहा गया है।

(च) एक कलक्टरी में विभिन्न आकार के एल्यूमिनियम के डिब्बों का विनिर्माण करने वाला एक लाइसेंसधारी ग्राहकों को उन डिब्बों की बाहर से खरीदे गये एल्यूमिनियम अग्रभाग वाले कार्क वाडों और पोली प्लगों के साथ आपूर्ति करता था। ढक्कनों की कीमत उनकी खरीदी गई कीमत से बहुत अधिक लगाकर डिब्बों का अवमूल्यांकन किया गया था। इस प्रकार के कार्क वाडों और पोली प्लगों की कीमत बीजकों में अलग दिखाई गई थी और डिब्बों का निर्धार्य मूल्य निकालते समय उसे शामिल नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप जुलाई, 1977 से अप्रैल, 1979 तक की गई डिब्बों की निकासी पर 77,252 रु० का कम शुल्क लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी, 1980) विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (अगस्त 1981) कि 24 जुलाई, 1977 से 21 मार्च, 1980 तक की अवधि के लिए विभेदक शुल्क 1,13,993 रु० बनता था। पार्टी ने राशि अदा करने के बजाय अपील की कलक्टर को अपील करना बेहतर समझा।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि 1,13,993 रु० की मांग की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन अपील किए जाने पर उसका एक भाग कालातीत हो जाने के कारण अपास्त कर दिया गया है।

(छ) एक कलक्टरी में हीरे के सुराख करने वाले बरमा "डायमंड ड्रिलिंग बिट्स" का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंसधारी नये बरमों के विनिर्माण में पार्टियों द्वारा वापस किये गये बेकार बरमों से सुधारे

गए हीरे का इस्तेमाल करता था। नये बरमों की निकासी ऐसे सुधारे गए हीरे के बरमों की कीमत निर्धार्य मूल्य में से निकालकर शुल्क अदा करके, की जाती थी। जब लेखापरीक्षा में यह बताया गया (अप्रैल, 1980) कि सुधारे गए हीरे नये बरमों के अंग थे और इसलिये निर्धार्य मूल्य में उनका मूल्य भी शामिल किया जाना चाहिये था तब विभाग ने जनवरी, 1981 में 67,505 रु० का कारण बताओं व मांग नोटिस जारी किया।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर, 1981) कि कलक्टर से मांग की वसूली के लिये कहा जा रहा है।

(ज) जब यथामूल्य पर निर्धार्य माल सीधा पार्टियों को ठेके की कीमत पर बेचा जाता है, तो उपरोक्त धारा 4 के अन्तर्गत निर्धार्य मूल्य निर्धारित करने के लिए इस प्रकार की कीमतों को सामान्य कीमत माना जाना चाहिये।

एक कलक्टर में आई० सी० इंजनों का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंसधारी ने ठेके के अनुसार वसूल किये गये निरीक्षण/जांच/विश्लेषण प्रभारों को निकाल कर ठेके में दी गई कीमत पर शुल्क अदा किया। लेखापरीक्षा में इसकी ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जुलाई, 1980) विभाग ने वर्ष 1979-80 के लिए 56,718 रु० का कारण बताओ और मांग नोटिस जारी किया।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते समय वित्त मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1982) कि 56,718 रु० की मांग कम करके 16,143 रु० कर दी गयी थी और न्याय निर्णयाधीन थी। तथापि कम करने के कारण नहीं बताये गये थे।

(झ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में यह व्यवस्था है कि जहां पर किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर शुल्क मूल्य के अनुसार लगाया जाना होता है वहां यह मूल्य वह कीमत समझी जायगी जिस पर माल निर्धारित द्वारा थोक व्यापार के दौरान खरीददार को सामान्यतया बेचा जाता है और इस प्रकार के व्यापार में खरीददार सम्बन्धित व्यक्ति नहीं है तथा बिक्री के लिये कीमत ही एक मात्र प्रतिफल है।

एक कलकटरी में दो यूनिटों ने अपने वनस्पति उत्पादों (यथा मूल्य शुल्क लगाये जाने योग्य) को अपने निजी विक्री डिपो और थोक व्यापारियों द्वारा बेचा। विक्री डिपो को जारी किये गये बीजकों में लगाई गई दरें थोक बाजार मूल्यों से कम थीं। इससे 76,776 रु० के शुल्क का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (सितम्बर 1978 और सितम्बर 1979) विभाग ने एक मामले में 45,165 रु० वसूल किये (जून 1980) और दूसरे मामले में 31,611 रु० की मांग की पुष्टि कर दी। इस मामले में वसूली के विवरण प्रतीक्षित हैं। तथापि निर्धारिती द्वारा अपील दाखिल कर दी गई बताई गई है।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार न करते हुये, वित्त मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 1981) कि निरीक्षण ग्रुप ने मूल्यांकन के सम्पूर्ण विषय पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया था और एक मामले में अक्टूबर 1978 से आगे के लिये आर०टी०12 विवरणियों में कम लगाए गए शुल्क की राशि आधिकारिक क्षेत्र अधिकारी द्वारा बताई जा चुकी है। तथापि तथ्य यह है कि निरीक्षण ग्रुप द्वारा लिया गया मूल्यांकन का विषय एक सामान्य स्वरूप का था और लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए कम शुल्क से सम्बद्ध नहीं है और दूसरे मामले में कम शुल्क की वसूली के लिये कार्यवाही लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने से पहले नहीं की गई थी।

2.62 निजी खपत

उत्पादन करने वाली फैक्टरी में निजी रूप से खपत किए गए माल के अवनिर्धारण के मामलों पर क्रमशः वर्ष 1978-79 और 1979-80 की राजस्व प्राप्तियों (भाग I, अप्रत्यक्ष कर) पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पैरा 79 और 2.57 में टिप्पणी की गई थी। लेखापरीक्षा में ध्यान आए कुछ और मामले नीचे दिए गए हैं:—

(क) 1 मार्च 1975 को टैरिफ मद 68 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, जिनका उत्पादन करने वाली फैक्टरी में मध्यवर्ती माल या माल के संघटक पुर्जों के रूप में उपयोग किया गया था, पर उद्ग्राह्य सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देते हुए सरकार ने एक अधिसूचना जारी की।

6 मार्च 1975 की संशोधन करने वाली अधिसूचना द्वारा छूट उन वस्तुओं पर भी दी गई थी जो टैरिफ मद 68 के अंतर्गत आती हैं और जिनका किसी अन्य माल के विनिर्माण में भी उत्पादन करने वाली फैक्टरी में उपयोग किया जाता है। फलस्वरूप टैरिफ मद 68 के अंतर्गत आने वाले माल, जिनका टैरिफ मद 68 के अंतर्गत न आने वाले माल के विनिर्माण में मध्यवर्ती उत्पाद या संघटक पुर्जों के रूप में उत्पादन करने वाली फैक्टरी में उपयोग किया गया था, पर 1 मार्च 1975 से 5 मार्च 1975 तक की अवधि के दौरान उस टैरिफ मद के अंतर्गत शुल्क उद्ग्राह्य था।

एक उर्वरक फैक्टरी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया कि फासफोरिक ऐसिड और नाइट्रोजन, जो टैरिफ मद 68 के अंतर्गत आते थे, का उत्पादन किया गया और अमोनियम उर्वरक, जो टैरिफ मद 14 जज के अंतर्गत आता था, के उत्पादन में निजी रूप से प्रयुक्त किया गया। लेखापरीक्षा ने बताया (फरवरी 1976) कि उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त नाइट्रोजन और फासफोरिक ऐसिड दोनों पर 1 मार्च 1975 से 5 मार्च 1975 तक की अवधि के दौरान टैरिफ मद 68 के अंतर्गत शुल्क उद्ग्राह्य होगा।

लम्बी अवधि तक पत्राचार करने के बाद सितम्बर 1980 में विभाग द्वारा एक मूल आदेश पारित किया गया था जिसमें शुल्क लगाए जाने के संबंध में पुष्टि की गई थी और निर्धारित से 5,26,390 रु० की मांग की गई थी। इस राशि में से 2,84,534 रु० की वसूली की जा चुकी है (अप्रैल 1981)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही मान लिया है (सितम्बर 1981)।

(ख) पालीविनाइल क्लोराइड कम्पाउंड पर 18 जून 1977 से टैरिफ मद 15 क के अधीन 40 प्रतिशत यथामूल्य की दर से शुल्क लगाया जाना है। 29 जून 1977 की एक अधिसूचना के अधीन इसे शुल्क से छूट दे दी गई थी। इसलिए 18 जून 1977 से 28 जून 1977 तक की बीच की अवधि में इस पर शुल्क लगाया जाना था।

एक कलकटरी में पालीविनाइल क्लोराइड कम्पाउंड का विनिर्माण करने वाली एक प्रमुख टायर फ़ैक्टरी ने शुल्क का भुगतान किए बगैर तथा विहित वर्गीकरण सूची दाखिल किए बगैर 18 जून 1977 से 28 जून 1977 तक आंतरिक रूप से इसका उपयोग किया। लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 1979 और फरवरी 1980) कलकटरी ने सूचित किया (सितम्बर 1980 और मार्च 1981) कि निर्धारित की 79,388 रु० के लिए एक कारण बताओ और मांग नोटिस दिया जा चुका है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही मान लिया है (सितम्बर 1981)।

(ग) 1 मार्च 1978 से एक नई टैरिफ मद 11 घ लागू की गई ताकि कोयला (लिग्नाइट को छोड़कर) और कोक, जो और कहीं विनिर्दिष्ट नहीं है, को शामिल किया जा सके। उसी तारीख को जारी की गई एक अधिसूचना के अधीन उतने कोयले की मात्रा जिसका कोक के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उसी खान में उपयोग किया गया हो, को पूर्ण रूप से शुल्क से छूट दे दी गई। इस छूट को 27 अप्रैल 1978 से वापस ले लिया गया और साथ ही एक अन्य अधिसूचना जारी की गई जिसमें सभी प्रकार के कोक पर छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप उस तारीख से कोक के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में उसी खान में प्रयुक्त कोयले पर 5 रु० प्रति मीटरी दशमिक टन की प्रभावी दर पर शुल्क देय है। यह स्थिति 18 जुलाई 1979 से टैरिफ मद 11 घ के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर छूट दिए जाने तक बनी रही।

एक कलकटरी में साफ्ट कोक के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में गैर कोकिंग कोयले का उपयोग करने वाली कोयला खान ने इस प्रकार प्रयुक्त कोयले का कोई लेखा नहीं रखा। ऐसा लेखा न रखने के कारण कोयला खान द्वारा अनुमानतः 1 मीटरी टन साफ्ट कोक : 1.33 मीटरी टन कोयला के अनुपात को अपनाकर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कोयले की प्रति मीटरी टन 5 रु० की दर की बजाए निकासी की गई साफ्ट कोक की प्रति मीटरी टन 6.67 रु० की दर से शुल्क का भुगतान किया गया। तथापि, कोयला खान द्वारा एक भिन्न अनुपात अर्थात् 1 मीटरी टन साफ्ट

कोक 1.54 मीटरी दशमिक टन कोयला, को अपना कर बेचे गए साफ्ट कोक की प्रति मीटरी टन 7.70 रु० की दर से अपने ग्राहकों से शुल्क की प्राप्ति की गई। शुल्क का भुगतान करने के लिए ग्राहकों से वसूली करने में लिए जाने वाले अनुपात को न अपनाने के कारण दिसम्बर 1978 से 17 जुलाई 1979 तक 94,615 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा में यह बताये जाने पर (जुलाई 1980) विभाग ने सूचित किया (जून 1981) कि 94,615 रु० की मांग की जा चुकी है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही मान लिया है (नवम्बर 1981)।

(घ) स्टेटरों और रोटरों का उपयोग बिजली की मोटरों के विनिर्माण में किया जाता है और ये टैरिफ मद 30 के अन्तर्गत आते हैं। 1 मार्च 1978 को जारी की गई एक अधिसूचना के अंतर्गत किसी वित्त वर्ष में पहली बार निकासी की गई 5 लाख रु० की बिजली की मोटरों पर छूट दी गई थी बशर्ते कि मूल्य सीमा में निकासी की गई बिजली की मोटरों का मूल्य तथा पुर्जों (स्टेटरों और रोटरों) का मूल्य शामिल हो। किन्तु 18 जुलाई 1980 की एक संशोधन करने वाली अधिसूचना द्वारा उसी टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले निजी रूप से खपत किए गए माल का मूल्य शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार 18 जुलाई 1980 से पूर्व निजी रूप से खपत किए स्टेटरों और रोटरों का मूल्य 5 लाख रु० की मूल्य सीमा की संगणना के लिए शामिल किया जाना था। तथापि लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया कि बिजली की मोटरों के उत्पादन में निजी रूप से खपत किए गए स्टेटरों और रोटरों के मूल्य को 5 लाख रु० की सीमा के प्रयोजन के लिए नहीं लिया जा रहा था जिसके फलस्वरूप कम शुल्क वसूल हुआ।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग द्वारा आपत्ति स्वीकार कर ली गई और 49 लाइसेंसधारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया जिनमें उनसे 50,95,599 रु० के शुल्क की मांग की गई थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि विभाग को मामले की जानकारी थी और 12 फरवरी 1980 के अपने पत्र में सहायक

समाहर्ता ने ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए रेंज अधिकारियों से कहा था। फिर भी तथ्य यह है कि अंतर्ग्रस्त शुल्क को वसूल करने की कार्यवाही अप्रैल 1980 में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद ही की गई।

(ङ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4(1)(क) के अनुसार यथामूल्य शुल्क के लिए प्रभार्य माल का निर्धार्य मूल्य वह सामान्य कीमत होती है जिस पर ऐसा माल फ़ैक्टरी गेट पर थोक व्यापारी को विनिर्माता द्वारा बेचा जाता है वशर्ते कि सौदा समीप ही में किया गया हो। उक्त उपबंध उन मामलों में लागू होते हैं जिनमें ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल को अंशतः बाहर बेच दिया जाता है और अंशतः अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में निजी रूप से प्रयुक्त कर लिया जाता है। किन्तु यदि माल का सम्पूर्ण रूप से उत्पादन करने वाली फ़ैक्टरी के भीतर ही उपयोग कर लिया जाता है तो निर्धार्य मूल्य का अवधारण निर्धारित या अन्य विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उसी प्रकार के माल के मूल्य के आधार पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत किया जाता है। यदि तुलनीय वस्तुओं का मूल्य अभिनिश्चयेय न हो तो जैसाकि सरकार द्वारा नवम्बर 1968 में स्पष्ट किया गया था उत्पादन की लागत, जिसमें लाभ की उचित मात्रा शामिल होती है, के अनुसार निर्धारण किया जाएगा।

(i) एक कलक्टरी में एक यूनिट ने आंतरिक खपत के लिए तथा विक्री के लिए भी एल्यूमिनियम चक्रों का विनिर्माण किया। लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि उसी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा गया और शुल्क का भुगतान उत्पादन की लागत के आधार पर अपेक्षाकृत कम मूल्य पर किया गया जिसके कारण जून 1977 से दिसम्बर 1979 की अवधि के दौरान 1,22,422 रु० के शुल्क का अव-निर्धारण हुआ।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही मानते हुए बताया है (सितम्बर 1981) कि कम लगाए गए शुल्क की राशि लेखा परीक्षा में बताई गई, 1,22,422 रु० की राशि की वजाए 1,36,850 रु० परिकलित गई थी और मांग आधिकारिक सहायक समाहर्ता के न्याय निर्णयाधीन है।

(ii) एक कलकटरी में एक उर्वरक फैक्टरी ने सल्फ्यूरिक एसिड का विनिर्माण किया और विभिन्न संयंत्रों में इसका निजी रूप से प्रयोग किया। फैक्टरी ने बेची गई एसिड की बाबत पूरक बीजकों के माध्यम से अतिरिक्त राशि प्राप्त की किन्तु निर्धार्य मूल्य को संशोधित नहीं किया।

लेखापरीक्षा में इस गलती के बताए जाने पर (फरवरी 1980) विभाग को 5,067 रु० की प्राप्ति हुई जो पूरक बीजकों के माध्यम से प्राप्त राशि पर शुल्क के कारण थी। जनवरी 1981 तक निजी रूप से प्रयुक्त एसिड की बाबत 2,84,845 रु० का एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है (नवम्बर 1981)।

(iii) एक अन्य कलकटरी में टैरिफ मद 14घ के अन्तर्गत आने वाले रंग द्रव्य का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंसदारी ने हर तिमाही में प्रस्तुत किये गये लागत आंकड़ों के आधार पर अवधारित निर्धार्य मूल्य पर शुल्क की अदायगी की। अप्रैल 1979 से जून 1979 तक की तिमाही के लिए निर्धार्य मूल्य शुल्क की अदायगी के लिए अपनाए गए मूल्य की अपेक्षा वस्तुतः अधिक थे जिसके कारण 1,63,397 रु० का शुल्क कम लगाया गया। लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने सितम्बर 1980 में निर्धारिती से मांग की।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि सहायक समाहर्ता द्वारा 1,63,396 रु० की मांग की पुष्टि की जा चुकी है।

(iv) तीन कलकटरियों में तीन यूनिटों ने आंतरिक रूप से अपने उत्पादन की खपत की और उत्पादन की लागत के आधार पर अभिनिश्चित निर्धार्य मूल्य पर शुल्क की अदायगी की। यह देखने में आया कि लाभ की अपेक्षाकृत कम मात्रा के अपनाए जाने या निवेश सामग्री को अधिप्राप्त करने में उठाए गए परिवहन प्रभार को हिसाब में न लेने और विनिर्माण की प्रक्रिया में वेकार हो गई निवेश सामग्री की लागत के कारण

इस प्रकार नियत किया गया मूल्य अपेक्षाकृत कम था। इसके परिणाम-स्वरूप दिसम्बर 1975 से मार्च 1980 की अवधि के दौरान 4,84,582 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने दो मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया है (नवम्बर और दिसम्बर 1981) कि आधिकारिक सहायक समाहर्ता द्वारा 1,06,166 रु० की मांग की पुष्टि कर दी गई है और 1,58,976 रु० और 2,72,622 रु० की मांग न्याय निर्णयाधीन है। तीसरे मामले में भी सिद्धांत में आपत्ति स्वीकार कर ली गई है।

2.63 सम्बन्धित व्यक्ति

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित उसकी धारा 4(1)(क)(iii) के अनुसार वस्तुओं के निर्धार्य मूल्य, जिसकी बिक्री किसी संबंधित व्यक्ति के द्वारा की जाती है, को ऐसे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा व्यापारियों से लिए गए मूल्य के आधार पर अवधारित करना होता है। इस प्रयोजन के लिए एकमात्र बिक्री एजेंट को संबंधित व्यक्ति समझा जाता है।

(क) लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि रबड़ के उत्पादों (टैरिफ़ मद 16 क) का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंसधारी ने विनिर्मित माल की अधिकांश निकासी (1978-79 के दौरान 81.5 प्रतिशत और 1979-80 के दौरान 94.74 प्रतिशत) एकमात्र बिक्री एजेंट को की थी और व्यापारियों से एकमात्र बिक्री एजेंट द्वारा ली गई अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर निर्धार्य मूल्य का अवधारण करने की बजाए, एकमात्र बिक्री एजेंट से विनिर्माता द्वारा ली गई कीमत पर शुल्क का निर्धारण किया गया।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने 3.75 लाख रु० की मांग की (सितम्बर 1980)।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही माना है (दिसम्बर 1981)।

(ख) एक कलक्टरी में टैरिफ़ मद 29(ii) के अंतर्गत शुल्क के लिए प्रभार्य अंतर्दहन इंजन का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंसधारी ने वितरकों के माध्यम से तथा प्रत्यक्ष रूप से भी औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा दूसरों को कुछ विशेष प्रकार के इंजनों की बिक्री की। वितरकों को सूची मूल्य पर 15 प्रतिशत का बट्टा दिया गया था जिसे अधिनियम की धारा 4 के अधीन निर्धार्य मूल्य का अवधारण करने के लिए विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। फ़रवरी 1977 में यूनिट की लेखापरीक्षा के दौरान और फ़रवरी 1979 में मामले की और जांच करने पर यह देखा गया कि वितरकों के माध्यम से की गई बिक्री लाइसेंसधारी और वितरकों के बीच हुए एक ठेके के अनुसार थी जिसमें अन्य बातों के साथ बिक्री पश्चात् इंजनों की देखभाल, प्रतियोगी विनिर्माताओं के उसी प्रकार के इंजनों की बिक्री पर निषेध आदि की व्यवस्था थी। स्वतंत्र क्रेताओं को सीधी बिक्री की बाबत लाइसेंसधारी ने वितरकों को अभिभावी कमीशन दिया। अगस्त 1975 और सितम्बर 1977 में जारी किए गए मंत्रालय के स्पष्टीकरणों के अनुसार इस प्रकार के वितरकों को संबंधित व्यक्ति समझा जाएगा और उनसे लिए गए बट्टा वाले मूल्य को यथामूल्य के आधार पर निर्धारण के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है। वितरक स्वतंत्र क्रेताओं को माल की बिक्री सूची मूल्य पर करते हैं जो कि सामान्य कीमत होगी, सूची मूल्य के आधार पर वितरक के माध्यम से की गई निकासियों की बाबत 1 अक्टूबर 1975 से 30 जून, 1978 तक की अवधि के दौरान 7,75,335 रु० के शुल्क का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की और यह कहा कि अधिनियम की धारा 4 के परन्तुक के प्रयोजन के लिए वितरक संबंधित व्यक्ति नहीं थे, परन्तु यह बात ऊपर बताए गए कारणों से सही नहीं थी।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते समय वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि अधिकारिता सहायक समाहर्ता को आवश्यक मांग करने के लिए निदेश दिया जा चुका है।

2.64 पैकिंग प्रभार

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 4(4)(घ)(i) के अनुसार किसी उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तु के संबंध में पैकिंग की लागत

निर्धार्य मूल्य में शामिल होती है यदि निकासी के समय ऐसी वस्तुओं की सुपुर्दगी पैक करके की जाती है। पैकिंग का मूल्य उस समय शामिल नहीं किया जाता जब पैकिंग टिकाऊ हो और निर्धारिती को क्रेता द्वारा वापस की जानी हो। उसमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 'पैकिंग' का अर्थ है रैपर, डिब्बा (कन्टेनर) बाबिन, पिर्न, स्पूल, रील या वार्प बीम या अन्य कोई ऐसी वस्तु जिसमें या जिस पर उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुएं लपेटी जाती हैं, रखी जाती हैं या बन्द की जाती हैं। केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने मार्च 1976 में स्पष्ट किया कि यदि डिब्बे टिकाऊ हैं और क्रेता द्वारा आपूर्त किए जाते हैं तो ऐसे डिब्बों की लागत निर्धार्य मूल्य में शामिल की जानी चाहिए। किन्तु कुछ शर्तों के अधीन कतिपय विनिर्दिष्ट निर्धार्य वस्तुएं यथासंशोधित 18 सितम्बर 1976 और 8 नवम्बर 1977 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत ऐसे शुल्क से मुक्त हैं जो कि उस पैकिंग की लागत पर निर्धार्य होता जिसमें फ़ैक्टरी से निकालने के समय इस प्रकार की वस्तुओं की सुपुर्दगी की जाती है।

(क) कागज का विनिर्माण (टैरिफ़ मद 17) करने वाली एक कागज मिल के मामले में निर्धार्य मूल्य में रील कोर, जिस पर कागज लपेटा गया था, की लागत या रैपर, जिसमें कागज रीम पैक किए गए थे, की लागत शामिल नहीं थी। जब लेखापरीक्षा में अवनिर्धारण की ओर ध्यान दिलाया गया (जून 1977) तो विभाग ने आरम्भ में (अप्रैल 1978 और जुलाई 1979) लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की और यह तर्क दिया कि कागज के घोषित मूल्य में रील कोर/रैपर की लागत शामिल थी, किन्तु बाद में सूचित किया (सितम्बर 1980) कि मांग की वसूली के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे। निर्धारिती के सुसंगत अभिलेखों की जांच से पता चला कि 16 मार्च 1976 से 28 फ़रवरी 1978 तक की अवधि में कुल 23.50 लाख रु० की मांग की गई थी।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (अगस्त 1981) कि अपील में 7,37,023 रु० की मांग की पुष्टि कर दी गई थी जिसके विरुद्ध निर्धारिती ने भारत सरकार के पास पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया था।

(ख) एक अन्य कलकटरी में टैरिफ़ मद 14ज के अंतर्गत आने वाली प्रशीतक गैसों का उत्पादन करने वाले एक लाइसेंसधारी ने कुछ

मामलों में ग्राहकों द्वारा दिए गए सिलेण्डरों में गैस की निकासी की। प्रशीतक गैसों के निर्धार्य मूल्य में उन सिलेण्डरों की लागत शामिल नहीं थी यद्यपि कि उक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत उस पर छूट नहीं थी। अप्रैल 1978 से मार्च 1981 के दौरान निकासी की गई प्रशीतक गैसों के निर्धार्य मूल्य में सिलेण्डरों की लागत शामिल न करने के कारण (लगभग) 9.30 लाख रु० के शुल्क की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1981) कि अधिकारिता सहायक समाहर्ता ने 4 सितम्बर 1981 को 9,29,653 रु० की मांग की पुष्टि कर दी है।

2.65 समीकृत भाड़ा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अधीन ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य निर्धारण का आधार बनता है, ऐसे मूल्य को सामान्य मूल्य माना जाएगा जिस पर माल को थोक व्यापार के दौरान निकासी के समय और स्थान पर सुपुर्दगी के लिए सामान्यतया बेचा जाता है। विधि, न्याय और कम्पनी मामलों के मंत्रालय के साथ परामर्श करके केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने 11 मार्च 1976 को स्पष्ट किया कि यदि निर्धारिता ने निकासी के स्थान सहित सभी गंतव्य स्थानों के लिए एक समान मूल्य रखा है तो समीकृत भाड़े के कारण कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं है और सामान्य कीमत का निर्धारण उस कीमत के संदर्भ में अवधारित किया जाएगा जो माल को निकालने के स्थान पर सुपुर्दगी के लिए वसूल की जाती है।

एक कलकत्ती में पारेषण और वाहक पट्टियों का विनिर्माण करने वाले एक निर्धारिता द्वारा समीकृत भाड़े के लिए 2.11 प्रतिशत की एक समान दर से वसूली की जा रही थी। 12 सितम्बर 1978 से 23 सितम्बर 1978 तक की अवधि के दौरान की गई निकासियों पर समीकृत भाड़े को हिसाब में लेने के पश्चात् निर्धारिता ने शुल्क का भुगतान किया। बाद में निर्धारिता ने मूल्य सूची, अर्थात् अनुमोदित निर्धार्य मूल्य में भाड़ा प्रभार की राशि शामिल नहीं की किन्तु अनुमोदित निर्धार्य मूल्य के अतिरिक्त उसकी वसूली करता रहा, जैसाकि अक्टूबर 1978 से 31 मार्च 1980 तक की अवधि के बिक्री बीजकों से सुनिश्चित किया

गया। 2.11 प्रतिशत की दर पर वसूल किए गए समोक्त भाड़े के तत्व को शामिल न करने से न अदा किए गए शुल्क की राशि 93,310 रु० परिकलित की गई।

लेखापरीक्षा में इसके बारे में बताए जाने पर (फरवरी 1980) विभाग ने सूचित किया (जून 1981) कि अक्टूबर 1978 से मार्च 1979 तक शुल्क कम लगाने के लिए एक कारण बताओ नोटिस इस अनुदेश के साथ जारी किया गया था कि वाद की अवधि के लिए भी मांग की जाए।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को पर्याप्त रूप से सही मान लिया है (दिसम्बर 1981)।

2.66 बीजक मूल्य

दिनांक 30 अप्रैल 1975 की एक अधिसूचना के अंतर्गत टैरिफ मद 68 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर शुल्क का परिकलन विशिष्ट शर्तों के अधीन ऐसी वस्तुओं की बिक्री के लिए विनिर्माता द्वारा लिए गए बीजक मूल्य के आधार पर किया जाना था।

(क) छः कलक्टरियों में छः यूनिटों के मामले में बीजक मूल्य निम्नलिखित कारणों से गलत निकाले गए थे :—

- (i) तकनीकी जानकारी, इंजीनियरी प्रलेखन और अभिकल्पन के लिए प्राप्त भुगतानों का शामिल न किया जाना;
- (ii) पूरक बीजकों पर प्रभारित कीमत का हिसाब में न लिया जाना ; और
- (iii) गलत संगणना।

उपरोक्त मामलों में 1 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1980 तक की अवधि के दौरान कुल 4,80,939 रु० की राशि का अवनिर्धारण हुआ। एक यूनिट ने 88,355 रु० का सम्पूर्ण शुल्क अदा कर दिया था। तीन मामलों में कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी कर दिए गए थे और एक मामले में मांग की गई थी। शेष मामले में की गई कार्यवाही के व्योरे प्रतीक्षित है।

चार मामलों में आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर और दिसम्बर 1981) कि दो मामलों में कम लगाए गए 1,36,998 रु० के शुल्क की वसूली कर ली गई है और दो अन्य मामलों में 1,42,557 रु० और 1,57,797 रु० के लिए कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पांचवें मामले में वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को मूल रूप से सही मान लिया है (अगस्त 1981)। बताया गया है कि शेष मामले की जांच की जा रही है (दिसम्बर 1981)।

(ख) एक कलकटरी में एक यूनिट ने जो जलयान बनाने का कार्य करती थी, उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार शुल्क की अदायगी करने के बाद सात बजरो की निकासी की। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि बजरो की निकासी बिक्री द्वारा नहीं की गई थी। असल में यूनिट द्वारा बजरो की निकासी एक रुपया प्रति बजरा प्रतिवर्ष के मामूली भाड़ा प्रभार पर एक राज्य सरकार को की गई थी। वास्तव में बजरो के स्वामित्व का प्रश्न स्वयं ही सिविल-वाद में मुकदमा किए जाने का विषय था। लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाया गया था कि 56 लाख रु० के बीजक मूल्य के आधार पर शुल्क की अदायगी करके बजरो की निकासी करना नियमित नहीं था क्योंकि बिक्री तो बिल्कुल हुई ही नहीं थी। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया था कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियम, 1975 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 4 (1) (ख) के अनुसार सात बजरो का सही लागू मूल्य 96.50 लाख रु० होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और न्यायनिर्णयन अधिकारी ने 2,54,550 रु० की मांग की पुष्टि कर दी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि निर्धारित ने सहायक कलकटर द्वारा 2,54,581 रु० की मांग की पुष्टि किए जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है।

(ग) वायु-संपीडकों, कार-वाशरो, स्नेहक उपस्करों के विनिर्माता ने उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत मूल्यांकन और शुल्क की अदायगी करने के लिए सहमति दे दी। यद्यपि साधारण तरीके से की गई बिक्री निर्दिष्ट

शर्तों को पूरा करती थी किन्तु शाखा अन्तरणों के रूप में शाखाओं के माध्यम से की गई सामान की निकासी के संबंध में ऐसी शर्तें पूरी नहीं होती थी। ऐसे अन्तरणों का निर्धारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में 1 मई 1975 से आगे हुए परिणामी अवनिर्धारण की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभेदक शुल्क के लिए जुलाई 1979 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और कालातीत हो जाने के कारण मांग 10 जनवरी 1979 से आगे की अवधि के लिए ही सीमित करनी पड़ी थी। इस प्रकार 1 मार्च 1975 से 9 जनवरी 1979 तक की अवधि के लिए 94,132 रु० का विभेदक शुल्क छोड़ना पड़ा था। 10 जनवरी 1979 से 31 मार्च 1980 तक की अवधि के लिए 1,15,503 रु० के विभेदक शुल्क की वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।

तथ्यों को मूल रूप से स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर 1981) कि अपीलीय कलक्टर ने नए सिरे से न्यायनिर्णयन का आदेश दे दिया है जो अधिकारिता सहायक कलक्टर के पास पड़ा हुआ है।

(घ) एक प्रिस्ट्रेसड कंक्रीट के खम्बे बनाने वाली यूनिट ने ऐसे खम्बों की पूर्ति करने के लिए बिजली बोर्ड के साथ ठेका किया। ठेके की शर्तों के अनुसार, विनिर्माता को सीमेन्ट और इस्पात की अपेक्षित मात्रा निर्धारित मूल्य पर और जी०आई० तार बिना मूल्य प्राप्त होनी थी और उसे खम्बों की पूर्ति निर्धारित मूल्य पर करनी थी।

विनिर्माता ने शुल्क की अदायगी बीजक मूल्य के आधार पर करना पसंद किया था। तथापि, बीजक मूल्य में उन जी०आई० तारों का मूल्य शामिल नहीं था जो खरीददार द्वारा बिना मूल्य आपूर्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त, निर्धारित मूल्य पर सीमेन्ट और इस्पात की आपूर्ति करने के लिए खरीददार के संविदात्मक दायित्व का प्रभाव विनिर्माता द्वारा बीजक में दिए गए मूल्य पर पड़ा था।

तदनुसार उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत बीजक मूल्य पर शुल्क अदा किए जाने का विकल्प विनिर्माता पर लागू नहीं होगा, इसकी बजाए बिना मूल्य आपूर्त किए गए जी०आई० तारों के मूल्य को शामिल करके

और सीमेन्ट और इस्पात की बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत निकाले गए निर्धार्य मूल्य पर शुल्क देय था। वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 23 जनवरी 1980 के पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि बीजक मूल्य किसी संविदात्मक दायित्व से प्रभावित हुआ है तो बीजक मूल्य पर शुल्क अदा करने का विकल्प लागू नहीं होगा।

इस और ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने सितम्बर, 1980 में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली। मार्च, 1975 से जुलाई, 1979 तक की अवधि के लिए 50,943 रु० के शुल्क की मांग करते हुए विभाग द्वारा दो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए। वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं। इस बीच, लाइसेंसधारी ने उच्च न्यायालय में विशेष सिविल प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को मूल रूप में सही मान लिया है (सितम्बर, 1981)।

2.67 वृद्धि प्रभार

एक सरकारी विभाग के लिए दूर-संचार उपस्करों का विनिर्माण करने वाली फैक्टरी के साथ किए गए करार में, (अगस्त, 1976) प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल, को लागू दर सूची के अनुसार उपस्करों की लागत सुनिश्चित करने के अलावा, प्रत्यक्ष सामान की लागत, प्रत्यक्ष श्रमिक लागत, अप्रत्यक्ष श्रमिक लागत और डाकतार विभाग द्वारा दी गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर व्यय की वृद्धि/कमी के लिए वसूली किए जाने की व्यवस्था थी।

लेखापरीक्षा में यह देखने में आया था कि फैक्टरी ने वृद्धि प्रभारों और अनुसंधान तथा विकास व्यय के लिए विभाग के प्रति पूरक बिल भेजे परन्तु इन प्रभारों पर कोई शुल्क अदा नहीं किया। चूंकि फैक्टरी को प्रतिपूर्त वृद्धि प्रभार और अनुसंधान तथा विकास व्यय विभाग को आपूर्त उपस्करों की लागत का अभिन्न भाग था, अतः इन पर शुल्क देय था। इन पर शुल्क न लगाए जाने के परिणामस्वरूप 1976-77 से 1979-80 के दौरान 6.52 लाख रु० के शुल्क की कम वसूली हुई।

इस अनियमितता की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मई, 1980) विभाग ने दिसम्बर, 1980 में कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किया और जुलाई, 1981 में मांग की पुष्टि कर दी।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को मूल रूप से सही मान लिया है (नवम्बर, 1981)।

2. 68 न्यायनिर्णयन आदेश का अनियमित संशोधन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 के अन्तर्गत, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय अथवा आदेश से कोई निर्धारिती संतुष्ट नहीं है तो वह निर्धारित अवधि के भीतर उपयुक्त अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। तथापि, अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को बाद में अपने ही आदेश को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

एक कलक्टर में एक लाइसेंसधारी ने जो घरेलू बिजली के सामान का विनिर्माण करता था, अप्रैल, 1978 से मूल्य में भाड़ा प्रभार शामिल किए जाने के कारण 1,09,608 रु० के शुल्क की वापसी की मांग की। सहायक कलक्टर द्वारा फरवरी, 1980 से अप्रैल, 1980 के दौरान दावों को विभिन्न आधारों पर रद्द कर दिया गया था। इन आदेशों के विरुद्ध उक्त धारा 35 के अंतर्गत कलक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) को अपील की जा सकती थी। बाद में निर्धारिती द्वारा प्रतिवेदन किए जाने पर सहायक कलक्टर ने अपने पूर्व आदेशों को संशोधित कर दिया और सितम्बर, और अक्टूबर, 1980 में 67,686 रु० की वापसी अनुमत की। लेखापरीक्षा में इस अनियमितता की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (दिसम्बर, 1980) विभाग ने बताया कि मामले को पुनः न्यायनिर्णयन का मामला नहीं माना जा सकता क्योंकि पूर्व आदेश सामान्य न्याय सिद्धान्तों का ध्यान रखे बिना अथवा निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई की सुविधा दिए बिना ही पास किया गया था। चूंकि अधिनियम में उसी प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश को किसी भी आधार पर संशोधित करने की व्यवस्था नहीं थी, अतः वापसी की स्वीकृति नियमित नहीं थी।

वित्त मंत्रालय ने इन तथ्यों को मूलतः सही मान लिया है (नवम्बर 1981)।

2.69 शुल्क की वसूली न करना

23 नवम्बर, 1979 तक लागू टैरिफ मद 19 और 22 के अंतर्गत सूती वस्त्रों और कृत्रिम वस्त्रों की ऐसी सभी किस्में आती थी जो पूर्णतः या अंशतः क्रमशः सूत और कृत्रिम धागे या तन्तुओं से बनाए जाते थे। ब्लीचिंग, मर्सराइसिंग, रंगाई, छपाई, वाटर प्रूफिंग, रवराइजिंग, सुकड़न प्रूफ बनाने, आर्गेन्डी प्रक्रिया अथवा किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा बने सूती कपड़े/कृत्रिम कपड़े 24 नवम्बर, 1979 से सम्बद्ध टैरिफ मदों में विशेष रूप से शामिल कर दिए गए थे।

जनवरी, 1979 में एक उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि किसी स्वतंत्र प्रोसेसर द्वारा (जो कपड़ों का विनिर्माता न हो) विनिर्मित प्रोसेस्ड सूती कपड़े/कृत्रिम कपड़े टैरिफ मद 19 और 22 के अंतर्गत नहीं आते थे क्योंकि ब्लीचिंग, रंगाई या छपाई की प्रक्रिया से कोई नया बुना हुआ सामान या पदार्थ अस्तित्व में नहीं आया। आगे यह निर्णय दिया गया कि ऐसे प्रोसेस्ड कपड़े के मूल्य में प्रोसेसिंग काम में आई लागत शामिल करके टैरिफ मद 68 के अंतर्गत लागू दर पर शुल्क अदा किया जाना था। इस से निपटने के लिए, सरकार ने सूती, ऊनी और कृत्रिम कपड़े पर शुल्क लगाने और निर्धारण करने की योजना को जारी रखने तथा पिछले निर्धारणों को वैध बनाने के उद्देश्य से नवम्बर, 1979 में एक अध्यादेश जारी किया। बाद में 12 फरवरी, 1980 को इस अध्यादेश के बदले में संसद का एक अधिनियम बना।

एक कलकटरी में दो यूनियों ने जो ग्रे-काटन कपड़ों (टैरिफ मद 19) और आर्ट सिल्क कपड़ों (टैरिफ मद 22) के प्रोसेसिंग का कार्य करती थी, उपरोक्त उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अप्रैल, 1979 और जुलाई, 1979 में एक अन्य उच्च न्यायालय से अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। तदनुसार इन यूनियों के लिए ऐसे कपड़ों पर उपयुक्त बैंक गारंटी देने के बाद शुल्क अदा करना आवश्यक नहीं था। नवम्बर, 1979 में अध्यादेश जारी किए

जाने अथवा फरवरी, 1980 में अधिनियम पारित हो जाने के बाद भी इन स्थगन आदेशों को रद्द नहीं कराया गया था। दिसम्बर, 1979 से मार्च, 1981 तक की अवधि के लिए दो यूनितों द्वारा अदा न किए गए बकाया शुल्क की राशि 2.40 करोड़ रु० बनती है। इन यूनितों ने यह राशि ग्राहकों से वसूल कर ली है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि कलकटर को स्थगन आदेश रद्द कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

2.70 वसूली में विलम्ब

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में यह व्यवस्था है कि यदि कोई निर्धारित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत दिए गए किसी निर्णय अथवा आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उसके पुनरीक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रार्थनापत्र दे सकता है। अप्रैल, 1976 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने यह स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण के लिए आवेदन दाखिल कर दिया जाना ही वसूली का अपने आप स्थगन नहीं माना जाना चाहिए और साधारणतया जब एक अपील रद्द कर दी गई हो तो यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की गई थी और यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी न किया गया हो तो आगे वसूली स्थगित रखने की आवश्यकता नहीं थी।

एक कलकटरी में एक फैक्टरी के मामले में जनवरी, 1976 से मार्च 1978 तक की अवधि के लिए 7,63,889 रु० की मांग पर इस आधार पर अमल नहीं किया गया था कि निर्धारित ने पुनरीक्षण आवेदन दाखिल कर दिया था (फरवरी, 1979)। तथापि यह देखने में आया था कि मांग के विरुद्ध की गई अपील खारिज कर दी गई थी (जून, 1978) और पुनरीक्षण प्राधिकारी से उस राशि की वसूली के स्थगन आदेश लेखापरीक्षा की अन्तिम तारीख तक (मार्च, 1980) प्राप्त नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा में इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने सूचित किया (मई, 1981) कि मांग की राशि की अदायगी के लिए निर्धारिती पर जोर डाला जा रहा था।

जैसा कि बोर्ड के उपरोक्त स्पष्टीकरण में बताया गया था, पुन-रीक्षण प्राधिकारी से स्थगन आदेश जारी न होने के कारण मांग पर अमल न किए जाने की वजह से निर्धारिती को जुलाई, 1978 से मई, 1981 तक की अवधि के दौरान 2.68 लाख रु० का वित्तीय अनुग्रह प्राप्त हुआ।

इन तथ्यों को मूल रूप में सही मानते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि सरकार ने यूनिट को अपने हाथ में ले लिया है और नई यूनिट, पूर्व यूनिट की देयताओं को स्वीकार नहीं कर रहा है परन्तु इस मामले में आगे कार्यवाही की जा रही है।

2.71 गुप्त निकासी

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 9क(5) के अंतर्गत जब उत्पाद शुल्क योग्य सामान की गुप्त रूप से निकासी की जाती है तो ऐसे सामान के लिए लागू शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन, यदि कोई हो, उतना ही होगा जितनी दर और मूल्यांकन शुल्क अदा किए जाने की तारीख को था।

(क) एक कलकटरी में टैरिफ मद 68 के अंतर्गत आने वाले मैग्नेटिक रिकार्डिंग टेपों का विनिर्माण करने वाली एक यूनिट ने 18 जून, 1977 से 28 फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान 18,00,151 रु० मूल्य के सामान की गुप्त निकासी के संबंध में शुल्क अदा किए जाने की तारीख (मई/जून, 1978) को लागू 5 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर शुल्क अदा करने की बजाए निकासी की तारीख को लागू 2 प्रतिशत यथामूल्य की दर से शुल्क अदा किया। इसके परिणाम-स्वरूप 54,004 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (नवम्बर, 1979) विभाग ने अक्टूबर, 1980 में लाइसेंसधारी के नाम कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किया। आगे हुई प्रगति प्रतीक्षित है।

इन तथ्यों को मूल रूप से सही मानते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि मामले के तथ्यों पर नियम 9क(5) लागू होता है। तथापि, कलक्टर से आगे हुई प्रगति के विषय में पूछताछ की जा रही है।

(ख) उसी कलक्टरी में एक अन्य निर्धारिती ने दिसम्बर, 1976 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस प्राप्त किया और टैरिफ मद 68 के अंतर्गत शुल्क योग्य पेपर बैग, पेपर कप (आइस्क्रीम कप) कागजी लिफाफे, कागजी हाथ के तौलिए और टायलेट पेपर दिखाकर विभाग से वर्गीकरण सूची अनुमोदित करवा ली। निर्धारिती ने पेपर-बैग, पेपर-कप और पेपर लिफाफों की निकासी पर तो शुल्क अदा कर दिया परन्तु 1 मार्च, 1975 के बाद कागजी हाथ के तौलियों और टायलेट पेपर की निकासी पर कोई शुल्क अदा नहीं किया। अप्रैल, 1977 से मार्च, 1978 की अवधि के दौरान इस सामान की बिक्री की राशि 5,25,404 रु० थी। यथामूल्य 8 प्रतिशत की चालू दर पर वसूली योग्य शुल्क की राशि 42,032 रु० बनती थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने अप्रैल, 1975 से मार्च, 1976 और अप्रैल, 1977 से जनवरी, 1979 तक की अवधि के लिए 52,712 रु० की मांग की पुष्टि अप्रैल, 1980 में कर दी। अप्रैल, 1976 से मार्च, 1977 तक और फरवरी, 1979 से आगे की अवधि के दौरान हुई निकासी के संबंध में शुल्क की वसूली के लिए की गई कार्यवाही और वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।

वित्त मंत्रालय ने इन तथ्यों को मूल रूप में सही मान लिया है (दिसम्बर, 1981)।

(ग) अप्रैल, 1975 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत टैरिफ मद 68 के अंतर्गत आने वाले सामान पर शुल्क को, यदि वह जाब-वर्क के आधार पर किसी फैक्टरी में विनिर्मित किया गया हो, जाब-वर्क के लिए प्रभारित राशि के अनुसार संगणित शुल्क तक सीमित कर दिया जाता था।

एक लाइसेंसधारी के खातों से पता चला कि 1977-78 और 1978-79 के दौरान श्रम प्रभार के रूप में क्रमशः 15,35,011 रु०

और 27,07,476 रु० की ऐसी प्राप्तियां हुई थीं जिन पर कोई शुल्क अदा नहीं किया गया था। विभाग ने पुष्टि की कि इसमें श्रम प्रभार ऐसे जाव-वर्क के संबंध में थे जिन पर टैरिफ मद 68 के अंतर्गत शुल्क लगता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने सूचित किया कि अदायगी की तारीख को लागू यथा मूल्य 8 प्रतिशत की शुल्क-दर के आधार पर 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान क्रमशः 4,87,430 रु०, 10,35,162 रु० और 4,12,839 रु० मूल्य के सामान की निकासी पर 1,54,834 रु० का शुल्क वसूली योग्य था। इस संबंध में आगे हुई प्रगति की सूचना प्रतीक्षित है।

तथ्यों को मूल रूप में सही स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है (अगस्त, 1981) कि 1,54,834 रु० के लिए कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी कर दिया गया है और मामला न्याय-निर्णयन अधीन है।

2.72 जाँव-कार्य

दिनांक 30 अप्रैल, 1975 की अधिसूचना के अंतर्गत टैरिफ मद 68 के अंतर्गत आने वाले सामान पर शुल्क, यदि वह फैक्टरी में जाँव-वर्क के आधार पर विनिर्मित किया गया हो, जाँव-कार्य के लिए प्रभारित राशि के अनुसार संगणित शुल्क की राशि तक सीमित कर दिया जाएगा। उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्पष्टीकरण के अनुसार शब्द 'जाँव-कार्य' की परिभाषा यह दी गई है कि यह किसी कार्य की ऐसी मद है जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया में काम आने वाली वस्तु जाँव करने वाले को आपूर्त की जाती है और जाँव-कार्य के लिए प्रभारित करने के पश्चात् जाँव करने वाले द्वारा उस वस्तु को आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया जाता है। दिसम्बर, 1976 में विधि मंत्रालय ने यह मत व्यक्त किया कि उक्त अधिसूचना उन मामलों पर लागू नहीं होगी जहाँ जाँव करने वाले को कच्चा माल/अन्य संघटक अन्य उत्पादों में के बदलने लिए मिलता है, क्योंकि ऐसे मामलों में रूपान्तरण के बाद वही वस्तु आपूर्तिकर्ता को वापस नहीं की जाती है।

(क) एक कलक्टरी में एक निर्धारिती ने कच्चा माल/संघटक पुर्जे प्राप्त किए और उन्हें नए उत्पादों में अर्थात् ग्राहक कम्पनी द्वारा सप्लाई किए

गए आरेखणों/विशिष्टियों के अनुसार इलेक्ट्रीकल ट्यूब लाइट फिटिंग में बदल दिया। यह सामान केवल ग्राहक कम्पनी के लिए ही बनाया गया था और इस पर ग्राहक कम्पनी का ट्रेड-मार्क और उसी का ब्रांड नाम अंकित था और बाजार में यह ग्राहक कम्पनी के उत्पाद के रूप में जाना जाता था। ग्राहक कम्पनी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 2 (च) के अंतर्गत विनिर्माता हैं और इस प्रकार इस सामान के लिए ग्राहक कम्पनी द्वारा प्रभारित मूल्य ही निर्धार्य मूल्य के रूप में लिया जाना चाहिए था। तथापि निर्धारिती ने केवल जाँव प्रभारों पर ही शुल्क अदा किया। विनिर्माण की ये प्रक्रियायें शब्द 'जाँव-कार्य' की परिभाषा में नहीं आती थीं, जैसा कि उक्त अधिसूचना में परिकल्पित था। शुल्क की वसूली रूपान्तरण प्रभारों पर करने के बजाय ग्राहक कम्पनी द्वारा प्रभारित मूल्य के आधार पर की जानी चाहिए थी। गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 1 मार्च, 1975 से 31 मार्च, 1979 की अवधि के दौरान 17.81 लाख रु० का शुल्क कम लगाया गया।

सितम्बर, 1977 में लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने सूचित किया कि मांग की पुष्टि कर दी गई है। तथापि, निर्धारिती ने अपीलीय कलक्टर के पास अपील कर दी है और मामला न्यायनिर्णयन अधीन है।

वित्त मंत्रालय ने इन तथ्यों को मूल रूप में सही मान लिया है (नवम्बर, 1981)।

(ख) एक कलक्टरी में एक यूनिट ने भारत सरकार के उपक्रम से प्लेटें, ट्यूब्स आदि जैसा कच्चा माल प्राप्त किया और बाँयलर संघटकों का विनिर्माण किया तथा केवल श्रम प्रभारों पर ही शुल्क अदा किया। क्योंकि विनिर्मित उत्पाद भिन्न तथा अभिज्ञेय है, अतः उक्त अधिसूचना के प्रावधान लागू नहीं होते और यूनिट को तैयार माल के सम्पूर्ण मूल्य पर शुल्क अदा करना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने 11 अक्तूबर, 1978 से 31 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए 1,09,923 रु० के विभेदक शुल्क की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया।

आपत्ति को मूल रूप में सही स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (नवम्बर, 1981) कि लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने से पहले ही विभाग को कम उद्ग्रहण की जानकारी थी क्योंकि जाँच-कार्य के पूरे मामले की कलक्टर द्वारा जांच की जा रही थी और उसने अपने दिनांक 15 सितम्बर, 1980 के पत्र में इस बारे में सूचना मांगी है।

मंत्रालय का अभिमत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कलक्टर द्वारा जारी किया गया पत्र आम किस्म का था और लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाए गए कम उद्ग्रहण से संबंधित नहीं था।

(ग) एक कलक्टरी में एक यूनिट ने किसी दूसरे विनिर्माता से तांबा-छड़े प्राप्त की जिन्हें जाँच आधार पर तांबा खण्डों और सेक्शनों में बदलना था। निर्धारित द्वारा इस विनिर्माण कार्य की घोषणा वर्गीकरण सूची दाखिल करके विभाग के समक्ष नहीं की गई थी और इस प्रकार विनिर्मित खण्डों और सेक्शनों की निकासी शुल्क की अदायगी किए बिना ही कर दी गई थी। नवम्बर, 1980 में लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने स्वीकार किया कि यह चूक लाइसेंसधारी द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने के समान थी और 1 जून, 1977 से 31 मई, 1980 तक की अवधि के लिए 1,71,115 रु० की मांग की। वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि 1,71,115 रु० की मांग न्याय-निर्णयन अधीन है।

2.73 सामान का अनियमित निपटान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 196 के अंतर्गत शुल्क की अदायगी किए बिना उत्पाद शुल्क योग्य सामान नियम 192 के अन्तर्गत प्राप्त करने पर यदि उसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता जिसके लिए उसे प्राप्त किया गया था तो शुल्क लगाया जाता है। 21 अप्रैल, 1979 को लागू किए गए नियम 196-ख के अंतर्गत खराब/क्षतिग्रस्त माल की जांच के बाद विभाग की अनुमति से मूल विनिर्माता को बांड के अंतर्गत वापस कर दिए जाने की व्यवस्था है।

एक कलकटरी में एक लाइसेंसधारी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के अध्याय 10 में निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए नायलन धागे के उत्पादन के लिए शुल्क की अदायगी किए बिना ही केपरोलेक्टम लाने की अनुमति दे दी गई थी। यह देखने में आया था कि नवम्बर, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि के दौरान बांड के अंतर्गत 49,250 किलोग्राम केपरोलेक्टम वापस किया गया था क्योंकि वह खराब था। नियमों में ऐसी इनबांड वापसी की व्यवस्था नहीं थी और उसकी निकासी 1,74,500 रु० से शुल्क की अदायगी करने पर ही की जानी चाहिए थी। विभाग का अभिमत था कि सामान नायलन धागे के विनिर्माण में उपयोग किए जाने के उपयुक्त नहीं था और नियम 196 क (ii) की व्यवस्था के अनुसार वापस कर दिया गया था। यह सही नहीं है क्योंकि नियम 196 (क) (ii) अधिशेष माल के लिए लागू होता है न कि खराब माल के लिए।

इन तथ्यों को पर्याप्त रूप से ठीक मानते हुए वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है (सितम्बर, 1981) कि 1,74,500 रु० का कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी कर दिया गया है और न्याय निर्णयन अधीन है।

2.74 अनन्तिम निर्धारणों को अन्तिम रूप दिए जाने में विलम्ब

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 9ख में उसमें वर्णित कुछ परिस्थितियों में उदाहरणार्थ किसी दस्तावेज के पेश किए जाने, किसी सूचना को दिए जाने या किसी परीक्षण अथवा जांच आदि को पूरा होने तक शुल्क का अनन्तिम निर्धारण करने की व्यवस्था है। अनन्तिम निर्धारण के मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए समय की कोई कानूनी परिसीमा नहीं है। इस विषय पर 1969-70 के वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों (अप्रत्यक्ष कर) पर भारत के नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 28 (iii) में टिप्पणी दी गई थी। लोक लेखा समिति ने अपनी 44 वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोक सभा) के पैरा 1.231 में कहा था कि अनन्तिम निर्धारणों में सदैव अनिश्चितता बनी रहती है और ये बजट सम्बन्धी पूर्वानुमानों को प्रभावित कर सकते हैं। समिति ने सुझाव दिया कि अनन्तिम निर्धारणों को घटाकर न्यूनतम कर देना चाहिए विशेष रूप से "स्वतः निकासी कार्यविधि"

लागू किए जाने के बाद जिसके अन्तर्गत वर्गीकरण और मूल्यों का अनुमोदन वस्तुओं की निकासी के लिए पहली शर्त है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने मार्च, 1976 में इस आशय के अनुदेश जारी किए कि वर्गीकरण और मूल्यांकन दोनों के कारण किए गए अनन्तिम निर्धारणों को सामान्यतः तीन महीने की अवधि में और किसी भी हालत में 6 महीने की अवधि में अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए। ये अनुदेश पुनः अक्टूबर, 1980 में जारी किए गए अनुदेशों में दोहराए गए।

विभिन्न कलक्टरियों में किए गए अनन्तिम निर्धारणों के मामलों की समीक्षा से पता लगा कि दिसम्बर, 1980 के अन्त में 17 कलक्टरियों में (जिनके बारे में सूचना मिली थी) 2,629 मामले अनिर्णीत पड़े हुए थे, जिनमें 144.21 करोड़ रु० से अधिक का शुल्क अन्तर्ग्रस्त था। इनमें से 2,006 मामले 6 महीने से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े थे।

यह भी देखने में आया कि एक कलक्टरी में दो उर्वरक यूनितों से सम्बन्धित दो मामलों में से, जिनमें 9 करोड़ रु० का राजस्व अन्तर्ग्रस्त था, एक मामला 6 साल से अधिक समय से अनिर्णीत पड़ा था।

विभाग ने सूचित किया (जून, 1980) कि सितम्बर, 1975 के अन्त तक निकासी किए गए उर्वरकों के निर्धारण को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका पर सरकार के आदेश प्राप्त नहीं हुए थे और अक्टूबर, 1975 से निर्धारणों को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

एक अन्य कलक्टरी में एक मामला जिसमें 22 करोड़ रु० से अधिक शुल्क अन्तर्ग्रस्त था, 1976 से इसलिए अनिर्णीत पड़ा बताया गया क्योंकि वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के समीक्षाधीन था।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि विभिन्न कलक्टरियों में अनन्तिम निर्धारणों को अन्तिम रूप दिए जाने में विलम्ब के मामले पर निरीक्षण निदेशालय, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग की सलाह से विचार किया जा रहा है।

2.75 निर्यातित वस्तुओं पर शुल्क का न लगाया जाना

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्यात या तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अन्तर्गत शुल्क के रिबेट का दावा करके अथवा उसी के नियम 13 के अन्तर्गत बांड निष्पादित करके शुल्क की अदायगी किए बगैर किया जा सकता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने 2 नवम्बर, 1979 को स्पष्ट किया कि इसके नियम 12 के अन्तर्गत पैकिंग सामग्री नहीं आती है और इसलिए उस पर रिबेट का शुल्क अनुज्ञेय नहीं है। इस पर शुल्क की वसूली निर्यात परेषणों की पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने से पूर्व कर लेनी चाहिए। यह निर्णय पूर्ण रूप से उन मामलों में भी लागू है जहां वस्तुओं का निर्यात नियम 13 के अन्तर्गत शुल्क की अदायगी किए बगैर किया जाता है।

दो जूट मिलों के मामले में जो नवम्बर, 1979 से पूर्व परेषणों की पैकिंग के लिए काम में लिए गए पैक शीटों सहित जूट वस्तुओं का निर्यात शुल्क की अदायगी किए बगैर (टैरिफ मद 22क) करती रही थी, विभाग द्वारा ऐसी पैक शीटों पर लगने वाले शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर (मई, 1980) विभाग ने सूचित किया (मई, 1981) कि दोनों निर्धारितियों के विरुद्ध 19 मार्च, 1981 को उनके द्वारा 22 मार्च, 1976 से 1 नवम्बर, 1979 तक की अवधि में पैक शीटों के रूप में उपयोग किए गए 256.084 दशमिक टन हैसियन और टाट के लिए कुल मिलाकर 1.56 लाख रु० की रकम के लिए कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी कर दिए हैं।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि निर्धारिती ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

2.76 मासिक विवरणियों को भेजने और राजस्व प्राप्तियों के समाधान में विलम्ब

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत निर्धारितियों को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क देने के लिए सम्बद्ध कलक्टरों के मुख्य लेखा अधिकारी के साथ एक चालू खाता रखना पड़ता है। यह देखने का दायित्व सीधे विनिर्माता का है कि निकासी की जाने वाली वस्तुओं पर देय शुल्क को पूरा करने के लिए चालू खाते (वैयक्तिक खाता लेखा) में पर्याप्त शेष है। कलक्टरों के मुख्य लेखा अधिकारी और क्षेत्रीय कार्यालयों में रेंज अधिकारियों को निर्धारितियों के वैयक्तिक खाता लेखाओं को ठीक प्रकार से रखने के लिए निर्धारित जांच करनी होती है। मुख्य लेखा अधिकारी की भूमिका और कार्यों में स्वतंत्र रूप से यह सुनिश्चित करना कि वैयक्तिक खाता लेखा के माध्यम से लाइसेंसधारियों द्वारा समय समय पर प्रदत्त शुल्क वास्तव में सरकारी खाते में ठीक प्रकार से क्रेडिट कर दिया गया है और ज्यादा रुपया नहीं निकाला गया है, निश्चित रूप से शामिल है। 1 अप्रैल, 1977 से पूर्व वैयक्तिक खाता लेखा फाइलें मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में रेंज अधिकारियों से प्राप्त हुए राजस्व अभिलेखों और खजाना अधिकारियों से सीधे प्राप्त हुए दस्तावेजों की सहायता से पूरी की जाती थीं।

1 अप्रैल, 1977 से प्राप्त लेखाओं का विभागीकरण हो जाने पर राजस्व का संग्रहण कार्य नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दे दिया गया है। केन्द्रीय (फोकल) स्थान के बैंकों को विभाग के वेतन और लेखा अधिकारियों को चालानों सहित दैनिक स्क्रोल भेजने होते हैं जो सम्बद्ध मुख्य लेखा अधिकारी को मासिक संकलित आंकड़े भेजते हैं। इस संशोधन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक रेंज अधिकारी द्वारा मुख्य लेखा अधिकारी को एक मासिक विवरणी भेजनी चाहिए जिसमें निर्धारितियों द्वारा वैयक्तिक खाता लेखा में की गई अदायगियों के ब्यौरे दिखलाए जाने चाहिए तथा उनके समर्थन में प्रदत्त चालानों (जिन पर यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि निर्धारण दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुए चालानों की प्रतियों से इनकी जांच और तुलना कर ली गई है) की चौथी प्रति भेजनी चाहिए। मुख्य लेखा कार्यालय में वैयक्तिक खाता लेखा की फाइलें मासिक विवरणियों के प्राप्त होने पर पूरी करनी होती हैं और विभागीय आंकड़ों का मिलान वेतन और

लेखा कार्यालयों द्वारा बुक किए गए आंकड़ों के साथ राजस्व संग्रहण और प्रतिदायों की अदायगी आदि की नियम पुस्तक के अध्याय XII में दिए गए अनुदेशों के अनुसार करना होता है। जिन मदों का समाधान नहीं हो पाता है अर्थात् ऐसे चालानों के व्यौरे जो या तो रेंज अधिकारियों के मासिक विवरणों में या वेतन और लेखा अधिकारियों की संकलन शीटों में टिक होने से रह जाते हैं, उन्हें “कर राजस्व प्राप्तियों का जांच रजिस्टर” में नोट कर दिया जाता है जिससे जाली चालानों आदि का पता लगाया जा सके तथा रेंज अधिकारियों और या/सम्बद्ध केन्द्रीय स्थान के बैंक के साथ पत्र व्यवहार करके बकाया मदों का तुरन्त निपटान किया जा सके।

कलक्टरियों के मुख्य लेखा अधिकारियों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वैयक्तिक खाता लेखा फाइलें रेंज कार्यालयों से मासिक विवरण न आने के कारण पूरी नहीं की जा सकी थी। इस लिए यह मामला केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड के साथ अप्रैल, 1980 में उठाया गया। बोर्ड ने अपने 22 जुलाई, 1980 के अर्ध सरकारी पत्र में, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी समाहर्ताओं को भेजा गया है, मुख्य लेखा अधिकारियों/रेंज अधिकारियों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के शीघ्र मिलान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जिससे निर्धारित इस स्थिति का नाजायज़ फायदा न उठाए। इन अनुदेशों के बावजूद अधिकांश कलक्टरियों में मिलान कार्य बकाया पड़ा हुआ है जबकि छः कलक्टरियों में या तो यह कार्य आरंभ ही नहीं किया गया है या हाल ही में आरम्भ किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा बकाया कार्य की समीक्षा करने पर पता लगा कि 31 दिसम्बर, 1980 को मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालयों में रेंज कार्यालयों से लगभग दो लाख मासिक विवरणियां अभी प्राप्त होनी थीं जिसके फलस्वरूप बहुत सी कलक्टरियों में लगभग 502 करोड़ ₹० की अनुमानित रकम बिना मिलान के पड़ी हुई थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर, 1981) कि चूंकि यह पैरा 25 कलक्टरियों से सम्बन्धित है, इसलिए अद्यतन स्थिति सुनिश्चित करने में समय लगेगा और टिप्पणी यथा समय भेज दी जाएगी।

2.77 काल-बाधित हो जाने से राजस्व की हानि

1980-81 के दौरान किए गए निर्धारणों की वास्तविक विहित सीमा के अन्दर मांग जारी न किए जाने के कारण सरकार द्वारा छोड़े गए राजस्व की कुल रकम 1,13,57,935* रु० थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

	मामलों की संख्या	राजस्व की हानि रु०
(क) काल-बाधित हो जाने के कारण मांग नहीं की गई	4	1,75,424
(ख) काल-बाधित हो जाने से मांग वापस ली गई	120	1,11,82,511

लेखापरीक्षा में देखे गए राजस्व की हानि के कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:—

(क) एक कलकटरी में टैरिफ़ मद 23ग के अन्तर्गत आने वाले अनुदह सीमेंट उत्पादों का विनिर्माण करने वाली एक यूनिट को जिसे दिसम्बर 1978 में लाइसेंस दिया गया था, विभाग ने 1 मार्च, 1978 को जारी किए गए एक अनुदेश के आधार पर 1979-80 वर्ष के दौरान पांच लाख रु० के मूल्य तक निशुल्क निकासी अनुमत कर दी। 31 मार्च 1978 की एक संशोधन करने वाली अधिसूचना द्वारा यह रियायत उन विनिर्माताओं को भी दे दी गई जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में वस्तुओं की कोई निकासी नहीं की थी या पिछले वित्त वर्ष में पहली अगस्त को या उसके बाद प्रथम बार वस्तुओं की निकासी की थी परन्तु यह शर्त लगाई गई थी कि वे विभाग के पास इस आशय की घोषणा दाखिल करेंगे कि वित्त वर्ष के दौरान कुल निकासी का मूल्य पन्द्रह लाख रु० से अधिक होने की संभावना नहीं थी और वित्त वर्ष के दौरान की गई निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रु० से अधिक नहीं था। यूनिट ने विभाग के पास ऐसी घोषणा दाखिल नहीं की और इसके द्वारा वित्त वर्ष 1979-80 के दौरान की गई निकासी का कुल मूल्य भी पन्द्रह लाख रु० की सीमा के भीतर नहीं था। वित्त वर्ष 1979-80 के दौरान की गई निकासी

*वित्त मंत्रालय द्वारा नवम्बर 1981 में सूचित (अनन्तिम) आंकड़े।

का मूल्य वास्तव में 24.74 लाख रु० था और इसलिए 1979-80 में 4.98 लाख रु० के मूल्य तक की गई निशुल्क निकासी अनियमित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर विभाग ने स्थिति स्वीकार कर ली और 74,701 रु० की मांग जारी कर दी (जनवरी 1981)।

इन तथ्यों को पर्याप्त रूप से ठीक स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है (जुलाई 1981) कि यह मांग जिसकी पुष्टि समाहर्ता ने कर दी थी, अपीलिय समाहर्ता ने काल बाधित हो जाने के कारण रद्द कर दी।

(ख) मोटर गाड़ियों के पुर्जों का विनिर्माण करने वाले एक लाइसेंस धारी ने एल्यूमिनियम मैल, राख और धातुमल की निकासी टैरिफ़ मद 68 के अन्तर्गत समुचित शुल्क की अदायगी किए बगैर की। 30 दिसम्बर, 1978 और 26 जुलाई 1979 के बीच निकासी किए गए एल्यूमिनियम मैल, राख और धातु मल पर देय शुल्क की गैर-अदायगी के विषय में विभाग को अगस्त 1979 में लेखापरीक्षा के दौरान बताया गया था। शुल्क की वसूली के लिए एक कारण बताओ नोटिस मार्च 1980 में जारी किया गया था परन्तु काल-बाधित हो जाने के कारण यह वसूली योग्य नहीं रहा।

जनवरी 1973, जनवरी 1977 और जुलाई 1979 में जारी किए गए विभागीय अनुदेशों के अनुसार अवनिर्धारणों का पता लगते ही मांग कर देनी चाहिए। इन अनुदेशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप 48,537 रु० के राजस्व की हानि हो गई।

वित्त मंत्रालय ने तथ्यों को ठीक स्वीकार कर लिया है (नवम्बर 1981)।

(ग) सूती वस्त्रों पर शुल्क की दरें 15 जुलाई 1977 की अधिसूचना द्वारा संशोधित कर दी गई थीं।

एक कलक्टरी में सूती वस्त्रों के संसाधन में लगे एक लाइसेंसधारी ने 15 जुलाई, 1977 को की गई निकासी पर संशोधन पूर्व दरों पर जो कम थी, शुल्क दिया। इसके परिणामस्वरूप 1,10,503 रु० का शुल्क कम दिया गया जिसका पता विभाग को 30 जनवरी 1978 को जुलाई 1977 की मासिक विवरणी के निर्धारण के समय लगा।

परन्तु इस राशि की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि वह अपीलिय सहायक समाहर्ता द्वारा कालबाधित घोषित कर दी गई (नवम्बर 1979)

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1981) कि मामले पर विचार किया जा रहा है।

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 10 के अन्तर्गत (17 नवम्बर 1980 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11क) किसी अधिकारी द्वारा भूल, गलती, दुरभिसंधि या गलत शब्द विन्यास के कारण अथवा निर्धारिती द्वारा वस्तुओं की मात्रा, विवरण या मूल्य के विषय में गलत बयान के कारण कम लगाए गए शुल्क या प्रभार की मांग उस तारीख से एक किर्निडिक्ट अधि के भीतर की जानी चाहिए जिस तारीख को शुल्क या प्रभार दिया गया था निर्धारिती के चालू खाते में समायोजित किया गया था या जिस तारीख को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

दो कलक्टरियों में चार लाइसेंसधारियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि अप्रैल, 1974 से दिसम्बर 1975, जुलाई 1978 से जून 1979, अप्रैल 1974 से जून 1976 और अप्रैल 1979 से जनवरी 1980 की अधि के लिए 56,065 रु० के शुल्क की मांग कालबाधित हो गई थीं क्योंकि विभाग ने ये मांगे विहित समय सीमा के अन्दर जारी नहीं की थीं। लेखापरीक्षा द्वारा यह बताए जाने पर विभाग ने स्वीकार किया कि ये मामले कालबाधित हो गए थे।

एक मामले में तथ्यों को पर्याप्त रूप से ठीक मानते हुए वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है (नवम्बर 1981) कि दो मामलों में मांग पहले ही कालबाधित हो चुकी थी और चौथे मामले में निर्धारिती ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर दी थी।

2.78 संघ उत्पाद शुल्क की बकाया राशियाँ*

31 मार्च 1981 को संघ उत्पाद शुल्क की वसूल न की गई बकाया कुल राशि जो वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित की गई थी, 21,440.33 लाख रु०

*वित्त मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 1981 में सूचित (अनन्तिम) आंकड़े।

थी, जिसका व्यौरा नीचे दिया गया है :—

वस्तु	राशि (लाख रुपयों में)
अविनिमित्त तम्बाकू	1,522.76
कच्चे नेपथा सहित मोटर स्पिरिट	889.93
परिष्कृत डीजल तेल	207.37
कागज	855.77
रेयन घागा	787.49
सूती वस्त्र	710.82
लोहा या इस्पात उत्पाद	1,004.73
टीन की प्लेटें	22.41
प्रशीतन और वातानुकूलन संयंत्र	528.58
अन्य सभी मदें	14,910.47
	21,440.33
जोड़	21,440.33

2.79 राजस्व के दावों की माफी और परित्याग*

वित्त मंत्रालय द्वारा 1980-81 के दौरान माफ़ की गई, परित्याग की गई या बट्टे खाते डाली गई कुल राशि 1,44,95,726* रु० बताई गई थी। माफ़ करने और बट्टे खाते डालने के निम्नलिखित कारण बताए गए थे :—

	मामलों की संख्या	राशि रु०
I. निम्नलिखित से हुई हानि के कारण राजस्व की माफी :—		
(क) आग	31	6,79,390
(ख) बाढ़	21	1,47,668
(ग) चोरी	1	1,000
(घ) अन्य कारण	164	1,24,38,927
II. निम्नलिखित के कारण छोड़ी गई या बट्टे खाते डाली गई :—		
(क) निर्धारिता जो मृत्यु के बाद कोई परिसम्पत्ति नहीं छोड़ गए	283	31,375
(ख) जहां निर्धारितियों का पता नहीं चल सका	706	68,164
(ग) जहां निर्धारिता जीवित है किन्तु शुल्क देने की स्थिति में नहीं है	14,079	7,75,008
(घ) अन्य कारण	147	3,54,094

*सितम्बर और नवम्बर 1981 में वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित आंकड़े।

2. 80 धोखाधड़ी और अपवंचन*

निम्नलिखित विवरण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत धोखाधड़ी और अपवंचन सम्बन्धी अपराधों के लिए चलाए गए मुकदमों की संख्या तथा लगाई गई शास्ति की राशि और जब्त किए गए माल का मूल्य दिया गया है :—

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत उन अपराधों की संख्या जिन पर न्यायालयों में मुकदमे चलाए गए	117
2. उन मामलों की संख्या जिनमें जुर्म सिद्ध हो गया	39
	रु०
3. पकड़े गए माल का मूल्य	9,08,81,057
4. जब्त किए गए माल का मूल्य	2,59,64,269
5. लगाई गई शास्तियों की राशि	1,74,28,305
6. जब्त किए गए माल के सम्बन्ध में निर्धारित देय शुल्क की राशि	1,38,27,911
7. जब्ती के बदले दण्डस्वहप लगाए गए जुमनि की राशि	65,58,336
8. निपटारे में तय की गई राशि	4,10,375
9. जब्ती के बाद नष्ट किए गए माल का मूल्य	36,963
10. जब्ती के बाद बेचे गए माल का मूल्य	1,65,837

*नवम्बर 1981 में वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित आंकड़े

अध्याय—3

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की प्राप्तियां

अनुभाग 'क'

सामान्य

3.01 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1980-81 की संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की कुल प्राप्तियां 241.54 करोड़ रु० थीं। इस वर्ष के दौरान प्राप्तियां 1979-80 की प्राप्तियों (192.84 करोड़ रु०) की तुलना में 25.25 प्रतिशत और 1978-79 की प्राप्तियों (162.04 करोड़ रु०) की तुलना में 49.06 प्रतिशत बढ़ गई थी। 241.54 करोड़ रु० की कुल प्राप्तियों में 234.51 करोड़ रु० कर राजस्व था और 7.03 करोड़ रु० कर भिन्न राजस्व था।

3.02 राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

1980-81 में समाप्त होने वाले 3 वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :—

	1978-79.	1979-80	1980-81
	(करोड़ रुपयों में)		
कर राजस्व	156.71	187.43	234.51
कर भिन्न राजस्व	5.33	5.41	7.03

3.03 दिल्ली प्रशासन द्वारा वसूल किया गया कर राजस्व

1980-81 के दौरान कर राजस्व से प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का 97.14 प्रतिशत थीं। विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पिछले तीन सालों के कर राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है :—

	1978-79	1979-80	1980-81	1979-80 की तुलना में वृद्धि (+) कमी(—)
				(करोड़ रुपयों में)
1. भू-राजस्व	0.20	0.16	0.25	(+) 0.09
2. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस	5.21	6.13	7.05	(+) 0.92
3. राज्य उत्पाद शुल्क	20.40	29.08	40.62	(+) 11.54
4. विक्रय कर	106.29	125.08	154.80	(+) 29.72
5. यानों पर कर	4.94	5.28	6.01	(+) 0.73
6. यानियों और माल पर कर	14.62	15.35	17.61	(+) 2.26
7. सामान और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	5.05	6.35	8.17	(+) 1.82
जोड़	156.71	187.43	234.51	(+) 47.08

3.04 बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में विभिन्नता

पिछले तीन वर्षों के दौरान कर राजस्व के बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में विभिन्नता नीचे दी गई है :—

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	विभिन्नता	विभिन्नता की प्रतिशतता
				(करोड़ रुपयों में)
1978-79	154.48	156.71	(+) 2.23	1.44
1979-80	147.28	187.43	(+) 40.15	27.26
1980-81	184.00	234.51	(+) 50.51	27.45

कर राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्नता नीचे दी गई है :-

		बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	विभिन्नता (+) वृद्धि (-) कमी	विभिन्नता की प्रति- शतता
(करोड़ रुपयों में)					
1. राजस्व	1978-79	0.22	0.20	(-) 0.02	9.09
	1979-80	0.23	0.16	(-) 0.07	30.43
	1980-81	0.18	0.25	(+) 0.07	38.89
2. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस	1978-79	4.62	5.21	(+) 0.59	12.77
	1979-80	4.48	6.13	(+) 1.65	36.83
	1980-81	4.58	7.05	(+) 2.47	53.93
3. राज्य उत्पाद शुल्क	1978-79	22.71	20.40	(-) 2.31	10.17
	1979-80	10.62	29.08	(+) 18.46	173.82
	1980-81	22.78	40.62	(+) 17.84	78.31
4. विक्रय कर	1978-79	106.01	106.29	(+) 0.28	0.26
	1979-80	109.71	125.08	(+) 15.37	14.01
	1980-81	126.71	154.80	(+) 28.09	22.17
5. यानों पर कर	1978-79	4.55	4.94	(+) 0.39	8.57
	1979-80	5.05	5.28	(+) 0.23	4.55
	1980-81	5.75	6.01	(+) 0.26	4.52

6. यात्री
और माल

पर कर	1978-79	11.50	14.62	(+)	3.12	27.13
	1979-80	12.25	15.35	(+)	3.10	25.31
	1980-81	18.00	17.61	(--)	0.39	2.17

7. सामान
और सेवाओं

पर अन्य	1978-79	4.86	5.05	(+)	0.19	3.91
कर और	1979-80	4.94	6.35	(+)	1.41	28.54
शुल्क	1980-81	6.00	8.17	(+)	2.17	36.17

दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित किए गए (सितम्बर 1981) विभिन्नता के कारण निम्न हैं :--

1. भू-राजस्व वृद्धि मुख्यतः ओखला रेत स्थल का 1980-81 के दौरान पूरे जोर से परिचालन होने के कारण हुई।
2. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस स्टाम्पों की अधिक बिक्री।
3. राज्य उत्पाद शुल्क शराब के फुटकर विनय मूल्य में वृद्धि और विनय कर को छोड़कर समस्त बिक्री आय को पिछले वर्षों की भांति निवल उत्पाद शुल्क को क्रेडिट करने की बजाय उत्पाद शुल्क राजस्व को क्रेडिट करना।
4. विनय कर बकाया राशि की वसूली में वृद्धि और वर्ष के दौरान अतिरिक्त मांगों का सृजन।
5. सामान पर अन्य कर और शुल्क सिनेमा लाइसेन्स धारियों द्वारा प्रवेश दरों में वृद्धि और परिणामस्वरूप कर में वृद्धि तथा तीन नये सिनेमा घरों का खुलना।

पैरा 1 से 5 में दिखाये गए वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़े मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी, दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये गए हैं जबकि 1979-80 के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.01 में दिखाये गये आंकड़े विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये थे।

3.05 संग्रहण की लागत

कर राजस्व के मुख्य शीर्षों से सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों में संग्रहण की लागत नीचे दी गई है :—

(1)	(2)	सकल संग्रहण (3)	संग्रहण पर व्यय (4)	व्यय की प्रतिशतता (5)
(करोड़ रुपयों में)				
1. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस	1978-79	5.21	0.15	2.88
	1979-80	6.13	0.16	2.61
	1980-81	7.05	0.25	0.35
2. राज्य उत्पाद शुल्क	1978-79	20.40	0.15	0.74
	1979-80	29.08	0.20	0.69
	1980-81	40.62	5.18	12.75
3. विनय कर	1978-79	106.29	1.11	1.04
	1979-80	125.08	1.20	0.96
	1980-81	154.80	1.31	0.85
4. यानों पर कर	1978-79	4.94	0.27	5.47
	1979-80	5.28	0.28	5.30
	1980-81	6.01	0.32	5.32
5. माल और यात्रियों पर कर	1978-79	14.62	0.90	6.16
	1979-80	15.35	0.94	6.12
	1980-81	17.61	1.30	7.38
6. सामान और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	1978-79	5.05	0.03	0.59
	1979-80	6.35	0.35	0.55
	1980-81	8.17	0.03	0.37

(आंकड़े दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये गये हैं)

अनुभाग 'ख'

विक्रय कर

3.06 विक्रय कर विभाग का ढांचा

दिल्ली में विक्रय कर 1951 में लागू किया गया था। यह विभाग विक्रय कर आयुक्त के अधीन काम करता है, जो कि विक्रय कर कानून और नियमों आदि के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी है। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दो उप आयुक्त, नौ सहायक आयुक्त, एक समाहर्ता (वसूली), 74 विक्रय कर अधिकारी, 87 सहायक विक्रय कर अधिकारी और निरीक्षण और लिपिक वर्गीय स्टाफ उसकी सहायता करता हैं। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को 50 वार्डों में बांटा गया है, प्रत्येक वार्ड एक विक्रय कर अधिकारी के अधीन होता है, जिसकी एक (या अधिक) सहायक विक्रय कर अधिकारी और एक (या अधिक) विक्रय कर निरीक्षक सहायता करते हैं। जबकि विक्रय कर अधिकारी और सहायक विक्रय कर अधिकारी निर्धारण कार्य और व्यापारियों के पंजीकरण के लिये जिम्मेदार होते हैं सहायक आयुक्त पहला अपीलीय प्राधिकारी होता है और वह अपने प्रभार के अधीन वार्डों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी रखता है। विक्रय कर संग्रहण, संग्रहण शाखा में केन्द्रित है। वसूल न की गई मांगों के बारे में भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली करने के लिए समाहर्ता को लिख दिया जाता है।

3.07 विक्रय कर राजस्व

पिछले तीन वर्षों के दौरान विक्रय कर के संग्रहण और बकाया मांगों की स्थिति नीचे दी गई है:—

वर्ष	संगृहीत विक्रय कर	असंगृहीत मांगें (करोड़ रुपयों में)
1978-79	106.29	38.48
1979-80	125.08	49.22
1980-81	154.80	*

(*आंकड़े विभाग से प्रतीक्षित हैं)

3.08 विक्रय कर निर्धारण

निम्न सारणी में दिल्ली और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान विक्रय कर निर्धारणों की प्रगति और पूरे किए गए निर्धारणों की संख्या दी गई है :—

वर्ष	निपटान किए जाने वाले निर्धारणों की कुल संख्या			पूरे किये गए निर्धारणों की कुल संख्या			निपटान की प्रतिशतता	वर्ष के अन्त में बकाया निर्धारणों की कुल संख्या
	बकाया	चालू	जोड़	बकाया	चालू	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1978-79								
स्थानीय	1,33,165	63,614	1,96,779	39,917	1,251	41,168	20.92	1,55,611
केन्द्रीय	1,18,413	56,069	1,74,482	34,381	1,014	35,395	20.29	1,39,087
								<u>2,94,698</u>
1979-80								
स्थानीय	1,55,611	61,092	2,16,703	49,087	946	50,033	23.08	1,66,670
केन्द्रीय	1,39,087	54,744	1,93,831	42,641	762	43,403	22.90	1,50,428
								<u>3,17,098</u>
1980-81								
स्थानीय	1,66,670	70,865	2,37,535	53,943	883	54,826	23.08	1,82,709
केन्द्रीय	1,50,428	64,989	2,15,417	47,593	707	48,300	22.42	1,67,117
								<u>3,49,826</u>

3.09 बकाया निर्धारणों का विश्लेषण

मार्च 1981 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में से प्रत्येक के अन्त में बकाया निर्धारणों का वर्ष वार विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:—

	31 मार्च 1979 को			31 मार्च 1980 को			31 मार्च 1981 को		
	स्थानीय	केन्द्रीय	जोड़	स्थानीय	केन्द्रीय	जोड़	स्थानीय	केन्द्रीय	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1975-76	41,446	37,997	79,443						
1976-77	51,802	46,035	97,837	50,218	44,995	95,213			
1977-78	62,363	55,055	1,17,418	56,306	51,451	1,07,757	56,110	51,038	1,07,148
1978-79				60,146	53,982	1,14,128	56,617	51,797	1,08,414
1979-80							69,982	64,282	1,34,264
जोड़	1,55,611	1,39,087	2,94,698	1,66,670	1,50,428	3,17,098	1,82,709	1,67,117	3,49,826

3.10 कालातीत निर्धारण

मार्च 1981 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किये गए कालातीत मामलों (अर्थात् चौथे वर्ष में निर्धारित किये गये मामले) की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्थानीय	केन्द्रीय	जोड़	वर्ष के दौरान कुल निपटाये गए मामलों से कालातीत निपटाए गए मामलों की प्रतिशतता
1978-79	28,703	26,054	54,757	71.51
1979-80	41,446	37,997	79,443	85.02
1980-81	50,218	44,995	95,213	92.32

विभाग द्वारा यथा-सूचित आंकड़े

3.11 उपरोक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि विक्रय कर के मामलों के निपटान की गति बहुत धीमी है, अधिकतर मामले परिसीमा अवधि के अन्त में निपटाये जाते हैं और बकाया मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1980-81 के अन्त में बकाया निर्धारणों की संख्या वर्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या के तीन गुने से अधिक थी।

तथापि विभाग द्वारा इतने अधिक बकाया मामलों के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

3.12 31 मार्च 1981 को विक्रय कर विभाग के पास बकाया पड़ी अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं और पुनर्विलोकन आवेदन

1978-79 से 1980-81 के दौरान बकाया अपीलों, पुनरीक्षण याचिकाओं/पुनर्विलोकन आवेदनों आदि की प्रवृत्ति और उनके निपटान की

दर नीचे दी गई है :—

वर्ष	पिछले वर्ष से अग्रणीत वकाया मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान की गई अपीलें, पुनरीक्षण, याचिकाओं पुनर्विलोकन आवेदनों की संख्या	जोड़	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	कुल मामलों से निपटाए गए मामलों की प्रतिशतता	वर्ष के अन्त में न निपटाए गए मामलों का शेष
1	2	3	4	5	6	7
1978-79	4,471	5,695	10,166	5,210	51.4	4,956
1979-80	4,956	4,531	9,487	4,010	42.2	5,477
1980-81	5,477	5,815	11,292	3,101	27.4	8,191

1980-81 के दौरान निपटाए गए मामलों का विश्लेषण :

(i) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मांगें कम कर दी गई थीं	646
(ii) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मांगें बढ़ा दी गई थीं	शून्य
(iii) प्रति प्रेषित किये गये मामलों की संख्या	1,182
(iv) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अपीलें/पुनरीक्षण याचिकायें/पुनर्विलोकन आवेदन आदि अस्वीकृत/खारिज कर दिये गये थे	1,273
1980-81 में निपटाए गए मामलों की कुल संख्या	3,101

* (आंकड़े विभाग द्वारा दिये गये हैं) ।

बकाया अपीलें/पुनरीक्षण याचिकाओं/पुनर्विलोकन आवेदनों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	बकाया अपीलें/पुनरी- क्षण याचिकायें/पुनर्वि- लोकन आवेदन
1974-75	5
1975-76	5
1976-77	40
1977-78	85
1978-79	813
1979-80	2,222
1980-81	5,021
	8,191

3.13 अपीलों, पुनरीक्षण याचिकाओं, पुनर्विलोकन आवेदनों के निपटान की दर में लगातार गिरावट आई, इसके परिणाम-स्वरूप दो वर्षों की अवधि में बकाया काम लगभग दुगुना हो गया।

3.14 राजस्व का बट्टे खाते में डाला जाना और उसकी माफी

1978-79, 1979-80 और 1980-81 के तीन वर्षों के दौरान विक्रय कर विभाग द्वारा मांगों के बट्टे खाते में डाले जाने और माफ कर देने के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	हानियों/अप्राप्य राजस्व, देय राशि का बट्टे खाते में डाला जाना		माफी	
	मदें	राशि (रुपए)	मदें	राशि (रुपए)
1978-79	—	—	6	2,62,023
1979-80	—	—	1	45,436
1980-81	—	—	7	55,16,453

विभाग ने राजस्व माफ करने का कारण व्यापार का बन्द होना आदि बताया ।

3. 15 बिल्ली प्रशासन के विक्रय कर विभाग में आन्तरिक लेखा परीक्षा

(क) आन्तरिक लेखा परीक्षा का गठन

विक्रय कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने नवम्बर 1964 में हाथ में लिया था । विभाग ने अप्रैल 1967 में अपने निजी लेखापरीक्षा कक्ष का गठन किया था जिसके लिए दो सहायक विक्रय कर अधिकारी संस्वीकृत किए गए थे । तथापि आन्तरिक लेखापरीक्षा में कार्यरत स्टाफ की वास्तविक संख्या समय-समय पर भिन्न थी, लेकिन इसकी स्थापना के बाद से वस्तुतः कभी भी तीन से अधिक पार्टियां आन्तरिक लेखापरीक्षा के काम पर नहीं लगाई गई थी ।

प्रारंभिक अवस्थाओं में आन्तरिक लेखापरीक्षा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पास किये गए निर्धारण आदेशों की नमूना जांच तक ही सीमित थी । इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति निर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे । आन्तरिक जांच की अपर्याप्तता और आन्तरिक लेखापरीक्षा की क्रियाविधि से संबंधित किसी सुस्पष्ट विभागीय निर्देश के अभाव की ओर लेखापरीक्षा ने मई 1975 में विभाग का ध्यान दिलाया । विभाग ने स्वीकार किया (मई 1976) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा को और सुदृढ़ करने की जरूरत थी और इसके कार्यचालन को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता थी ।

इसके फलस्वरूप इस कक्ष को जुलाई 1976 और फिर मार्च 1977 में पुनर्गठित किया गया । अप्रैल 1977 से इस कक्ष में मुख्यालय का एक दल और दो आन्तरिक लेखापरीक्षा दल थे जिनमें एक लेखापरीक्षा अधिकारी, एक लेखाकार, एक विक्रय कर अधिकारी/सहायक विक्रय कर अधिकारी, दो विक्रय कर निरीक्षक और छः लिपिक-वर्गीय कर्मचारी थे ।

मुख्यालय की टीम को आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और आपत्तियों और सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा आपत्तियों के निपटान से संबंधित काम सौंपा गया था ।

(ख) आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य निष्पादन

मार्च 1977 में जारी किये गये आयुक्त के आदेशों के अनुपालन में आन्तरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता इस प्रकार व्यवस्थित की जानी थी जिससे कि संबंधित वर्ष के निर्धारण आदेशों की सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा नमूना लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले अनियमितताओं का पता लगाया जा सके। आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाना था कि जिससे वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा पास किये गए निर्धारण और पंजीकरण आदेशों के निरीक्षण की निर्धारित मात्रा के अनुसार आगामी वर्ष के 15 अगस्त से पहले आन्तरिक लेखापरीक्षा हो जाये।

इस कक्ष के वर्ष 1979-80 के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 1981) से पता चला कि कक्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष सभी 50 वार्डों की आन्तरिक लेखापरीक्षा पूरी नहीं कर सका। आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकांश वार्डों में वर्ष के कुछ भाग में पास किये गये निर्धारण/पंजीकरण आदेशों तक ही सीमित थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

निर्धारण वर्ष	वार्डों की संख्या	लेखापरीक्षा किये गये वार्डों की संख्या	वार्डों की संख्या जिनमें समस्त वर्ष के निर्धारण मामलों की जांच कर ली गई थी	आंशिक रूप से जांच किये गये वार्डों की संख्या
1977-78	50	40	3	37
1978-79	50	29	3	26
1979-80	50	10	5	5

(ग) आन्तरिक लेखा परीक्षा की जांच की प्रमात्रा

लोक लेखा समिति ने अपने 116वें प्रतिवेदन 1973-74 (पांचवीं लोक सभा) के पैराग्राफ 2.11 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :

“..... कुल पूरे किये गये 66,438 निर्धारणों में से लेखा-परीक्षा कक्ष 1971-72 के दौरान केवल 27,095 निर्धारण आदेशों की जांच कर सका था। इस प्रकार जांचे गए आदेशों की संख्या काफी कम है। मामलों के चयन और आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की गई जांच के तरीके की सांविधिक लेखापरीक्षा से परामर्श करके सावधानीपूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता है जिससे कि पद्धति को यथार्थतः प्रभावी बनाया जा सके”।

आयुक्त ने स्वीकार किया (अप्रैल 1980) कि “आन्तरिक लेखा-परीक्षा कक्ष के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली को भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक से परामर्श करके अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और आगे बताया कि “लगाया गया स्टाफ प्रभावी लेखापरीक्षा कक्ष की न्यूनतम आवश्यकता को भी पूरा करने के लिये नितान्त अपर्याप्त है”।

जबकि जांच की निर्धारित मात्रा 5 से 100 प्रतिशत तक थी, मार्च 1980 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान वास्तविक जांच की मात्रा निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	कुल लगाई गई आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों की संख्या	साल में पूरे किए गए निर्धारण मामलों की संख्या	आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा जांच किये गये निर्धारण मामलों की संख्या	कुल निर्धारण मामलों से जांच किये गए मामलों की प्रतिशतता
1977-78	2 से 3	74,131	3,934	5.30
1978-79	2 से 3	76,563	3,418	4.45
1979-80	2 से 3	93,436	962	1.03

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की गई जांच की प्रतिशतता 1971-72 में 40.85 से घट कर 1979-80 में 1.03 रह गई, जबकि काम करने वाली पार्टियों की संख्या उतनी ही थी।

(घ) आन्तरिक लेखा-परीक्षा के परिणाम

मार्च 1980 को समाप्त होने वाले 3 सालों के दौरान कक्ष ने 1,363 मामलों में गलतियां पकड़ी जिनमें 36.15 लाख रु० का कर अवनिर्धारित किया गया था/कम लगाया गया था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1977-78	548	4.55
1978-79	594	28.79
1979-80	221	2.81
जोड़	1,363	36.15

1,363 मामलों में से 27 मामलों में से प्रत्येक मामले में 10,000 रु० से भी अधिक का कर कम लगाया गया था।

(ङ) प्रतिवेदन जारी करने में देरी

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के जारी करने में काफी देरी पाई गई थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

वाई सं०	की गई आन्तरिक लेखा-परीक्षा जिस अवधि से संबंधित थी	महीना जिसमें आन्तरिक लेखा-परीक्षा कार्य शुरू किया गया	आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के जारी करने का मास
18	अप्रैल से अक्टूबर 1979	सितम्बर 1980	मई 1981
30	अप्रैल 1979 से मार्च 1980	-वही-	जून 1981
2	-वही-	अगस्त 1980	-वही-
1345	-वही-	-वही-	मई 1981
21	अप्रैल 1979 से अक्टूबर 1979	-वही-	जुलाई 1981
27	-वही-	सितम्बर 1980	जून 1981

(च) आन्तरिक परीक्षा की आपत्तियों पर कार्रवाई न करना

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने के बाद वे कक्ष की मुख्यालय की टीम को भेज दिए जाते थे, जिसको आपत्तियों के अभिलेख

रखने थे और अंतिम निपटान होने तक उन पर कार्रवाई करनी थी। तथापि यह देखने में आया (अगस्त 1981) कि यह दर्शन के लिए कि आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई चूकों के बारे में कोई कार्रवाई की गई थी, कक्ष ने कोई अभिलेख नहीं रखे थे। इसलिये विभाग को उन आपत्तियों के व्यौरों की जानकारी नहीं थी जो अभी तक बकाया पड़ी थी।

इन परिस्थितियों में ऐसे मामलों की संख्या जो कालातीत हो गये थे और सुधारात्मक कार्रवाई करने में देरी के कारण हुई राजस्व की हानि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(छ) आन्तरिक लेखा परीक्षा कक्ष के स्टाफ को दूसरे काम में लगाना

आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिये नियत स्टाफ को दूसरे कामों में लगाये जाने के कारण इस कक्ष के कार्यचालन पर बुरा असर पड़ा। नवम्बर 1972 और मई 1973 के बीच कक्ष में कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था। कक्ष में तैनात किए गए चार निरीक्षकों को जनवरी 1973 से मार्च 1973 तक सिविल आपूर्ति विभाग में राशन कार्डों की जांच करने के लिए वापस ले लिया गया था। कक्ष ने 1974-75 में काम करना बन्द कर दिया क्योंकि स्टाफ को निर्धारण मामलों को पूरा करने में लगा दिया गया बताया गया था अन्यथा कुछ निर्धारण मामले कालातीत हो जाते। 1979 में भी कुछ समय के लिये कक्ष में नियुक्त निरीक्षकों को जेल और चुनाव कार्यों में इस्तेमाल किया गया था।

उपरोक्त बातों के बारे में विभाग और गृह मंत्रालय को दिसम्बर 1980 में लिखा गया था। आयुक्त के मत (अप्रैल 1980) की पुष्टि करते हुए मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1981) कि मार्च 1977 में जारी किये गये आदेशों की समीक्षा की गई थी तथा वे संशोधित कर दिए गए थे और आन्तरिक लेखापरीक्षा के संशोधित लक्ष्य और प्रतिमान निर्धारित करते हुए जुलाई 1981 में निर्देश जारी कर दिए गए थे।

3.16 एक व्यापारी द्वारा जाली कागजात तैयार करना

बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 जो 20 अक्टूबर 1975 तक दिल्ली में लागू था और दिल्ली विक्रय अधिनियम, 1975 एवं दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में यह व्यवस्था है कि

किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा दूसरे पंजीकृत व्यापारी को माल की बिक्री, विक्रेता व्यापारी द्वारा अपनी विवरणी के साथ ऐसी बिक्री की पूरी सूची जिसकी खरीदने वाले व्यापारी से प्राप्त घोषणा के द्वारा विधिवत् पुष्टि हो, प्रस्तुत करने पर बेचने वाले व्यापारी की कुल बिक्री में से कटौती के रूप में अनुज्ञेय है। यदि आयुक्त या अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि व्यापारी ने अपनी बिक्री के विवरणों को छिपाया है या बिक्री के गलत विवरण प्रस्तुत किये हैं तो वह निदेश दे सकता है कि व्यापारी को शास्ति के रूप में कर की उतनी राशि जो अदान की गई हो, की ढाई गुनी से अनधिक रकम अदा करनी चाहिए।

वार्ड II के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (नवम्बर 1980) यह देखने में आया कि 1975-76 के निर्धारण में एक व्यापारी को उसकी कुल बिक्री में से दूसरे पंजीकृत व्यापारी को बेचे गये माल से सम्बन्धित 32.38 लाख रु० तक की राशि की छूट दी गई थी जिसके बारे में उसके द्वारा निम्न प्रकार से दावा किया गया था :—

- (i) आंकड़ों में हेराफेरी करना जिससे विक्रय सूची में दर्ज बिलों की राशि में वृद्धि हो गई थी;
- (ii) खरीदने वाले व्यापारियों से प्राप्त निर्धारित घोषणाओं में बिलों की राशियों में परिवर्तन; और
- (iii) विक्रय सूची के जोड़ों में वृद्धि करना और जोड़ों को एक पृष्ठ से दूसरे पर अग्रणीत करते समय भी जोड़ों में वृद्धि करना।

लेखापरीक्षा द्वारा इस बात की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (नवम्बर 1980) विभाग ने स्वीकार किया कि व्यापारी द्वारा अनियमितताएं की गई थी और निर्धारण आदेश को संशोधित कर दिया (जनवरी 1981) तथा छिपाई गई 32.38 लाख रु० की बिक्री पर 2,26,730 रु० की अतिरिक्त मांग जारी कर दी। इसमें से 1 लाख रु० वसूल कर लिये गये हैं (जून 1981)। बकाया राशि की वसूली के विवरण प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 1981)।

जबकि 1975-76 वर्ष में जाली कागजातों को तैयार करने के कारण कम से कम 5,66,825 रु० का अर्थदण्ड लगाना चाहिए था केवल 20,000 रु० का दण्ड लगाया गया था (जुलाई 1981)।

आगे नमूना जांच करने से (जून 1981) पता चला कि 1976-77 और 1977-78 के अनुवर्ती वर्षों के निर्धारणों में भी व्यापारी ने इसी प्रकार के भ्रष्ट तरीके अपनाए थे। उसे इस तरीके से अधिक दिखाई गई कुल बिक्री में से दूसरे पंजीकृत व्यापारियों को बेचे गए माल की वाबत 13.82 लाख रु० और 6.29 लाख रु० तक की छूट दी गई थी।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जून 1981) विभाग ने निर्धारण आदेशों को संशोधित कर दिया (जून 1981) और 1976-77 और 1977-78 के वर्षों के संबंध में 1,07,195 रु० और 48,709 रु० की अतिरिक्त मांगें जारी की। ये राशियां वसूल हो चुकी है (जुलाई 1981)।

अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यापारी के 1973-74 और 1974-75 के निर्धारणों की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

यद्यपि व्यापारी ने स्वयं मान लिया था कि उसने गलत कार्य किया था और 1976-77 और 1977-78 के संबंध में देय अतिरिक्त कर अदा कर दिया था तथापि अर्थ दण्ड लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई (जुलाई 1981); जिसकी राशि क्रमशः 267,987 रु० और 1,21,772 रु० बनती थी।

मामले की सूचना विभाग और गृह मंत्रालय को दे दी गई थी (अगस्त 1981); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

3.17 कर की निम्न दरों के लगाये जाने के कारण कर का अवनिर्धारण

दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 के अनुसार हलवाईयों द्वारा सामान्यतः बनाए जाने वाली उन वस्तुओं की कर-योग्य बिक्री जिनका वे अनन्यतः व्यापार करते हैं, 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। फिर भी यदि कोई दूसरे पदार्थों जैसे पनीर आदि जो साधारणतः हलवाईयों द्वारा नहीं बनाये जाते, का धंधा भी करता है तो व्यापारी की कुल बिक्री 7 प्रतिशत की सामान्य दर पर कर योग्य होगी।

एक वार्ड के निर्धारण अभिलेख की जांच करते समय यह देखने में आया (मार्च 1981) कि एक व्यापारी, जो हलवाईयों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं तथा पनीर जैसी अन्य वस्तुओं का धंधा करता था, की कर योग्य बिक्री 12,69,130 रु० थी। लेकिन 1976-77 में उसकी आय पर 7 प्रतिशत की सामान्य दर के बजाय गलत रूप से 5 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने यह बात स्वीकार कर ली और 25,381 रु० की अतिरिक्त मांग जारी कर के पुनर्निर्धारण आदेश पारित किये (अप्रैल 1981)। वसूली की कार्रवाई के परिणाम प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981)।

यह मामला मंत्रालय को सूचित कर दिया गया था (अक्तूबर 1981); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 1981)।

3.18 अनियमित छूट के कारण अवनिर्धारण

दिल्ली बिक्रय कर नियमावली के अन्तर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा "रक्षा मंत्रालय को अपने सरकारी काम के उपयोग के लिए या प्रशासक द्वारा समय समय पर यथाअधिसूचित उसके अधीनस्थ कार्यालयों" को बेची गई वस्तुएं 28 जून 1978 तक कर मुक्त थी। तथापि नियामवली के अन्तर्गत वस्तुतः ऐसा कोई भी अधीनस्थ कार्यालय अधिसूचित नहीं किया था और इसलिए रक्षा मंत्रालय के किसी अधीनस्थ कार्यालय को बेची गई वस्तुओं पर छूट देने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता था।

बिक्रय कर विभाग के एक वार्ड के अभिलेख की लेखापरीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ (नवम्बर 1980) कि 1977-78 में एक व्यापारी को रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों को की गई 1,54,548 रु० की बिक्री पर कर अदा करने से गलत प्रकार से छूट दी गई थी। इसके परिणाम-स्वरूप 15,455 रु० के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (नवम्बर 1980), विभाग ने 15,455 रु० की एक अतिरिक्त मांग जारी की (जुलाई 1981) और राशि वसूल कर ली (सितम्बर 1981)।

यह मामला जुलाई 1981 में गृह मंत्रालय को सूचित किया गया था जिसने वस्तु स्थिति को स्वीकार कर लिया है (सितम्बर 1981)।

अनुभाग 'ग'

राज्य उत्पाद शुल्क

3. 19 बियर के आयात पर कम शुल्क प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि

दिल्ली में यथा लागू पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1941 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बियर के आयात के लिये पास उन दरों पर जो आयात पास जारी करने की तारीख को लागू हों, शुल्क की पूर्व अदायगी करने पर दिए जाते हैं। दिल्ली प्रशासन ने 24 अप्रैल 1976 को जारी की गई अपनी अधिसूचना में 5 प्रतिशत या इससे कम एलकोहल वाली बियर को दिल्ली में लाए जाने पर या दिल्ली में बंधक माल गोदामों से जारी किए जाने पर उस पर शुल्क की दर तत्काल घटा कर 1 रु० प्रति बोतल से 0.50 रु० प्रति बोतल कर दी। इसके परिणामस्वरूप शुल्क की कम की गई दर 24 अप्रैल 1976 या इसके बाद जारी किये गये सभी पासों पर लागू हो गई।

उत्पाद शुल्क विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच के द्वारा यह देखने में आया (अगस्त 1977) कि बियर के आयात के लिये 24 अप्रैल 1976 से पहले जारी किये 6 परमिटों पर शुल्क 0.50 रु० प्रति बोतल की कम की गई दर पर लगाया गया था जबकि 24 अप्रैल 1976 से ही पहले जारी किये गये 1 परमिट पर एक रुपया प्रति बोतल की विद्यमान दर पर शुल्क लगाया गया था। छः मामलों में कम वसूल किए गए शुल्क की राशि 25,200 रु० थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस और ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 1977) विभाग ने बताया (जुलाई 1979) कि जबकि 5 प्रतिशत या कम अलकोहल वाली बियर पर उत्पाद शुल्क कम करने की अधिसूचना 24 अप्रैल 1976 को जारी की गई थी, उप राज्यपाल की संस्वीकृति 31 मार्च 1976 को ली गई थी अतः सरकार को राजस्व की हानि केवल परिकल्पित थी।

यह बताया गया था (सितम्बर 1979) कि शुल्क कम करने का आदेश अधिसूचना जारी करने की तारीख से लागू होगा जैसा कि उसमें

पहले ही निर्धारित किया गया था न कि उस तारीख से जब कि शुल्क कम करने का निर्णय लिया गया था। विभाग ने तब महसूस किया कि न तो 24 अप्रैल 1976 को जारी की गई अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के लिए कोई अधिसूचना जारी करना सम्भव था और न ही कम प्राप्त किये गये शुल्क को सम्बन्धित लाइसेंसधारियों से वसूल करना संभव था जिन्होंने उस स्टाक को कम दर पर बेच दिया था।

विभाग ने अप्राप्त राशि को बट्टे खाते डालने के लिये दिल्ली प्रशासन को लिखा था (मई 1980) जिसने आदेश दिया (मई 1980) कि राशि को बट्टे खाते डाले जाने पर विचार करने से पहले सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने के लिये जिम्मेदार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। इस मामले में आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (अगस्त 1981)।

अनुभाग "घ"

स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस

3.20 स्टाम्प शुल्क की उच्च दरों का अपवंचन/परिहार

दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सिवाय सक्षम प्राधिकारी की विनिर्दिष्ट आज्ञा (लिखित में) के, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित किसी भूमि या उस भूमि के भाग, जिसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् दिल्ली विकास योजना के लिये अधिगृहीत करने का प्रस्ताव हो, का बिक्री, बंधक, दान, पट्टा या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण या तात्पर्यित अन्तरण नहीं करेगा। जब तक अन्तरक पंजीकरण अधिकारी के सामने सक्षम प्राधिकारी की इस प्रकार के अन्तरण के लिये लिखित आज्ञा प्रस्तुत नहीं करता तब तक अधिनियम में किसी दस्तावेज के जिससे भूमि के बिक्री, बंधक, दान, पट्टा या अन्य प्रकार से अन्तरण का तात्पर्य हो, पंजीकरण पर प्रतिबंध है। इस शर्त का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को जुर्माना या कारावास अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में भी लागू होता है, के अन्तर्गत मुख्तारनामे की लिखत जब प्रतिफल के लिये दी जाती है और मुख्तार को अचल सम्पत्ति बेचने के लिये प्राधिकार दिया जाता है तो प्रतिफल की राशि पर 3 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है। एक साधारण मुख्तारनामा जिसमें अचल सम्पत्ति का मामला निहित नहीं है, जब बिना प्रतिफल के दिया जाता है तो उस पर 10 रु० का निर्धारित स्टाम्प शुल्क ही लगता है। अधिनियम में यह भी निर्दिष्ट है कि प्रतिफल और अन्य सभी तथ्यों और उन परिस्थितियों को, जो किसी लिखत पर शुल्क या शुल्क की राशि जो उस पर प्रभाय है, की प्रभायता को प्रभावित करती है, उस लिखत में पूर्ण रूप से और सही सही लिखा जाना चाहिए। ऐसा न करने पर निष्पादी या अन्य नियुक्त व्यक्ति अथवा लिखत को तैयार करने या उससे संबंधित व्यक्ति पर अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है जो 5,000 रु० तक हो सकता है।

भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति को बेचने के उद्देश्य से किया गया मुख्तारनामा अनिवार्य रूप से पंजीकरणीय होता है।

अप्रैल 1975 में जारी किये गये एक विभागीय परिपत्र में महा-निदेशक, पंजीकरण ने पंजीकरण प्राधिकारियों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि "कुछ बेईमान व्यक्तियों ने नियमित अन्तरण विलेख निष्पादित करने के बजाय दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबंध) अधिनियम 1972 के उपबंधों का अनुपालन न करने के विचार से खरीददार के पक्ष में आम मुख्तारनामा निष्पादित करने का रास्ता अपनाया है।" पंजीकरण प्राधिकारियों को यह भी सलाह दी गई कि "दस्तावेजों के पंजीकरण से पहले अधिनियम 1972 की शर्त को पूरा करने के लिये संबंधित पार्टियों को बुलाया जाय।"

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1976-77 के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां खण्ड-I) के पैराग्राफ 125 में यह उल्लेख किया गया था कि केवल 10 रु० के स्टाम्प शुल्क के साधारण मुख्तारनामे से अचल सम्पत्ति के अन्तरण करने का तरीका अपना कर दिल्ली में उपरोक्त कानून

के उपबंधों का व्यापक उल्लंघन हुआ था। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किये गये 48 मामलों में यह बताया गया था (नवम्बर 1977) कि उनमें अन्तरण का प्रतिफल स्पष्ट था क्योंकि इस प्रकार के प्रतिफलों की रसीदें साथ ही पंजीकृत की गई थीं और क्रेता को उसी नाम में दी गई थीं जबकि तदनुसूची मुख्तार नामों में इस प्रकार के किसी प्रतिफल का उल्लेख नहीं किया गया था। गृह मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया है और कम लगाये गये स्टाम्प शुल्क की वसूली की कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1978-79 के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां खण्ड-I) के पैराग्राफ 112 में विक्रेताओं द्वारा 1972-73 से 1977-78 के दौरान इसी प्रकार के निष्पादित किए गये साधारण मुख्तारनामा की 561 लिखतों का उल्लेख किया गया था जिनमें 99,53,500 रु० का कुल प्रतिफल और 2,92,995 रु० का कम लगाया गया स्टाम्प शुल्क निहित था।

दिल्ली में चार उप रजिस्ट्रार के कार्यालयों में 1978-79 और 1979-80 में पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जांच में यह फिर देखा गया (फरवरी 1980 से जून 1980 और अप्रैल 1981 से जुलाई 1981 तक) कि विक्री या प्राप्त प्रतिफल का उल्लेख किए बिना अचल सम्पत्ति के क्रेताओं को सम्पत्ति बेचने का अधिकार देकर इसी प्रकार के सामान्य मुख्तारनामे की 134 लिखत निष्पादित की गई थीं। उसी समय पंजीकृत की गई रसीदों के प्रतिस्थापन से लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन 134 मामलों में निष्पादियों ने क्रेताओं के निकट सम्बन्धियों से रसीदों पर सम्पत्तियों और प्रतिफलों का विवरण दिये बिना 51,12,939 रु० की कुल राशि प्राप्त की थी। इन 134 मामलों में 51,12,939 रु० के कुल प्रतिफल का उल्लेख करके जिसकी रसीदें प्रस्तुत की गई थीं, मुख्तारनामों समुचित रूप से निष्पादित किये जाते तो लिखतों को "प्रतिफल के बिना साधारण मुख्तारनामे" मान कर लगाई गई 1340 रु० के स्टाम्प शुल्क की बजाय 1,53,388 रु० (3 प्रतिशत से संगणित) का स्टाम्प शुल्क देय बनता। इसके अतिरिक्त इन 134 मामलों में अचल सम्पत्तियों के प्रतिफल से सम्बन्धित पंजीकरण फीस भी देय हो गई। लिखतों में पूर्ण और सही तथ्यों के न दर्शाये जाने के लिए 6,70,000 रु० का अर्थ-दण्ड भी लगाया जा सकता था।

यह देखने में आएगा कि इन मामलों में विभाग भी कार्य प्रणाली से अवगत था, जो निम्न प्रकार थी:—

- (i) विक्रेता विक्री या प्राप्त प्रतिफल का उल्लेख किए बिना क्रेता के पक्ष में अप्रतिसंहरणीय साधारण मुख्तारनामा निष्पादित करता है;
- (ii) वह विक्री विलेख के प्रतिफल से सम्बन्धित रसीदों भी पंजीकृत कराता है, रसीदों में सम्पत्ति और प्राप्त प्रतिफल का विवरण दर्शाये बिना सब रजिस्ट्रार के सामने क्रेताओं के सम्बन्धियों से प्रतिफल प्राप्त करता है;
- (iii) सूचनानुसार वे बेचने का एक करार निष्पादित करते हैं जिसे सब रजिस्ट्रार के सामने पंजीकरण के लिये प्रस्तुत नहीं किया जाता है और इस विक्री के करार का मुख्तारनामा या रसीद में उल्लेख नहीं किया जाता है;
- (iv) इसके अतिरिक्त विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में एक "वसीयत" भी निष्पादित की जाती है, जिसमें विक्रेता अपनी मृत्यु के बाद अपनी सम्बद्ध सम्पत्ति का क्रेता के पक्ष में वसीयत नामा करता है ।

इससे निम्नलिखित बातें सामने आती हैं:—

- (क) यह तथ्य कि इन मामलों में प्रतिफल सीधे अटार्नियों द्वारा अदा न किया जाकर उनके निकट संबंधियों (जैसे पति, पत्नी, पुत्र, भाई, पिता, माता आदि) द्वारा उनकी ओर से अदा किया गया था, स्थिति को नहीं बदलता क्योंकि इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इन मामलों में निष्पादियों द्वारा मुख्तारनामा प्राप्त धन के विचार से दिए गए थे ।
- (ख) क्योंकि मुख्तारनामा का मूल्यांकन सरकार को उसके वैध शुल्क को अदा न करने के विचार से स्पष्टतः कम किया गया था इसलिए सौदे के विवरण मांगे जा सकते थे और पंजीकरण तब तक अस्वीकार किया जा सकता था जब तक कि समुचित शुल्क अदा न कर दिया जाता, जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय में आदेश दिया गया था ।

(ग) लिखतों में पूर्ण और सही तथ्य न दिये जाने के लिए स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अर्थदण्ड संबंधी उपबन्धों को लागू किया जा सकता था और अधिकतम 5,000 रु० तक का जुर्माना लगाया जा सकता था ।

उपरोक्त तथ्य विभाग और मंत्रालय को जुलाई 1981 में सूचित किए गये थे । विभाग ने बताया (सितम्बर 1981) कि पिछले 8-9 वर्षों में "बेईमान कोलोनाइजर/व्यक्ति" "विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों, दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि और विकास संगठन, निगम आदि द्वारा निर्धारित पट्टे की शर्तों को व्यापक रूप से उल्लंघन करके" इस तरीके को अपना रहे थे । उन्होंने यह भी बताया कि "सही और झूठे मामलों में पहचान करना बड़ा कठिन था, तथापि इस कठिनाई को सुलझाने के लिये दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का निर्णय किया गया था ।"

गृह मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1981) ।

राम स्वरूप गुप्त

नई दिल्ली

दिनांक : 24 मार्च, 1982

(राम स्वरूप गुप्त)

निदेशक, प्राप्ति लेखापरीक्षा

प्रतिहस्ताक्षरित

ज्ञान प्रकाश

नई दिल्ली

दिनांक : 24 मार्च, 1982

(ज्ञान प्रकाश)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

